मुख्य अपराधों की विवेचना हेतु हस्त-पुस्तिका

ओ0पी0 सिंह
पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0।

प्राक्कथन

प्रदेश में घटित होने वाले अपराधों की विवेचना पद्धति में एकरूपता न होने तथा विवेचकों द्वारा विवेचना में वैज्ञानिक विधि का सम्यक् समावेश न करने से विवेचना की गुणवत्ता प्रभावित होती है। प्रदेश मुख्यालय स्तर पर जनपदीय अपराध शाखा द्वारा सम्पादित की जाने वाली विवेचनाओं में ऐसी ही एकरूपता तथा वैज्ञानिक विधि का अभाव परिलक्षित हुआ है।

यह आवश्यकता महसूस की गयी कि प्रदेश के विवेचकों को मुख्यालय स्तर से अपराधों की विवेचना सम्बन्धी एक हस्त–पुस्तिका उपलब्ध करायी जाय, जो हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, साइबर अपराध एवं धोखाधड़ी व आर्थिक घोटाला से सम्बन्धित विवेचनाओं में उपयोगी सिद्ध हो सके तथा वैज्ञानिक तरीके से घटना स्थल पर मौजूद साक्ष्यों को संरक्षित, विश्लेषित कर दोषियों के विरूद्ध ठोस आधार तैयार करने में सहायक हो सके।

इस हस्त–पुस्तिका में विवेचकों की सुविधा के लिए मुख्यालय से निर्गत गम्भीर अपराधों, महिला सम्बन्धी अपराधों, साइबर अपराध एवं जालसाजी – धोखाधड़ी जैसे अपराधों से सम्बन्धित परिपत्र/निर्देशों का संकलन किया गया है।

यहां यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हस्त–पुस्तिका में दिये गये मार्गदर्शक बिन्दु मात्र विवेचकों की सहायता हेतु एवं विवेचना को गुणवत्तापरक बनाने के लिए है। इसके अतिरिक्त विवेचकगण स्वविवेक से विवेचना में जो भी सुसंगत तथ्य सम्मिलित करना चाहें कर सकते है।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस हस्त–पुस्तिका के माध्यम से हम विवेचना के मूल उद्देश्यों के साथ न्याय कर सकेंगे।

शुभकामनाओं सहित,

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उ0प्र0।

अनुक्रमणिका

(अ)

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	हत्या से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना **(SOP)**	
2.	डकैती के अपराध से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना (SOP)	
3.	लूट/डकैती से सम्बन्धित अपराधों के सन्दर्भ में निरोधात्मक कार्यवाही	
4.	फिरौती हेतु अपहरण के अपराधों से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना (SOP)	
5.	बलात्कार के अपराध की विवेचना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश (SOP)	
6.	महिलाओं के विरूद्ध हुए अपराधों की विवेचना में विवेचक द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया/निर्देश (SOP)	
7.	एसिड अटैक (अम्ल हमला) की घटनाओं के सम्बन्ध में विवेचनात्मक कार्यवाही(SOP)	
8.	साइबर अपराधों की घटनाओं में विवेचक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही व विवेचना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश।	
9.	आर्थिक अपराध के प्रकरणों की गुणवत्तापरक विवेचना (SOP)	

(ब)

1. डीजी परिपत्र संख्या-17/ 2017 दिनांक 18.7.2017
2. डीजी परिपत्र संख्या-09/ 2017 दिनांक 07.04.2017
3. डीजी परिपत्र संख्या-40/2016 दिनांक 17.7.2016
4. डीजी परिपत्र संख्या-20/2016 दिनांक 13.04.2016
5. डीजी परिपत्र संख्या -17/2016 दिनांक 16.3.2016
6. डीजी परिपत्र संख्या-66/2015 दिनांक 26.9.2015
7. डीजी परिपत्र संख्या -52/2015 दिनांक 12.7.2015
8. डीजी परिपत्र संख्या-51/2015 दिनांक 12.7.2015
9. डीजी परिपत्र संख्या- 44/2015 दिनांक 15.6.2015
10. डीजी परिपत्र संख्या- 31/2015 दिनांक 28.4.2015
11. डीजी परिपत्र संख्या -28/2015 दिनांक 20.4.2015
12. डीजी परिपत्र संख्या -27/2015 दिनांक 19.4.2015
13. डीजी परिपत्र संख्या-04/2015 दिनांक 14.01.2015
14. डीजी परिपत्र संख्या -38/2014 दिनांक 07.06.2014
15. डीजी परिपत्र संख्या-27/2014 दिनांक 10.5.2014
16. डीजी परिपत्र संख्या-75/2013 दिनांक 31.12.2013
17. डीजी परिपत्र संख्या-67/2013 दिनांक 09.12.2013
18. डीजी परिपत्र संख्या-44/2013 दिनांक 05.8.2013
19. डीजी परिपत्र संख्या-41/2013 दिनांक 01.8.2013

20. डीजी परिपत्र संख्या-34/2013 दिनांक 10.07.2013
21. डीजी परिपत्र संख्या-32/2013 दिनांक 01.07.2013
22. डीजी परिपत्र संख्या-19/2013दिनांक 06.5.2013
23. डीजी परिपत्र संख्या-16/2013 दिनांक 29.4.2013
24. डीजी परिपत्र संख्या-13/2013 दिनांक 17.4.2013
25. डीजी सात-एस-2ए(निर्देश)/2013दिनांक 12.4.2013
26. एडीजी परिपत्र-3/2013 दिनांक 14.3.2013
27. डीजी परिपत्र संख्या-03/2013 दिनांक 17.1.2013
28. डीजी परिपत्र संख्या-50/2012 दिनांक 26.10.2012
29. डीजी परिपत्र संख्या-15/2008 दिनांक 09.2.2008
30. डीजी परिपत्र संख्या-73/2007 दिनांक 31.8.2007
31. एडीजी एलओ परिपत्र संख्या-12/2001 दिनांक 15.12.2001

<u>हत्या से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना हेतु (SOP)</u>

➢ **<u>उद्देश्यः-हत्या से सम्बन्धित अपराधों की त्वरित, गुणवत्तापरक एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों को विवचेना में समाहित करते हुये दोषियों को मा0 न्यायालय में दण्डित कराना।</u>**

- हत्या, गोली मारकर, धारदार हथियार, जहर देकर, फन्दा लगाकर आदि कारकों से होती है।

➢ **<u>प्रक्रिया/विवेचना</u>**

- थाने अथवा पुलिस कंट्रोल रूम पर हत्या की सूचना पर निकटतम पुलिस पेट्रोल को घटना स्थल पर पहुॅचने के लिए सूचित करना और निर्देशित करना कि घटना स्थल को येलोटेप से सुरक्षित रखेगें एवं अनाधिकृत व्यक्ति को घटनास्थल में प्रवेश करने से रोकेगें। पुलिस कंट्रोल रूम सूचना मिलने पर थाने को सूचना देगाा।
- थाने अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दूरभाष से मिलने पर सूचनाकर्ता को घटनास्थल सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित करना।
- घटनास्थल पर सम्बन्धित थाने के अतिरिक्त अन्य थानों व पुलिस कन्ट्रोलरूम यूपी-100 के वाहनों पर नियुक्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारी पहुॅचते हैं और उन्हे कोई जानकारी प्राप्त होती है तो रिपोर्ट सम्बन्धित थानों को प्रेषित करेगें ताकि इसका समायोजन विवेचना में किया जा सके।

डीजी परिपत्र संख्या
17/2017 दिनांक
18.07.17
40/2016 दिनांक
17.07.16
66/2015 दिनांक
26.09.15
31/2015 दिनांक
28.04.15
51/2015 दिनांक
12.07.15
52/2015 दिनांक

- फील्ड यूनिट टीम(Field Unit Team) घटनास्थल पर पहुॅचकर भौतिक साक्ष्य विवेचक की मौजूदगी में एकत्रित करेगें।
- घटनास्थल का नक्शा किसी प्रमुख चिन्ह(लैण्ड मार्क) से दूरी मापकर बनाया जाए। घटनास्थल व शव की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करायी जाये, जिसमें चोट आदि के बगल में स्केल रखकर नम्बर के साथ किया जाये।
- य को चिन्हित व नम्बर अंकित करना चाहिए।
- क्या घटनास्थल बदला गया है, इस बिन्दु को भी देख लिया जाये तथा सम्बन्धित साक्ष्य(मिट्टी सादी तथा खून आलूदा आदि) बरामद की जाये।
- घटनास्थल पर पाये गये हथियार/शस्त्र/चाकू इत्यादि को ट्रीगर गार्ड से उठाया जाये, ताकि अभियुक्त के फिंगर प्रिन्ट लिये जा सके।
- मृतक के मोबाइल को कब्जे में लेकर उसका विश्लेषण कर अपराधियों के बारे में पता लगाया जा सकता है।
- मृतक के रक्त का नमूना सुरक्षित रखा जाये।
- महिलाओं एवं छोटी लड़कियों की हत्या में शरीर/जननांगों पर चोट के कारण बलात्कार का संदेह हो तो विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन में भी इसका ध्यान रखा जाये।
- बलात्कार सहित हत्या के अपराधों में विवेचना के दौरान वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाये।

- धारा 161द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान के अभिलेखीकरण के साथ-साथ उसकी वीडियोग्राफी/आडियोग्राफी रिकार्डिंग करायी जाये।
- चश्मदीद साक्षियों का नाम और वह क्या-क्या सिद्ध करेंगे का विवरण।
- महिलाओं एवं बच्चों को बयान हेतु थाने पर न बुलाया जाये, बल्कि उनके निवास स्थान पर अंकित किया जाये।

➢ पंचायतनामा/पी0एम0

- पंचायतनामा सावधानीपूर्वक भरा जाये, ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई विरोधाभास न होने पाये।
- शव का विस्तृत सर्च अवश्य कर लिया जाये।
- यदि डाक्टर विसरा को प्रिजर्व कर लिया है तो उसे तुरन्त जॉच हेतु भेज दिया जाये।

ब्लांइड केसों का अनावरण-

जिन अपराधों में अभियुक्त के बारे में प्रथम दृष्टया कोई जानकारी नहीं होती है। उन केसों को वर्कआउट करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिएः-

- घटना घटित क्षेत्र में उक्त अपराध में क्रियाशील अपराधियों के बारे में पतारसी, सुरागरसी किया जाना लाभदायक होता है।
- Modus Operandiके आधार पर अपराधी या गिरोह की जानकारी करने का प्रयास करना चाहिए।
- अज्ञात अपराधों में इलेक्ट्रानिक सर्विलांस का उपयोग भी किया जाना चाहिए।
- ऐसे मामलों में मुखबिरों को लगाना चाहिये।
- अनावरण करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- विवेचना में पर्यवेक्षक अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाये।

लूट/डकैती के अपराध से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना के सन्दर्भ में (SOP)

➢ **उद्देश्यः-डकैती से सम्बन्धित अपराधों की त्वरित, गुणवत्तापरक एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों को विवचेना में समाहित कर अनावरण/माल बरामदगी करते हुये दोषियों को मा0 न्यायालय में दण्डित कराना।**

➢ **प्रक्रिया/विवेचना**

डीजी परिपत्र संख्या
17/2017 दिनांक 18.07.17
40/2016 दिनांक 17.07.16
66/2015 दिनांक 26.09.15
31/2015 दिनांक 28.04.15
51/2015 दिनांक 12.07.15
52/2015 दिनांक 12.07.

- डकैती की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल के समीप मौजूद पुलिस बल First Responder द्वारा तत्काल मौके पर पंहुचकरYellow Tape से घटना स्थल(एस0ओ0सी0) को संरक्षित किया जायेगा तथा क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष/विवेचक यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुँचकर निरीक्षण कर विवेचना प्रारम्भ कर देंगे। आरम्भिक विवेचना एवं घटनास्थल का मौलिक(Understood) निरीक्षण घटना की सत्यता बताता है अतएव जो भी सूचना जिस रूप में प्राप्त हो उसको विवेचना का अंग बनाया जाये। क्षेत्राधिकारी द्वारा घटनास्थल पर किये जाने वाले कार्य के लिए योजना बनाई जायेगी व कार्य को टीम के सदस्यों के बीच विभाजित कर घटना स्थल का निरीक्षण विस्तार से किया जायेगा।
- फील्ड यूनिट अधिकारी के साथ मिलकर घटनास्थल से आवश्यक भौतिक साक्ष्य, वैज्ञानिक विधि से एकत्रित कर, भौतिक साक्ष्य को चिन्हित व क्रमांकित करते हुए तरतीब से पैकिंगकरेंगे।विवेचक द्वारा भौतिक साक्ष्यों का मेमों बनाया जायेगा।घटनास्थल की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी विभिन्न कोंणों (Angle) से करेंगे तथा घटनास्थल की स्पष्ट व मुखर नक्शा-नजरी बनायेंगें।
- घटनास्थल बन्द परिसर में होने की दशा में यह देखना कि कमरा बाहर से बन्द है अथवा अन्दर से बन्द है।
- विवेचक द्वारा घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों व पड़ोसियों व प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जाये। अपराधियों का हुलिया/बोली/भाषा की जानकारी की जाये व जनपद स्तर से पूर्व में क्रियाशील रहे अपराधियों के फोटोग्राफ प्रत्यक्षदर्शी को दिखाकर सुराग पता करने की कोशिश करना चाहिए। अभियुक्तों का स्कैच/फोटो कम्प्यूटर केन्द्र या एस0टी0एफ0 आदि में उपलब्ध साफ्टवेयर द्वारा तैयार कराकर फोटों को अखबारों में प्रकाशित कराया जाना चाहिए।
- Modus Operandi ज्ञात करके डी0सी0आर0बी0 के अभिलेखों के आधार पर अपराधी या गिरोह की जानकारी करक्षेत्र में उक्त अपराध में क्रियाशील अपराधियों के बारे में पतारसी, सुरागरसी किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्तइलेक्ट्रानिक सर्विलांस का उपयोग भी किया जाना चाहिए।
- परिस्थितिजन्य/मैटीरियल(असलहे, फायरमार्क, कारतूस, खोखे, फिंगर प्रिन्ट, खून के धब्बे इत्यादि) साक्ष्य :-
  परिस्थिति जन्य साक्ष्य/वैज्ञानिक साक्ष्य के बारे में यह निर्धारण कर लिया जाना चाहिये कि घटना स्थल पर क्या-क्या मैटीरियल साक्ष्य एकत्रित किया जाना है और उनमें से किन-किन बिन्दुओं पर वैज्ञानिक अभिमत, परीक्षण और विश्लेषण कराया जाना है।

- लूट एवं डकैती की घटनाओं का अन्वेषण कार्य अत्यधिक सतर्कता एवं दक्षता से करने की आवश्यकता होती है। प्रायः ऐसी घटना में प्रकाश में आये अभियुक्तों के मात्र उनके संस्वीकृति के आधार पर ही जेल भेज दिया जाता है और अन्य कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं किया जाता है, जिससे विचारण के दौरान अभियुक्तगण साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त हो जाते हैं। अतः विवेचना के दौरान अभियुक्तों एवं लूटी गयी सम्पत्ति की कार्यवाही शिनाख्त करायी जाये। साक्ष्य संकलन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए फुट प्रिन्ट एवं फिंगर प्रिन्ट घटना के समय अभियुक्तों का टावर लोकेशन सी0सी0टी0वी0 फुटेज, घटनास्थल पर अभियुक्तों द्वारा छोड़े गये सामान यथा जूता, अगौछा, बीड़ी सिगरेट के टुकड़े आदि को कब्जे में लेकर उनका विवेचना में समावेश किया जाये।
- विवेचना में पर्यवेक्षक अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- न्यायालय में विचारण के दौरान प्रभावी पैरवी करके अभियुक्तगण को सजा दिलाने की कार्यवाही की जाये।

लूट/डकैती से सम्बन्धित अपराधों के सन्दर्भ में निरोधात्मक कार्यवाही -

- विगत 10 वर्ष के कैश लूट एवं डकैती की घटना में नामजद/प्रकाश में आये अभियुक्तगण की गतिविधियों की जानकारी कर हिस्ट्रीशीट खोलने एवं निगरानी करने की कार्यवाही की जाये। जो अभियुक्तगण घर पर मौजूद नहीं है, इस बात की प्रबल सम्भावना होती है कि वे लूट के अपराध में संलिप्त होंगे। अतः उनका पता लगाकर निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
- बैकों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर लूट एवं डकैती के दिन व समय का विश्लेषण करके आवश्यकतानुसार गश्त एवं पिकेट लगाये जाये।प्रबन्धकों एवं स्वामियों से सम्पर्क कर परिसर में व उसके आस-पास सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवायें जाय, ताकिघटना घटित होने पर अपराधियों की पहचान करके घटना का अनावरण किया जा सके।
- घटना में प्रकाश में आये अभियुक्तगण की शत-प्रतिशत गिरफ्तारी करायी जाये।उनके विरूद्ध गैगेस्टर एवं एन0एस0ए0 की कार्यवाही कराकर अधिक से अधिक समय तक उन्हे जेल में निरूद्ध रखने का प्रयास किया जाये।
- भिन्न-भिन्न समय पर स्थान परिवर्तित करते हुए संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की चेकिंग कराकर अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की भौतिक रूप से तलाशी करायी जाये।
- कैश लूट एवं डकैती करने वाले अपराधियों की जानकारी करने के लिए अभिसूचना तंत्र को सुदृढ़ किया जाये। इसके लिए मुखबिरों, चौकीदारों, ग्राम प्रधानों, पुलिस मित्र व सम्भ्रान्त नागरिकों की भी सहायता ली जाये।
- ऐसे गैंग के सदस्यों/अपराधियों जिनका ठहरने का कोई निश्चित स्थान नही होता है, अधिकांशतः शहर/कस्बों के बाहरी इलाको, रेलवे लाइन, सड़कों के आस-पास, नदी, नाला अथवा तालाब के किनारेझुग्गी/डेरा आदि बनाते हैं। ऐसे अस्थायी डेरों पर चेकिंग करायी जाये किन्तु यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि किसी निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक परेशान न किया जाये।

- जनपद में ऐसे अपराधियों के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु किसी राजपत्रित अधिकारी के अधीन अच्छे सुरागरसी करने वाले पुलिसकर्मियों की टीम बनाकर ऐसे अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही करने हेतु जिम्मेदार बनाया जाये।
- जनपद में विगत वर्षों में हुए ऐसे सभी अपराधों में प्रकाश में आये एवं गिरफ्तार अपराधियों की सूची तैयार कराकर उनकी वर्तमान स्थिति ज्ञात कर उनके विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करायी जाये।
- ऐसे अपराधियों के जमानतदारों का पता लगाकर उनकी भी सूची तैयार कराकर आवश्यकतानुसार उनके विरूद्ध भी प्रभावी कार्यवाही की जाये।
- थानाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर फुट पैट्रोलिंग करते समय या गस्त के दौरान अपने क्षेत्र के बैकों/एटीएम, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के सम्बन्ध में आकस्मिक निरीक्षण किया जाये एवं बैक प्रबन्धन से मुलाकात कर थाना क्षेत्र में स्थापित एटीएम मशीनों की सूची प्राप्त किया जाये।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी के स्तर से आवश्यकतानुसार बैंक प्रबन्धन के साथ परस्पर समन्वय स्थापित किये जाने हेतु गोष्ठी आयोजित की जाये। इसमें बैको की शाखाओ/एटीएम में Alarm System, CCTV आदि सुरक्षा उपकरण लगाने तथा एटीएम जनपदों में सुरक्षित स्थानों पर लगाये जाने का परामर्श दिया जाये।

फिरौती हेतु अपहरण के अपराधों से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना हेतु (SOP)

➢ **उद्देश्यः-फिरौती हेतु अपहरण से सम्बन्धित अपराधों की विवेचना में तत्परता व संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपहृत व्यक्ति को सकुशल बरामद कराना।**

➢ **प्रक्रिया/विवेचना**

- फिरौती हेतु अपहरण से सम्बन्धित अपराधों में अविलम्ब प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 364ए भादवि दर्ज कर कार्यवाही की रूपरेखा का निर्धारण करना चाहिये।
- अपहृत की उम्र, पृष्ठभूमि, उसके माता-पिता तथा नाते-रिश्तेदारों के विषय में जानकारी सभी स्रोतों से एकत्रित कर ली जाये।
- अपहरण का स्थान, अपहरणकर्ता द्वारा प्रयुक्त वाहन, अपहरणकर्ता की मॉग,अपहरणकर्ता एवं अपहर्त के बीच सम्बन्ध,क्या अपहरणकर्ता पहले से जानने वाले हैं? किसी व्यक्ति से किसी प्रकार की दुश्मनी है, के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित कर ली जाय।
- फिरौती हेतु अपहरण के मामलों में 24घंटे के अन्दर अपहर्त/अपहर्ता का फोटो सहित पूर्ण विवरण प्राप्त कर प्रदेश एवं भारतवर्ष के अन्य राज्यो, में अपहर्त/अपहर्ता का विवरण प्रेषित कर वहॉ से जानकारी हासिल किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर इसका उल्लेख अभियोग दैनिकी में किया जाये।
- यदि स्कूल के बच्चे हैं तो क्या किसी ने गाड़ी अथवा मोटरसाइकिल का नम्बर नोट किया है।
- टेलीफोन से कॉल आती है तो कॉलर आइडेन्टी लगाये तथा टेलीफोन एक्सचेन्ज से विवरण प्राप्त करें।यदि अपहर्त व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है तो उसका नम्बर प्राप्त कर उसे डायवर्जन पर लगाया जाये तथा इलेक्ट्रानिक सर्विलांस के अन्य उपाय भी किये जाये।
- अपहर्त/अपहर्ता का सम्भावित स्थानों पर गहराई से छानबीन करायी जाये।
- फिरौती हेतु अपहरण की घटनाओं में विशेष अपराध आख्या, अपराध पत्रावली खोली जाये तथा प्रत्येक स्तर पर इनका पर्यवेक्षण किया जाये।
- अपहर्त/अपहर्ता की बरामदगी हेतु एक विशेष टीम का गठन किया जाये तथा आवश्यकतानुसार एस0टी0एफ0 की सम्बद्धता हेतु प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित किया जाये।

❖ **तकनीकी सहायता -**

- फिरौती हेतु अपहरण के मामलों में अविलम्ब अपहर्त/अपहर्ता का पूर्ण विवरण प्राप्त कर मोबाइल फोन नम्बरों को सर्विलांस पर लेकर अपहरणकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाये।
- नामित अभियुक्तों से की गयी पूछताछ की वीडियो रिकार्डिंग, अभियुक्त का पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग एवं नारको एनालिसिस टेस्ट कराये जाये। विधिक आवश्यकता पड़ने पर अभियुक्त को पुलिस रिमाण्ड पर लिया जा सके।

- यदि अवयस्क(बालक/बालिका) का अपहरण हुआ है तो Track the Missing Child.gov.in website पर विवरण और यदि वयस्क का हुआ है तोMissing Person.in वेबसाइट पर विवरण अपलोड कराये।

❖ **<u>प्रचार-प्रसार -</u>**

➢ विवेचना प्रारम्भ होते ही अपहृर्त/अपहृर्ता का हुलिया एस0सी0आर0बी0/एन0सी0आर0बी0,समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों को 24घंटे के अन्दर प्रेषित किया जाये तथा पम्पलेट छपवाकर उन्हे सार्वजनिक स्थानों, अनैतिक देह व्यापार चिन्हित क्षेत्रों पर चस्पा करावा दिया जाये।

➢ <u>फिरौती हेतु अपहरण की विवेचना का पर्यवेक्षण-</u>

- सम्बन्धित राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रत्येक दिन की कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी तथा सम्बन्धित अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा साप्ताहिक समीक्षा कर इसकी आख्या जनपदीय पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जायेगी।
- जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी में इन अपराधों की समीक्षा की जायेगी तथा मासिक आख्या परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक को प्रेषित की जायेगी।
- परिक्षेत्रीय पर्यवेक्षण अधिकारी पर्यवेक्षण के जनपदों में ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में घटनाओं की तीव्रता पर संवेदनशील इलाकों की समीक्षा कर स्थानीय स्तर पर मार्गदर्शन दें तथा जनपदों में ताल-मेल बनायें ताकि इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों को सूचीबद्ध कर उनके विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही हो सके।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने प्रथम पर्यवेक्षण आख्या में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि उपरोक्त कार्यवाहियॉं कहाँ तक सुनिश्चित की गयी है और यदि किसी बिन्दु पर कार्यवाही नही की जा सकी है तो उसका क्या कारण है ? यदि कारण संतोषजनक नही है तो सम्बन्धित के विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

❖ **<u>विशिष्ट इकाईयों की सहायता -</u>**

- जनपदीय स्तर पर इस प्रकार के प्रकरणों में सहायता हेतु यदि सम्बन्धित जनपद प्रभारी उचित समझते हैं तो एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, महिला चाइल्ड हैल्पलाइन एवं गैर सरकारी संगठनों की सहायता अपने विवेक से ले सकते हैं।
- अपने परिक्षेत्रीय पर्यवेक्षण अधिकारियों से समन्वय बनाकर यदि उचित समझे तो एस0टी0एफ0 से मदद ली जा सकती है।

महिला अपराध से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना

बलात्कार के अपराधों की विवेचना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश हेतु (SOP)-

➢ प्रक्रिया/विवेचना

- सूचना प्राप्त होने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों सहित पुलिस अधीक्षक को अवगत कराते हुये विवेचक व थानाध्यक्ष घटनास्थल पर तत्काल पहुंचे, जिससे महत्वपूर्ण साक्ष्य विलुप्त न हो पायें।
- बलात्कार की सूचना प्राप्त होने पर महिला पुलिस अधिकारी के साथ विवेचक घटनास्थल का निरीक्षण बारीकी से करेगें एवं अभियुक्त द्वारा कोई वस्तु छोड़ी गयी है तो उसे साक्ष्य के रूप में संकलित किया जायेगा। यथा सम्भव यह प्रयास किया जायेगा कि विवेचक स्वयं महिला हो।
- पीड़िता महिला के अन्तःवस्त्र उसकी सहमति से यथाशीघ्र सुरक्षित कर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे जाये।पीड़िता का तत्काल 164(ए) द0प्र0सं0 के प्राविधानों के अनुसार चिकित्सकीय परीक्षण एवं उपचार तथा164द0प्र0सं0 बयान भी कराया जाये। पीड़ित महिला से पूछताछ महिला अधिकारी के द्वारा ही की जाये और पीड़िता से प्रश्न करते समय उसकी मर्यादा एवं गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाये।

डीजी परिपत्र संख्या
40/2016 दिनांक 17.07.16
04/2015 दिनांक 14.01.15
28/2015 दिनांक 20.04.15
31/2015 दिनांक 28.04.15
44/2015 दिनांक 15.06.15
51/2015 दिनांक 12.07.15
13/2013 दिनांक 17.04.13
16/2013 दिनांक 29.04.13
19/2013 दिनांक 06.05.13
डीजी-सात-एस-2ए(निर्देश)/
2013 दिनांक 12.04.13
73/2007 दिनांक 31.08.07
15/2008 दिनांक 9.02.08
50/2012 दिनांक 26.10.12
एडीजी-एलओ 12/2001
दिनांक 15.12.01

- यदि पीड़िता अल्पव्यस्क महिला हो तो पाक्सो ऐक्ट(POCSO Act) 2012 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।
- गवाहों को बयान हेतु थाने पर बुलाया जाये किन्तु महिलाओं एवं बच्चों को बयान हेतु थाने पर कदापि न बुलाया जाये, बल्कि उनके निवास स्थान पर अंकित किया जाये।
- द0प्र0सं0 की धारा 161(3) के अन्तर्गत गवाहों के बयान की आडियो/वीडियो रिकार्डिंग की जाये।
- द0प्र0सं0 की धारा 164(ए) के अन्तर्गत बलात्कार की जीवित पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण 24घंटे के अन्दर उसकी स्वयं की सहमति या अभिभावक की सहमति से कराया जायेगा।
- विवेचक को बलात्कार का अपराध होने की सूचना प्राप्त होने एवं पीड़िता को महिला महानगरीय/महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यदि पीड़िता को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने में 24घंटे से अधिक समय लगता है तो अभियोग दैनिकी में इसका कारण अंकित करेगा और इसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- विवेचक इस बात का ध्यान रखेगा कि बयान में अंकित तथ्यों को धारा 173द0प्र0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र अथवा अंतिम रिपोर्ट किये जाने तक किसी के समक्ष प्रकट न किया जाये।
- विवेचक द्वारा धारा 53व 53(ए)(1) के प्राविधानों के अनुपालन में अभियुक्त का रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा। बलात्कार की घटना में संलिप्त अभियुक्त कीगिरफ्तारी के पश्चातबलात्कार के साक्ष्य के लिए उसका मेडिकल परीक्षण सरकारी

डाक्टर से अवश्य कराया जायेगा जिससे उसके द्वारा बलात्कार करने की पुष्टि हो सके तथा अपराध में संलिप्त होने का पर्याप्त आधार मिल सके। इस सम्बन्ध में अभियुक्त का सीमेन टेस्ट भी कराया जायेगा।

- चिकित्सकीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक, अभियुक्त तथा उसको प्रस्तुत करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम व पता नोट करने के पश्चात तत्काल उसका चिकित्सकीय परीक्षण करेगा। मेडिकल परीक्षण के समय चिकित्सक बलात्कार सम्बन्धी परिणाम निकालने के कारक जैसे अभियुक्त की आयु, उसके शरीर पर पाये जाने वाले चोटों के निशान, उसके शरीर के डीएनए प्रोफाइलिंग हेतु एकत्रित किये गये पदार्थों का विवरण अंकित करेगा। उक्त परीक्षण रिपोर्ट को विवेचक द0प्र0सं0 की धारा 173(5)(ई) के अनुपालन में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
- द0प्र0सं0 की धारा 53(2) के अन्तर्गत बलात्कार के अपराधों में परीक्षण में रक्त, रक्त के धब्बे, वीर्य, प्रयुक्त रूई के फाहे, पीड़िता के जनानांग में पाये जाने वाले अभियुक्त का वीर्य तथा अभियुक्त के जनानांग पर मौजूद पीड़िता के जनानांग के रक्त व स्रवित द्रव, आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए अंगुली के नाखूनों से पकड़ने का निशान, डीएनए प्रोफाइलिंग तथा अन्य आवश्यक परीक्षण सरकारी डाक्टर करेगा तथा उसे परीक्षण के लिए संरक्षित करेगा।
- किसी भी दशा में पीड़िता को थाने पर नहीं रखा जायेगा। यदि चिकित्सा की आवश्यकता होतो उसे चिकित्सालय में भर्ती कराया जायेगा अन्यथा स्वेच्छा पर घर जाने दिया जायेगा।
- बलात्कार सहित हत्या के अपराधों में पर्यवेक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि विवेचना के दौरान वैज्ञानिक तकनीकों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाये।
- धारा 173(1ए) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बच्चों के साथ हुए बलात्कार के अभियोगों की विवेचना तीन माह के अन्दर अवश्य पूरी कर ली जाये।
- धारा 166(ए) भादवि के अन्तर्गत यदि कोई लोकसेवक द्वारा धारा 376भादवि का अपराध पंजीकृत करने में असफल रहता है या पीड़िता को अवैधानिक रूप से थाने पर बुलाता है तो उसे छः माह से लेकर दो वर्ष तक के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।
- यदि वादी अथवा गवाहों को अभियुक्त पक्ष द्वारा डराया-धमकाया जाता है तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाये तथा अभियुक्त पक्ष के विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- न्यायालय में विचारण के दौरान यदि अधिकांश गवाह पक्षद्रोही हो रहे हो तो अभियुक्तों की जमानत निरस्त करने की कार्यवाही की जाये जिससे शेष गवाह पक्षद्रोही न हो सके।

महिलाओं के विरूद्ध हुए अपराधों तथा छेड़खानी, अम्ल आदि से हमला, लज्जा का अनादर करना, बलात्कार आदि के अपराधों की विवेचना में विवेचक द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया/निर्देशों के सम्बन्ध में (SOP)-

➢ प्रक्रिया/विवेचना

- प्रत्येक पुलिस थानें में एक महिला पुलिस अधिकारी/कर्मी हर समय उपस्थित रहेगी। महिलाओं के विरूद्ध अपराध की सूचना मिलती है तो महिला पुलिस अधिकारी पीड़ित महिला व उसके परिवार को सांत्वना व ढ़ाढस देकर उसे आश्वस्त करें।
- डियूटी आफिसर का यह दायित्व होगा कि वह कानूनी सहायता हेतु तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कानूनी सहायक स्वयंसेवी या अधिवक्ता को बुलायेगा, अगर पीड़ित महिला व उसके परिवार में अपने किसी अधिवक्ता को नहीं बुलाया है इस हेतु थाने पर ऐसे स्वयंसेवी अधिवक्ताओं की सूची होनी चाहिए जो महिला उत्पीड़न सम्बन्धी अपराध में पीड़िता की मदद करना चाहते हैं।
- अभियोग के पंजीकरण हेतु सूचना का अभिलेखीयकरण द0प्र0सं0 के संशोधन के अन्तर्गत, महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।यदि पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की है तो भा0द0वि0 में हुए संशोधन Protection of Children from Sexual Offences Act 2012के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें।
- यदि पीड़ित महिला शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है तो सूचना का अभिलेखीकरण पीड़िता के घर पर या उसके चयनित स्थान पर अनुवादक या विशिष्ट शिक्षक की मौजूदगी में किया जाये।
- प्रारम्भिक विवेचना की कार्यवाही कर विवेचक उपलब्ध महिला पुलिस अधिकारी के साथ तुरन्त पीड़ित महिला को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अस्पताल ले जायेगें।
- पीड़ित महिला का धारा 161 द0प्र0सं0 का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। किसी भी दशा में थाने या अन्यत्र स्थान पर नहीं बुलाया जायेगा। यह बयान पीड़ित महिला के घर पर एकान्त स्थान में ही लिया जाये। परिवार के सदस्य उपस्थित रह सकते हैं। पीड़िता के बयान धारा 164द0प्र0सं0 के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तत्काल कराया जायेगा।
- यदि पीड़िता 18 वर्ष से कम है तो विवेचक तत्काल बाल कल्याण समिति को अवगत करायेगें।
- किसी भी दशा में अभियुक्त को कार्यवाही शिनाख्त के अतिरिक्त पीड़िता के समक्ष नही लाया जायेगा।
- पीड़िता को रात्रि में थाने पर नही रखा जायेगा। यदि आवश्यकता पड़ती है तो पीड़ित महिला को उसके घर या महिला संरक्षण गृह में रूकवाया जायेगा।
- थानाध्यक्ष या विवेचक का यह दायित्व होगा कि वह पीड़ित महिला का वर्तमान व स्थायी पता अपने पास रखे व पीड़ित महिला को अवश्य सलाह दे कि वह अपना पता बदलने पर थानें को सूचित करें।

- महिलाओं के साथ घटित बलात्कार एवं हिंसा, दुर्व्यवहार आदि के प्रकरण में मीडिया को ब्रीफिंग करते समय महिला के आचरण, रहन-सहन, कपड़े पहनने के तरीके एवं उसके साथी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी न की जाये। घटना के सम्बन्ध में तथ्यों की पूरी जानकारी सत्य एवं प्रमाणिक विवरण प्रस्तुत किया जाये। किसी भी दशा में पीड़ित महिला पर उसके साथ हुये अपराध का दोष न मढ़ा जाये।
- यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 की उचित धाराओं का प्रयोग अवश्य हो।

➢ <u>एसिड अटैक (अम्ल हमला) की घटनाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी -</u>

- एसिड अटैक मामलों में अन्य कार्यवाही के साथ घटनास्थल का निरीक्षण एवं अभिलेखीकरण करते समयनिरीक्षण के समय विवेचक/थानाध्यक्ष यह भी पता करे कि जारक पदार्थ अभियुक्त द्वारा कहां से प्राप्त किया गया तथा इसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित उपजिलाधकारी (एस.डी.एम.) को दे।
- घटना स्थल के नक्शें में भौतिक साक्ष्य को चिन्हित करना व क्रमांक निर्धारित कर किसी प्रमुख (लैण्ड मार्क) से दूरियों का अंकन किया जाये। फील्ड यूनिट टीम से पैकिंग करना व विवेचक द्वारा भौतिक साक्ष्यों का सीजर मेमों पर स्वतन्त्र साक्षियों का हस्ताक्षर बनाना तथा फिंगर प्रिन्ट सैम्पल आदि का लेना।
- विवेचक द्वारा गवाहों के बयान के आधार पर घटना स्थल का पुनर्गठन करना।
- विवेचक द्वारा घटना स्थल पर मौजूद रहे व्यक्तियों और पड़ोसियों से पूछताछ कर एसिड अटैक से सम्बन्धित सामग्रियों का संकलन करना।
- विवेचक द्वारा पीड़िता का नाम पता व उसके सम्बन्धियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर अभियुक्तों के सम्बन्ध में वैमन्यस्ता आदि का विवरण संकलित करना।
- पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराकर घाव(Injury) के सम्बन्ध में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये।
- एसिड अटैक की घटना से तत्काल थानाध्यक्ष/विवेचक अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराये।
- केस डायरी सारगर्भित तथा तथ्यपरक लिखी जाये। विवेचक द्वारा धारा 161द0प्र0सं0 का बयान अभिलिखित करने के साथ-साथ 160(3) द0प्र0स0 प्राविधान के तहत बयान की आडियो/वीडियो की रिकार्डिंग भी करायी जाये।
- गवाहों की पहचान हेतु धारा 170द0प्र0सं0 के अनुसार गवाहों से बन्धपत्र भराया जाये।
- माननीय न्यायालय के समक्ष पीड़िता बयान धारा 164द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कराकर इन्जरी (Injury) रिपोर्ट एवं अन्य चिकित्सीय प्रमाण-पत्र को भी संलग्न किया जाये।

साइबर अपराध से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना हेतु (SOP)

साइबर अपराधों की घटनाओं के सन्दर्भ में विवेचक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही व विवेचना के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश -

Falling Standards of Investigation in Cyber Crime

कारण

विगत वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में जिस तीव्रता के साथ कम्प्यूटर के प्रयोग में वृद्धि उसी अनुपात में कम्प्यूटर से सम्बन्धी अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। साइबर अपराधों की विवेचना जटिल होती है, इन अपराधों से सम्बन्धित साक्ष्य अमूर्त्य होते है, इन अपराधों की विवेचना परम्परागत विवेचनाओं से अलग होने के साथ-साथ कम्प्यूटर नेटवर्क होने के कारण अत्यधिक जटिल भी होती है। इसके बढ़ते चलन से अपराधियों द्वारा नित्य नयी तकनीक का उपयोग कर हमारे समक्ष इनपर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की चुनौतियां समय-समय पर प्रस्तुत की जाती रही है। तकनीकी रूप से यह सम्भव है कि अन्य किसी देश में बैठा व्यक्ति किसी अन्य देश के नेटवर्क/इन्टरनेट का प्रयोग कर भारत(किसी अन्य देश में) अपराध कारित कर सकता है, इस प्रकार के साइबर अपराध का भिन्न-भिन्न देश में घटित होने के कारण इन अपराधों का अनावरण न केवल तकनीकी रूप से कठिन होता है वरन विभिन्न देशों के होने के कारण विवेचना में वैधानिक कठनाईयां भी आती है। विवेचको का साइबर अपराधियों के सापेक्ष इस क्षेत्र में अल्प तकनीकी ज्ञान होने के कारण इस प्रकार के अपराधों के अन्वेषण में आशातीत सफलता नहीं प्राप्त हो पाती है। अधिकांश विवेचको को साइबर से सम्बन्धित अपराधों के कारित होने के पश्चात घटना स्थल से क्या-क्या साक्ष्य एकत्रित किये जाने है तथा किन-किन वस्तुओं को किस प्रकार कब्जे में लिये जाने सम्बन्धी सही विधि का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण इन विवेचनाओं को सम्पादित करना सम्भव नहीं हो पाता है तथा अन्वेषक सही दिशा व लक्ष्य के अभाव में विवेचना को लम्बित रखता है। जिससे इंटरनेट, कम्प्यूटर, फोन कॉल आदि साक्ष्य को एक अवधि के पश्चात् प्राप्त किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है, परिणामस्वरूप विवेचक द्वारा इन मूलभूत साक्ष्यों के अभाव में विवेचना बिना अनावरण किये अंतिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त कर दी जाती है।

निवारण

ऐसे अपराधों के अन्वेषण के परिप्रेक्ष्य में यदि किसी विवेचना में संदिग्ध कम्प्यूटर से सम्बन्धित इलेक्ट्रोनिक सामग्री कोसर्च एवं सीज किया जाना हो तो विवेचक को अपने साथ स्टोरेज डिवाइस जैसे यू0एस0बी0, हार्डडिस्क, पेनड्राइव, स्क्रू-ड्राइवर, दस्ताने, पैकिंग सामग्री जैसे रबर-बैण्ड, बवलरैप, फराडे बैग अथवा एल्यूमिनियम फॉयल, सादा कागज एवं फौटोग्राफी कैमरा आदि आवश्यक सामग्री को साथ में लेकर घटना स्थल पर जाना चाहिए तथा केवल वह ही सामग्री पुलिस कब्जे में ली जानी चाहिए जिसका अपराध से सम्बन्ध हो। जब्तीकरण की कार्यवाही के दौरान 02 स्वतंत्र गवाह अवश्य रखने चाहिए ताकि इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के अतिरिक्त गवाही में अभियोजन को मदद मिले सकें।यह अत्यन्त आवश्यक है कि घटना स्थल पर संदेही अथवा अभियुक्त को इस बात की अनुमति न दी जाए कि वह अपराध मे प्रयुक्त कम्प्यूटर के किसी भाग को किसी भी प्रकार से प्रयोग

डीजी परिपत्र संख्या
17/2016 दिनांक 16.03.16
75/2013 दिनांक 31.12.13
44/2013 दिनांक 05.08.13

करे, क्योंकि अभियुक्त द्वारा एक KEY दबाने या माउस के एक Click मात्र से ही पूरा का पूरा डाटा नष्ट हो सकता है या Data Tamper हो सकता है, साथ ही कम्प्यूटर के डाटा को नेटवर्क के जरिये वायरलेस के माध्यम से नष्ट किया जाना अत्यन्त आसान है, अतः संदिग्ध को कम्प्यूटर से तुरन्त दूर कर देना चाहिये तथा अन्य किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा भी कम्प्यूटर को Operate नही किया जाना चाहिये।यह भी ध्यान रहे कि घटनास्थल पर यदि Laptop/Computer Off हो तो On न किया जाय। यदि Laptop घटनास्थल पर Onस्थिति में प्राप्त हुआ है तो उसकी Battry निकाल कर Off किया जाये।

यदि अपराध कारित करने के लिये किसी बेवसाइट का प्रयोग किया गया है तो बेवसाइट के hosting serverproviderके बारे में विस्तृत जानकारी करें। बेवसाइट के Administratorको आवश्यक Log सुरक्षित रखने एवं उपलब्ध कराने हेतु धारा 91 द0प्र0स0 कें अन्तर्गत लिखित आदेश(Written Order) जारी करे। यदि वेब सर्वर अन्य देश में स्थित हो तो MLAT(Mutual Legal Assistance Treaty)के प्रावधानों का प्रयोग कर धारा 166ए द0प्र0सं0 के तहत सूचना मॉगने हेतु मा0 न्यायालय द्वारा साक्ष्य के लिए पत्र (Letter Rogatory) जारी कराकर अग्रिम कार्यवाही करें। किसी भी घटना स्थल पर सर्च करने से पहले विवेचक द्वारा यह भी निर्णय लिया जाना चाहिए कि सम्बन्धित हार्डवेयर/डाटा को कहॉ रखना है जिससे सीज किये जाने के उपरान्त सुरक्षित तरीके से कम्प्यूटर फारेंसिक लैब में परीक्षण हेतु भेजा जा सके। डाटा को मौके पर ही सीज किया जाना श्रेष्यकर रहता है क्योंकि इससे अनावश्यक हार्डवेयर को साथ मे नही ले जाना पडता है। अतः इस सम्बन्ध में डाटा को डाउनलोड तथा Analysis हेतु यथासम्भव ComputerForensic Expertकी मदद ली जाए, जिसके द्वारा सम्बन्धित को मौके पर ही डाटा को मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु संरक्षित किया जाए। यदि मौके पर Computer Forensic Expertन उपलब्ध हो तो विवेचक को सभी सम्बन्धित सामग्री को सीज कर लेना चाहिए। घटना स्थल को सर्च करते समय प्रत्येक Digital Deviceजैसे-P.D.A.,मोबाईल, MP3 Player,Camera,Flash Cards,Print Outs,Software /Data Disk, अन्य Missing Parts, स्टोरेज डिवाइसेस को भी आवश्यक साक्ष्य की दृष्टि से कब्जे में लिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त की-बोर्ड/माउस से फिंगर प्रिन्ट भी ले लेना चाहिए। यदि कोई प्रिन्टर घटनास्थल पर मौजूद हो तो उसको भी चेक कर लेना चाहिये, यह सम्भव है कि उसमें कोई प्रिन्ट कमान्ड दी गयी हो और पेपर न होने के कारण प्रिन्ट न निकल पाया हो तथा प्रिन्टर की इन्डीकेटर लाइट जल रही हो, ऐसी परिस्थिति में प्रिन्टर में पेपर लगाकर प्रिन्ट आउट ले लेना चाहिये (ध्यान रहे कि ऐसा करने के समय आपको कम्प्यूटर या लैपटाप इत्यादि को आपरेट नही करना है)। सीज करते समय सभी उपकरणों के Item का नाम, Make,Model,Serial Number, सीज करने का समय इत्यादि अवश्य लिपिबद्ध करना चाहिए। यदि Network अथवा Mainframe भी अपराध से सम्बन्धित है तो कम्प्यूटर को disconnect न करें, व ऐसे मामले में निश्चित रूप से कम्प्यूटर फोरेंसिक विशेषज्ञ की मदद से ही अग्रेतर कार्यवाही की जानी चाहिए। घटनास्थल पर मुआयना करते समय उपकरण किस प्रकार एक-दूसरे से जुडे हैं, को भी लिपिबद्ध कराये। घटना स्थल से कम्प्यूटर सम्बन्धित सभी मैनुअल, उससे जुडे हुए सभी डिवाइस मुख्यतः साफ्टवेयर,ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य सम्बन्धित सामाग्रियों को भी सीज कर लिया जाना चाहिए। घटनास्थल से अपराध से सम्बन्धित कम्प्यूटर के सभी पार्ट को अलग-थलग करने की समस्त कार्यवाही कर लेनी चाहिए तत्पश्चात उसे फॉरेसिंक लैब भेजे जाने हेतु अत्यन्त सावधानीपूर्वक एण्टी स्टैटिक प्लास्टिक बबल (Anti-static Plastic Bubble) का प्रयोगकर पैकिंग कर लेनी चाहिए ताकि परिवहन करते समय कम्प्यूटर के किसी Part को कोई नुकसान न पहुँचे। कम्प्यूटर से सम्बन्धित समस्त Part को उसी कम्प्यूटर के साथ रखना चाहिए ताकि उसे पुनः संरचना (Reconstruct) करने मे आसानी रहे।

उपरोक्त सावधानियों एवं प्रक्रिया के अतिरिक्त यह भी परम आवश्यक है कि अभियोग की केस डायरी लिपिवद्ध करने से पूर्व उपलब्ध सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक/तकनीकी आधार पर विश्लेषणोपरान्त् ही प्रासंगिक अभिलेखीकरण किया जाए। यह भी आवश्यक है कि ऐसी विवेचाओं के सम्पादन हेतु विवेचक को

इलेक्ट्रोनिक साक्ष्यों से सम्बन्धित डाटा शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर लेना चाहिये ताकि समयावधि समाप्ति के पश्चात् डाटा विनिष्ट न हो सकें। चरण बद्ध तरीके से वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्रित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अकाट्य साक्ष्य संकलित कर न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दण्डित किया जा सकता है।

भविष्य की चुनौतियाँ

जैसा की हम सभी विदित है कि अपराधीगण अब परम्परागत अपराधों के बजाय ऐसे अपराधों की तरफ अग्रसरित हो रहें है जिसमें बिना किसी खतरे के अधिकाधिक धन प्राप्त किया जा सके तथा ऐसे अपराधों में उनके विरूद्ध साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया अत्यन्त दुरूह एवं दुष्कर हो जैसा कि साइबर अपराधों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 से अद्यतन साइबर अपराध से सम्बन्धित आकड़ो के अध्ययन से स्पष्ट है कि साइबर अपराधों में Squaring Rateसे बढ़ोत्तरी हो रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि उच्च शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति इन अपराधों में संलिप्त हो रहें है। जिसके लिये यह आवश्यक है कि पुलिस विभाग में तकनीकी ज्ञान वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का समावेश किया जाये एवं विवेचना में तकनीकी विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया जाये ताकि इस प्रकार के अपराधों का शत-प्रतिशत सफल अनावरण करते हुए अधिकाधिक अपराधियों को सजा दिलाकर इस प्रकार के अपराधों में अंकुश लगाया जा सके।

यदि किसी विवेचना में संदिग्ध कम्प्यूटर नेटवर्क अथवा कम्प्यूटर से सम्बन्धित इलेक्ट्रानिक सामग्री को सीज किया जाना हो तो Search and Seizureहेतु आवश्यक निम्नाकित हार्डवेयर, कम्प्यूटर फोरेंसिक साफ्टवेयर एवं अन्य सामग्री को साथ में ले जाना चाहिये-

- स्टोरेज डिवाइस (**Storage device**):-यू0एस0बी (USB), हार्ड डिस्क (Hard Disk), पेन ड्राइव (Pen Drive) इत्यादि:-इनका प्रयोग कम्प्यूटर से फाइलों की इमेंज तैयार करने हेतु किया जा सकता है।
- लेबलिग मटेरियल(Labeling Material):-लेबल का प्रयोग केबल्स पर एवं कम्प्यूटर के सॉकिट पर लिखने के लिए किया जाता है ताकि यह जानकारी हो सके कि घटनास्थल पर कम्प्यूटर से सम्बन्धित पोर्ट किन-किन सॉकिट में लगे थे।
- स्क्रूडाइवर(Screwdrivers) और अन्य आवश्यक औजार:-जिसकी मदद से कम्प्यूटर के पुर्जो को अलग करने में सहायता मिल सके।
- दस्ताने (Gloves):-सर्च या सीज करते समय दस्ताने पहनकर ही कार्य किया जाना चाहिए।
- पैकिंग सामाग्री (Packing Materials):-रबर बैण्ड (Rubber Bands), टेप (Tape), बक्से (Boxes), बबल रैप (Bubble wrap), एण्टी स्टैटिक बबल रैप (Anti-static Plastic Bubble wrap), फैराडे बैग (Faraday Bag) आदि। यदि एण्टी स्टैटिक बबल रैप उपलब्ध न हो तो कागज का लिफाफा प्रयोग किया जा सकता है।
- कैमरा(Camera):-वीडियो रिकार्डिग तथा घटना स्थल की फोटो खीचने हेतु।
- माल हिरासत मे लेने हेतु चेन, रिपोर्टशीट तथा अन्य प्रपत्र जो सीजर हेतु आवश्यक हो।
- वॉलेटाइल डाटा(Volatile Data) कलेक्शन किट:-यदि कम्प्यूटर ऑन अवस्था में प्राप्त हो तो सम्बन्धित साफ्टवेयर एवं तकनीकी मदद से वॉलेटाइल डाटा एकत्र किया जाना चाहिये। उक्त के अतिरिक्त पोर्टेबल कम्प्यूटर फारेंसिक किट यदि उपलब्ध हो तो अवश्य साथ में ले जानी चाहिये।

- अन्य सामग्री(Other Materials):-स्केल, मेजरिंग टेप, नोट पैड, स्कैच पैड, पेन, पेन्सिल, परमानेन्ट मार्कर।
- चेन आफ कस्टडी रिपोर्ट शीट(Chain Of custody Report Sheets)एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र।
- Electronic Evidence Container.

➢ कम्प्यूटर या कम्प्यूटर नेटवर्क द्वारा कारित किये गये अपराध के सम्बन्ध में घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त विवेचक को निम्न महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहियेः-

- यह अत्यन्त आवश्यक है कि घटना स्थल पर संदेही अथवा अभियुक्त को इस बात की अनुमति न दी जाए कि वह अपराध में प्रयुक्त कम्प्यूटर के किसी भाग को किसी भी प्रकार से प्रयोग करे, क्योंकि अभियुक्त द्वारा एक KEYदबाने या माउस के एक Click मात्र से ही पूरा का पूरा डाटा नष्ट हो सकता है या Data Tamper हो सकता है, साथ ही कम्प्यूटर के डाटा को नेटवर्क के जरिये वायरलेस के माध्यम से नष्ट किया जाना अत्यन्त आसान है, अतः संदिग्ध को कम्प्यूटर से तुरन्त दूर कर देना चाहिये तथा अन्य किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा भी कम्प्यूटर को Operateनही किया जाना चाहिये।
- यदि कोई कम्प्यूटर System किसी Physical Network (LAN, Fiber Optic, Cables, Telephones,Wi-Fi अथवा Wi-Max Wireless-Networkयहॉ तक कि मोबाइल फोन जिसमें Wireless Communication Portसे जुड़ा हो तो ऐसी परिस्थितियों मे विवेचक को अत्यन्त सतर्क रहते हुए एक कम्प्यूटर विशेषज्ञ से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाना चाहिए यदि विशेषज्ञ मौके पर उपलब्ध नही हो तो उससे दूरभाष के जरिये सम्पर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
- जब कम्प्यूटर On/Sleep Mode में हो तो ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ की यथा सम्भव मदद ली जाए। विशेषज्ञ मौके पर मौजूद न हो तब दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क स्थापित करते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाए। कम्प्यूटर आन होने की स्थिति में Volatile Data Collectionहेतु Computer Forensic Expertकी मदद अवश्य प्राप्त करे।
- ध्यान रहे कि यदि घटना स्थल पर कम्प्यूटर Offहो तो उसे On नही करना चाहिए क्योंकि हैकर अपने सिस्टम में ऐसा प्राविधान कर सकता है कि On करते ही सम्बन्धित समस्त डाटा नष्ट हो जाए और ऐसा करने से कम्प्यूटर का Log भी बदल जायेगा तथा साक्ष्य की सत्यनिष्ठा प्रभावित होगी। इसलिये यदि कम्प्यूटर Offअवस्था में है तो उसे On नही किया जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रानिक साक्ष्य को उसी Off अवस्था में ही सीज किया जाना चाहिए।
- सीज करने से पहले डेक्सटॉप कम्प्यूटर के C.P.U. से Power Cable को हटाना चाहिये एवं सभी केबल को सम्बन्धित सॉकेट के साथ Labelling/Marking करते हुये फोटोग्राफी अवश्य करानी चाहिये।

➢ लैपटॉप प्राप्त होने की दशा में:-

- यदि लैपटाप आन है तोShutdownन करते हुये उसकी बैटरी निकालकर उसेSwitch Off करना चाहिये और यदि Off अवस्था में है तो उसे उपरोक्त के भांति बिना On किये हुये सीज कर लेना चाहिये।
- किसी भी प्रकार के स्टोरेज डिवाइस को सीज करने के लिये यथासम्भव Anti-static Packaging Bubble wrapका प्रयोग करना चाहिए।

➢ मोबाईल को सीज किये जाने से पूर्वः-

- यदि मोबाईल की बैटरी को निकाला जाना सम्भव है तो मोबाईल की बैटरी को निकाल देना चाहिए। अन्यथा बैटरी न निकल पाने की स्थिति में मोबाईल को सीज करने के लिये फैराडे बैग का प्रयोग करना चाहिए। फैराडे बैग (Faraday Bag) न होने की दशा में एल्यूमिनियम फॉइल (Aluminium foil)से मोबाईल को चार से पॉच बार चारो ओर से कवर कर लेना चाहिए, जिससे मोबाईल की Connectvity समाप्त हो जाए, या फिर मोबाईल फोन को फ्लाइट मोड में भी किया जा सकता है।
- यदि अपराध कारित करने के लिये किसी बेवसाइट का प्रयोग किया गया है तो बेवसाइट के hosting server providerके बारे में विस्तृत जानकारी करें। बेवसाइट के Administratorको आवश्यक Log सुरक्षित रखने एवं उपलब्ध कराने हेतु धारा 91 द0प्र0स0 कें अन्तर्गत लिखित आदेश(Written Order) जारी करे। यदि वेब सर्वर अन्य देश में स्थित हो तो MLAT(Mutual Legal Assistance Treaty)के प्रावधानों का प्रयोग कर धारा 166ए द0प्र0सं0 के तहत सूचना मॉगने हेतु मा0 न्यायालय द्वारा साक्ष्य के लिए पत्र (Letter Rogatory) जारी कराकर अग्रिम कार्यवाही करें।
- किसी भी घटना स्थल पर सर्च करने से पहले विवेचक द्वारा यह भी निर्णय लिया जाना चाहिए कि सम्बन्धित हार्डवेयर/डाटा को कहॉ रखना है जिससे सीज किये जाने के उपरान्त सुरक्षित तरीके से कम्प्यूटर फारेंसिक लैब में परीक्षण हेतु भेजा जा सके। डाटा को मौके पर ही सीज किया जाना श्रेष्यकर रहता है क्योंकि इससे अनावश्यक हार्डवेयर को साथ में नहीं ले जाना पड़ता है। अतः इस सम्बन्ध में डाटा को डाउनलोड तथा Analysisहेतु यथासम्भव ComputerForensic Expertकी मदद ली जाए, जिसके द्वारा सम्बन्धित को मौके पर ही डाटा को मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु संरक्षित किया जाए। यदि मौके पर Computer Forensic Expertन उपलब्ध हो तो विवेचक को सभी सम्बन्धित सामग्री को सीज कर लेना चाहिए।
- घटना स्थल को सर्च करते समय प्रत्येक Digital Deviceजैसे-P.D.A., मोबाईल, MP3 Player,Camera,Flash Cards,Print Outs,Software /Data Disks, अन्य Missing Parts, स्टोरेज डिवाइसेस को भी आवश्यक साक्ष्य की दृष्टि से कब्जे में लिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त की-बोर्ड/माउस से फिंगर प्रिन्ट भी ले लेना चाहिए।
- यदि कोई प्रिन्टर घटनास्थल पर मौजूद हो तो उसको भी चेक कर लेना चाहिये, यह सम्भव है कि उसमें कोई प्रिन्ट कमान्ड दी गयी हो और पेपर न होने के कारण प्रिन्ट न निकल पाया हो तथा प्रिन्टर की इन्डीकेटर लाइट जल रही हो, ऐसी परिस्थिति में प्रिन्टर में पेपर लगाकर प्रिन्ट आउट ले

लेना चाहिये (ध्यान रहे कि ऐसा करने के समय आपको कम्प्यूटर या लैपटाप इत्यादि को आपरेट नही करना है)।

- सीज करते समय सभी उपकरणों के Item का नाम, Make, Model,Serial Number, सीज करने का समय इत्यादि अवश्य लिपिबद्ध करना चाहिए।
- यदि Network अथवा Mainframe भी अपराध से सम्बन्धित है तो कम्प्यूटर को disconnect न करें, व ऐसे मामले में निश्चित रूप से कम्प्यूटर फोरेंसिक विशेषज्ञ की मदद से ही अग्रेतर कार्यवाही की जानी चाहिए।
- घटनास्थल पर मुआयना करते समय उपकरण किस प्रकार एक-दूसरे से जुड़े हैं, को भी लिपिबद्ध कराये। घटना स्थल से कम्प्यूटर सम्बन्धित सभी मैनुअल, उससे जुडे हुए सभी डिवाइस मुख्यतः साफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य सम्बन्धित सामाग्रियों को भी सीज कर लिया जाना चाहिए।
- घटनास्थल से अपराध से सम्बन्धित कम्प्यूटर के सभी पार्ट को अलग-थलग करने की समस्त कार्यवाही कर लेनी चाहिए तत्पश्चात उसे फॉरेसिंक लैब भेजे जाने हेतु अत्यन्त सावधानी पूर्वक एण्टी स्टैटिक प्लास्टिक बबल (Anti-static Plastic Bubble) का प्रयोगकर पैकिंग कर लेनी चाहिए ताकि परिवहन करते समय कम्प्यूटर के किसी Part को कोई नुकसान न पहुँचे।
- कम्प्यूटर से सम्बन्धित समस्त Part को उसी कम्प्यूटर के साथ रखना चाहिए ताकि उसे पुनः संरचना (Reconstruct) करने मे आसानी रहे।
- घटना स्थल से सीज किये गये कम्प्यूटर उपकरणो को ऐसे बक्सों/वाहनो मे नही ले जाना चाहिए जिनमे झटके लगने की सम्भावना हो। इस प्रकार सीज किये गये कम्प्यूटर को सुरक्षित, ठण्डे, शुष्क स्थान पर रखना चाहिए तथा जेनरेटर से दूर रखना चाहिए क्योंकि जेनरेटर से निकलने वाले इलैक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स कम्प्यूटर के डाटा को नष्ट कर सकता है।
- विवेचक को इस बात का भी ध्यान रहे कि घटना स्थल पर जब्तीकरण की कार्यवाही के दौरान दो स्वतन्त्र गवाह होना आवश्यक है क्योकि ऐसा करने से न्यायालय में साक्ष्य देते समय किसी दुविधा की स्थिति उत्पन्न नही होगी।
- इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों को संकलित करते समय विवेचक को सम्बन्धित Administrator से भारतीय साक्ष्य अधिनियम-1872 की धारा 65ए एवं 65बी के प्राविधानों के तहत आवश्यक प्रोफार्मा सर्टिफिकेट प्राप्त कर न्यायालय मे प्रस्तुत करना चाहिए,क्योकि बिना उपरोक्त प्रोफार्मा सर्टिफिकेट के आपके द्वारा संकलित किये गये साक्ष्य मा0 न्यायालय में ग्राह्य नही होगें।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (I.T Act) के अध्याय 11 की सुसंगत धाराओ में अपराधों को वर्णित किया गया है एवं अध्याय 13 की धारा 80 में प्रवेश करने,तलाशी लेने आदि की पुलिस अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों की शक्ति का उपबन्ध करती है, द0प्र0स0 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी कोई पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा तथा वहॉ पाये गये किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकेगा जो युक्ति-युक्त रूप से संदिग्ध व्यक्ति है या जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है या कर रहा है या करने वाला है।

आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा में जांच/विवेचना एवं उनके पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

आर्थिक अपराध के प्रकरणों की गुणवत्ता परक विवेचना हेतु (SOP)

➢ **विवेचनाधिकारी के कर्तव्यः-**

1. केस डायरी विवेचनात्मक कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। प्रत्येक विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही का अंकन धारा 172 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत केस डायरी में किया जाता है। विवेचना का पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा किया जाता है। किसी भी न्यायालय द्वारा केस डायरी का उपयोग साक्ष्य हेतु नहीं अपितु वाद विचारण हेतु अपने सहयोग के लिए किया जा सकता है, अतः इसको अर्थपूर्ण तरीके से पठनीय हस्तलेख में लिखा जाना अनिवार्य है।

2. केस डायरी में प्रत्येक दिवस की विवेचनात्मक कार्यवाही का विवरण जो अभियोग के सफल अनावरण एवं विवेचना में प्रगति हेतु उठाये गए होंतथा सभी साक्षियों के वर्तमान एवं स्थायी पते व मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से केस डायरी में अंकित किए जाने चाहिए।

3. पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा जांच/विवेचना के दौरान दिए गए पर्यवेक्षण सम्बन्धी निर्देशों एवं अभियोजन अधिकारियों द्वारा पत्रावली पर दिये गए विधिक अभिमत का उल्लेख केस डायरी में उल्लिखित नहीं किया जाना चाहिए, अपितु इन निर्देशों के क्रम में की गयी कार्यवाही केस डायरी में समाहित की जानी चाहिए।

4. केस डायरी में अंकन पूर्व मुद्रित(छपे हुए) प्रारूप में ही होना चाहिए। यह प्रारूप क्रमांकित(Numbered) है और इसी क्रम में ही केस डायरी में अंकन किया जाना चाहिए।

5. विवेचना/जांच आवंटित किए जाने के पश्चात विवेचक को Investigation Plan/जांच की योजना अपने पर्यवेक्षण अधिकारी व अभियोजन अधिकारी से वार्ता के उपरान्त तैयार करना चाहिए। इस जांच/विवेचना की योजना पर पुलिस अधीक्षक, अभियोजन अधिकारी व जांचकर्ता/विवेचक के हस्ताक्षर होंगे। इस योजना के अनुमोदनोपरान्त ही विवेचनात्मक/जांच की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

6. केस डायरी की कार्बन प्रति विवेचनाधिकारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी। इसी प्रकार जांच प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक को भेजी जाने वाली आख्या की कार्बन प्रति जांचकर्ता अपने पास

रखेंगे। यदि किसी विशेष कारणवश उच्चाधिकारियों के आदेश से विवेचना/जांच किसी अन्य विवेचनाधिकारी/जांचकर्ता को सौंपी जाती है, तो पूर्व विवेचक/जांचकर्ता द्वारा यह कार्बन प्रति नए विवेचक/जांचकर्ता को प्रदान की जाएगी व इसकी प्राप्ति ली जाएगी। विवेचना पूर्ण रूप से समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक दशा में उक्त कार्बन प्रति भी विवेचनाधिकारी द्वारा अभिलेखागार में दाखिल कर दी जाएगी।

7. यदि किसी विवेचना में सक्षम अधिकारी द्वारा मुख्य विवेचक के साथ सह विवेचक भी नियुक्त किए गए हों तो प्रत्येक सह विवेचक द्वारा भी केस डायरी संधारित की जाएगी। यह केस डायरी सप्लीमेन्ट्री केस डायरी (SCD) कहलाएगी। सभी सप्लीमेन्ट्री केस डायरीज मुख्य विवेचक द्वारा रिकार्ड पर ली जाएंगी व उनका सार अपनी मुख्य केस डायरी में अंकित किया जाएगा। सह विवेचक द्वारा सप्लीमेन्ट्री केस डायरी बिना किसी विलम्ब के मुख्य विवेचक को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। मुख्य विवेचक द्वारा अपने पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जाने वाली मुख्य केस डायरी के साथ सभी सप्लीमेन्ट्री केस डायरी भी संलग्न किया जाना आवश्यक है।

8. केस डायरी की दोनो प्रतियों में सभी संलग्नक जैसे कि गवाहों के बयान की प्रतियां, seizure memo इत्यादि समाहित होने चाहिए, परन्तु विवेचनाधिकारी द्वारा विभिन्न संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों से किया जा रहा दैनिक पत्राचार समाहित होना आवश्यक नहीं है।

<u>अभियोजन अधिकारी के कर्तव्य :-</u>

1. अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रत्येक जांच/विवेचना की योजना(Investigation Plan) तैयार कराने में विवेचक/जांचकर्ता को सहयोग दिया जाएगा तथा इस योजना पर उनके द्वारा हस्ताक्षर भी किए जाएंगे।

2. अभियोजन अधिकारियों द्वारा विधिक बिन्दुओं पर जांचकर्ता/विवेचनाधिकारी/पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर आवश्यकतानुसार अपना मत दिया जाएगा, परन्तु जांच/विवेचना के पर्यवेक्षण में कोई सीधी भूमिका नहीं होगी।

3. जांच/विवेचना प्रकरण की समस्त जांच/विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस अधीक्षक को एल0पी0आर0 तैयार कराने में सहयोग हेतु जांच/विवेचना के सम्बन्ध में अपनी आख्या तैयार कराकर, पत्रावली प्राप्त होने के 10 दिवस के अन्दर पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जाएगी।

मुख्यालय स्तर से निर्गत विभिन्न परिपत्र

डीजी परिपत्र संख्या -17 /2017

सुलखान सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकःजुलाई 18, 2017

विषयः-हत्या, बलात्कार, डकैती आदि गम्भीर एवं संवेदनशील अपराधों की विवेचना, विवेचना का पर्यवेक्षण, अभियुक्त की गिरफ्तारी, जमानत का विरोध एवं जमानत निरस्त्रीकरण के संबंध में दिशा-निर्देशः-

प्रिय महोदय,

क्रिमि0मिस0रिट याचिका सं0 1648/2017 राम किशन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा क्रि0 मिस0 रिट याचिका सं0-2739/2017 रामहरि शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.05.2017 द्वारा अभियुक्त की जमानत, जमानत का विरोध एवं जमानत निरस्त्रीकरण संबंधी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों को समाहित करते हुए एडवायजरी/परिपत्र जारी किये जाने एवं संवेदनशील अभियोगों की त्वरित, न्याय संगत एवं निष्पक्ष विवेचना की आवश्यकता तथा पीडित और जनता में अपराध की विवेचना के प्रति विश्वास के सुदृढीकरण तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संवेदनशील मामलों की विवेचना के पर्यवेक्षण के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है ।

अतः समय-समय पर उपरोक्त विषयक निर्गत विभिन्न दिशा-निर्देश के अनुक्रम में मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश द्वारा दिये गये निर्देशों का समवेश करते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते है :-

<u>1. विवेचना-</u>

डीजी-परिपत्रस0-40/2016 दिनांक 17.07. 2016
डीजी-परिपत्रस0-66/2015 दिनांक 20.09. 2015
डीजी-परिपत्र स-31/2015 दिनांक 28.04. 2015
डीजी-परिपत्र स-51/2015 दिनांक 12.07. 2015
डीजी-परिपत्र स-52/2015 दिनांक 12.07. 2015
डीजी-परिपत्र स-44/2015 दिनांक 15.06. 2015
डीजी-परिपत्र स-41/2013 दिनांक 01.08. 2013
डीजी-परिपत्र स-67/2013 दिनांक 09.12.

2013

अपराध के घटना स्थल के निरीक्षण के उपरान्त तुरन्त विवेचना की रूप-रेखा तैयार की जाये और उसी के अनुरूप विवेचना की जाये। विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर रूप-रेखा को संशोधित करते रहें। विवचेना के उपरान्त मामले का परीक्षण सम्बन्धित अभियोजन अधिकारी से कराते हुए आवश्यकतानुसार परामर्श में इंगित बिन्दुओ पर अग्रेतर विवेचना समयबद्ध ढंग से पूर्ण करायी जाये । अभियोजन इकाई से परीक्षण कराने के उपरान्त ही विचारण हेतु मामला न्यायालय को प्रेषित किया जायें । विशेष अपराधों की विवेचना एवं उसके पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए ।

विवेचना में आवश्यकतानुसार आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग किया जाये । बिना किसी विलम्ब के घटना स्थल का निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये । परिवादी एवं साक्षीगण का कथन अविलम्ब लेखबद्ध किये जाये । आवश्यकतानुसार प्रदर्शों का समयबद्ध ढंग विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण सुनिश्चित कराया जाय ।

परिवादी, उसके परिजनों तथा साक्षीगण की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाय, यदि किसी साक्षी को किसी प्रकार की धमकी, वचन या प्रलोभन द्वारा अपराध के तथ्यों की जानकारी देने में बाधा पहुंचाने का तथ्य प्रकट हो तो उन्हें तत्काल सुरक्षा प्रदान करते हुए अन्य त्वरित विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। अपराध की विवेचना की प्रति पीड़ित एव जनता में विश्वास सुदृढ़ करने के प्रभावी उपाय किये जाये, जिससे भयमुक्त होकर परिवादी एवं साक्षी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने में समर्थ हो सके ।

दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये, तथा अन्तनिर्हित निर्देशों के अनुसार धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्षीगण के बयान लेखबद्ध कराये जायें। परिवादी या साक्षीगण को प्रभावित किये जाने की सम्भावना प्रकट होने पर भी उनके बयान द0प्र0सं0 की धारा 164 के अन्तर्गत लेखबद्ध कराया जाये ।

2.अभियुक्त की गिरफ्तारीः-

डीजी-परिपत्र सं0-22/2005 दिनांक 20.05.2005
डीजी-परिपत्र सं0-58/2013 दिनांक 17.10.2013
डीजी-परिपत्र सं0-278/2011 दिनांक 20.11.2011
डीजी-परिपत्र सं0-57/2014 दिनांक 13.09.2014

प्र0सू0रि0 पंजीकृत होने मात्र से ही यान्त्रिक रूप से अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता का आधार होने पर आवश्यकतानुसार गिरफ्तारी की जानी चाहिए । द0प्र0सं0 की धारा 41(1-बी) की अपेक्षा के अनुसार गिरफ्तारी किये जाने अथवा न किये जाने का कारण लेखबद्ध किया जाना चाहिए । द0प्र0सं0 की धारा 170 एंव पुलिस रेग्युलेशन के प्रस्तर-122 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये ।

3.जमानतः-

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के समय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता सम्बन्धी प्रथम दृष्टया साक्ष्य, अपराध की प्रकृति एवं उसकी गम्भीरता, दोष सिद्धि पर दण्ड की कठोरता, जमानत दिये जाने पर अभियुक्त के पलायित होने का खतरा, अपराध की पुनरावृत्ति की सम्भावना, गवाहों को प्रभावित किये जाने की सम्भावना, अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, उसके संसाधन, समाज में स्थान, प्रतिष्ठा, पूर्व अपराधिक इतिहास, न्याय के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना आदि पहलुओं पर विचार किया जाता है। जमानत का प्रभावी विरोध करने हेतु अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य, अभियुक्त की अपराध में भूमिका तथा आपराधिक इतिहास आदि सहित उपरोक्त बिन्दुओ संगत अभिलेखों का समावेश करते हुए स्पष्ट आख्या मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए । इस विषय में सम्बन्धित लोक अभियोजक से समन्वय स्थापित करके अभियुक्त की जमानत का सम्यक विरोध किया जाना चाहिए । मा0 उच्च न्यायालय ने अपने उपर्युक्त आदेश दिनांक 19.05.2017 में जमानत स्वीकार किये जाते समय ध्यान दिये जाने योग्य तत्वों (Factors) के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निम्न विधि सिद्धान्त को उद्धरित करते हुए तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है :-

डीजी-परिपत्र सं0-30/2015 दिनांक 28.04.2015
डीजी-परिपत्र सं0-65/2014 दिनांक 17.10.2014
डीजी-परिपत्र सं0-69/2007 दिनांक 24.08.2007
डीजी-परिपत्र सं0-29/2008 दिनांक 11.03.2008
डीजी-परिपत्र सं0-26/2012 दिनांक 11.05.2012
डीजी-परिपत्र सं0-17/2009 दिनांक 25.03.2009
डीजी-परिपत्र सं0-40/2016 दिनांक 17.07.2016
डीजी-परिपत्र सं0-41/2013 दिनांक 01.08.2013

'The law relating to the grant of bail, the factors which must be considered were duly noted by the Supreme Court in State of U.P. V Amarmani Tripathi3. We may only reproduce the following observations appearing therein:-

"18. It is well settled that the matters to be considered in an application for bail are (i) whether there is any prima facie or reasonable ground to believe that the accused had committed the offence; (ii) nature and gravity of the charge; (iii) severity of the punishment in the event of conviction; (iv) danger of the accused absconding or fleeing, if released on bail; (v) character, behaviour, means, position and standing of the accused; (vi) likelihood of the offence being repeated; (vii) reasonable apprehension of the witnesses being tampered with; and (viii) danger, of course, of justice being thwarted by grant of bail [see Prahlad Singh Bhati v. NCT, Delhi [(2001) 4 SCC 280 : 2001 SCC (Cri) 674] and Gurcharan Singh v. State (Delhi Admn.) [(1978) 1 SCC 118 : 1978 SCC (Cri) 41 : AIR 1978 SC 179]]. While a vague allegation that the accused may tamper with the evidence or witnesses may not be a ground to refuse bail, if the accused is of such character that his mere presence at large would intimidate the witnesses or if there is material to show that he will use his liberty to subvert justice or tamper with the evidence, then bail will be refused. We may also refer to the following principles relating to grant or refusal of bail stated in Kalyan Chandra Sarkar v. Rajesh Ranjan [(2004) 7 SCC 528 : 2004 SCC (Cri) 1977] : (SCC pp. 535-36, para 11)

"11. The law in regard to grant or refusal of bail is very well settled. The court granting bail should exercise its discretion in a judicious manner and not as a matter of course. Though at the

stage of granting bail a detailed examination of evidence and elaborate documentation of the merit of the case need not be undertaken, there is a need to indicate in such orders reasons for prima facie concluding why bail was being granted particularly where the accused is charged of having committed a serious offence. Any order devoid of such reasons would suffer from non-application of mind. It is also necessary for the court granting bail to consider among other circumstances, the following factors also before granting bail; they are:

(a) The nature of accusation and the severity of punishment in case of conviction and the nature of supporting evidence.

(b) Reasonable apprehension of tampering with the witness or apprehension of threat to the complainant.

(c) Prima facie satisfaction of the court in support of the charge. (See Ram Govind Upadhyay v. Sudarshan Singh [(2002) 3 SCC 598 : 2002 SCC (Cri) 688] and Puran v. Rambilas [(2001) 6 SCC 338 : 2001 SCC (Cri) 1124] .)"

4. जमानत निरस्त्रीकरणः-

अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सुसंगत तथ्य, साक्ष्य एव विधि की अनदेखी करके तथा जमानत के लिए असंगत तथ्य, साक्ष्य एवं विधि पर विचार करके पारित जमानत आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होता है । जमानत पर रिहा किये जाने के पश्चात अभियुक्त का आचरण, अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करना, पीड़ित तथा पीड़ित के परिवारीजन एवं अभियोजन साक्षी को डराना-धमकाना, जमानत की अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन करना या जमानत का दुरूपयोग करना, साक्ष्य को विद्रूषित करना और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करना आदि अभियुक्त की जमानत निरस्त्रीकरण के आधार के कुछ दृष्टान्त है । जमानत का आदेश त्रुटिपूर्ण होने अथवा अभियुक्त द्वारा जमानत पर रहते हुए परिवादी या साक्षी को डराने धमकाने एवं जमानत की दुरूपयोग किये जाने का तथ्य प्रकट हो तो अभियुक्त की जमानत निरस्त्रीकरण सहित अन्य विधि कार्यवाही सुनशिचित की जाये ।

5. विवेचना का पर्यवेक्षणः-

डीजी-परिपत्र सं0-67/2013 दिनांक 09.12.2013
डीजी-परिपत्र सं0-57/2014 दिनांक 13.09.2014
शासनादेश सं0:1909/छः-पु-9-2015-31(36)/2014 दिनांक 05.08.2015
शासनादेश सं0: जीआई026/छः-पु-14-31(36)/2014 दिनांक 22.04.2014
शासनादेश सं0:472ख/छः-पु-4-2017रिट(28)बी/2017 दिनांक 12.04.2017

गम्भीर एवं संवेदनशील अपराधों की विवेचना का उच्च अधिकारियों द्वारा सघन समीक्षा एवं निकट पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक है। पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा गम्भीर घटना घटित होने पर घटनास्थल का प्रत्येक दशा में शीघ्र निरीक्षण करके उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रदर्शों को संकलित कराया जाना चाहिये। घटनास्थल निरीक्षण में आवश्यकतानुसार स्थानीय फॉरेंसिक टीम की सहायता भी ली जानी चाहिये। अपराध के तत्वों के अनुसार विवेचना की रूपरेखा तैयार कर ली जाये, जिससे विवेचक को सही दिशा मिल सके। अपराध के अनावरण एवं गुणवत्ता पूर्ण विवेचना हेतु समुचित दिशा-निर्देश निर्गत किये जायें। विवेचना के प्रत्येक क्रम पर की गयी कार्यवाही की समीक्षा, आवश्यकतानुसार मामले में विधिक एवं

विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त किया जाना चाहिये। आधुनिक वैज्ञानिक साक्ष्यों यथा डी0एन0ए0 टेस्ट, फोटोग्राफ, फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालसिस टेस्ट आदि का उपयोग उचित मामलों में किया जाना चाहिए।

आप सभी से अपेक्षा है कि उपरोक्त संदर्भित रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, परिपत्र तथा समय-समय पर शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों का भली प्रकार अध्ययन करके तत्परता पूर्वक, निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं गुणात्मक वैज्ञानिक ढंग से विवेचना पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व ईमानदारी, निष्ठा एवं लगन के साथ सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

हस्ताक्षर

(सुलखान सिंह)

डीजी परिपत्र संख्या - 9 /2017

जावीद अहमद,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः अप्रैल 7 ,2017

विषयः-क्रिमिनल (कैपिटल)अपील संख्याः-5298/2015 श्री विनोद व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य क्रिमिनल (कैपिटल) अपील संख्याः-5299/2015 श्री चन्द्रदेव यादव बनाम उ0प्र0 राज्य, क्रिमिनल (कैपिटल) अपील संख्याः-5300/2015 श्री पवन बनाम उ0प्र0 राज्य एवं क्रिमिनल रिफरेंस नं0: 11/2015 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

प्रदेश में घटित अपराधों के शीघ्रता से पंजीकरण, विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने एवं अधिकाधिक वैज्ञानिक विधियों का समावेश किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर मुख्यालय द्वारा पार्श्वांकित परिपत्र पूर्व में अनुपालनार्थ निर्गत किये गये है एवं समय-समय पर सम्पन्न विभिन्न बैठकों में भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जाती रही है।

डीजी परिपत्र संख्या : 13/2013	दिनांक 17.4.2013
डीजी परिपत्र संख्या : 16/2013	दिनांक 29.4.2013
डीजी परिपत्र संख्या : 19/2013	दिनांक 06.5.2013
डीजी परिपत्र संख्या : 41/2013	दिनांक 01.8.2013
डीजी परिपत्र संख्या : 38/2014	दिनांक 07.6.2014
डीजी परिपत्र संख्या : 27/2015	दिनांक 19.4.2015
डीजी परिपत्र संख्या : 31/2015	दिनांक 28.4.2015
डीजी परिपत्र संख्या : 44/2015	दिनांक 15.6.2015
डीजी परिपत्र संख्या : 51/2015	दिनांक 12.7.2015
डीजी परिपत्र संख्या : 52/2015	दिनांक 12.7.2015
डीजी परिपत्र संख्या : 66/2015	दिनांक 26.9.2015
डीजी परिपत्र संख्या : 20/2016	दिनांक 13.4.2016

आप सहमत होगें कि अपराधों के सही पंजीकरण व विवेचना की गुणवत्ता में सुधार होने से जहॉ अपराधियों को मा0 न्यायालय में दण्डित किये जाने का प्रतिशत बढ़ेगा वही अपराधियों पर दवाब बढ़ने के साथ-साथ अपराधों पर नियन्त्रण भी होगा।

रिट याचिका संख्याः- क्रिमिनल (कैपिटल) अपील संख्याः-5298/2015 श्री विनोद व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य क्रिमिनल (कैपिटल) अपील संख्याः-5299/2015 श्री चन्द्रदेव यादव बनाम उ0प्र0 राज्य, क्रिमिनल (कैपिटल) अपील संख्याः-5300/2015 श्री पवन बनाम उ0प्र0 राज्य एवं क्रिमिनल रिफरेंस नं0: 11/2015 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ में अपराधों के पंजीकरण व विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु आदेश पारित किये गये है। उक्त निर्णय के सुसंगत अंश निम्नवत हैः-

In view of the above, as our humble contribution, in order to make investigation of Criminal cases more effective, reliable and flawless We are passing following directions:

(I) All the Investigating Officers shall endeavor/make their best efforts to record the statements of informant, victim/injured and other important witnesses of fact, of the case as far as possible at the earliest and If it is not possible to do so within 24 hours from the registration of First Information Report, they shall furnish separate explanation for late recording of the statement of each witness alongwith statement of the witness concerned.

(II) With a view to curtail delay in recording the statements of informant/victim and witnesses, to curb the growing tendency of the witnesses to disown their earlier statements recorded under Section 161 Cr.P.C. and turning hostile and to ensure their reliability, the Investigating Officer and State Government shall without fail inform the informant and all the witnesses that they may submit their evidence by e-mail/speed post or registered post on affidavit, sworn before the Oath Commissioner or Public Notary. If such affidavits are filed by the informant and the witnesses, same will be received, taken into consideration and needful will be done in respect of those by the I.O. In such cases, I.O. will also be at liberty to make further queries with the informant/witnesses if need arises to do so.

(III) Copies of statements recorded under Section 161 Cr.P.C. shall be simultaneously provided by the Investigating Officer to the first informant and witnesses with intimation that if they have any objection in respect of their statement or any discrepancy is found in the same, it shall be brought to the notice of the I.O. at the earliest, preferably within a week alongwith supporting evidence. An endorsement to this effect shall also be made by the I.O. in the case diary.

(IV) The above directions (I), (II) and (III) will also apply in respect of recording statements of accused and defence witnesses.

(V) All the Investigating Officers will collect each and every material and piece of evidence available at the place of incident and at the earliest and if not done so within 24 hours, they will furnish their explanation to that effect.

(VI) I.O. will prepare site plan of each and every place connected with the crime showing all the necessary details thereof like distance of witness/injured/aggressor etc.

(VII) As directed by Hon'ble Apex Court in Prakash Vs. State of Karnataka (supra), the prosecution must lay stress on scientific collection and analysis of evidence, particularly since there are enough methods of arriving at clear conclusions based on evidence gathered. In view of above, all relevant material and evidence collected from the site, shall be sent for Hand Writing

Expert, Ballistic Expert, Forensic Science Laboratory, Finger Print Expert, D.N.A. Expert etc. as the case may be, by the I.O. for obtaining expert opinion/report in respect to such articles collected from the place of incident.

(VIII) Where ever it is possible and necessary the I.O. will collect 'Call Details Record' (C.D.R.) of Mobile Phones/Land Line phones of the victim/ witnesses/accused as the case may be, footage of C.C.TV cameras available on the spot/near by locations and put phone numbers/mobile numbers of suspected persons likely to be involved in the offence concerned on surveillance, without any undue delay.

(IX) In all cases I.O. will adhere strict compliance of various provisions of Cr.P.C., Police Act and the Regulations related to the 'investigation'.

(X) Superior Police Authorities shall develop effective monitoring system to ensure strict compliance of relevant rules, provisions and above directions by the Investigating Officers during investigation. In the cases of willful and intentional violation of the aforesaid by the Investigating Officer concerned same shall be cured at the earliest and appropriate action may be taken against the erring Investigating Officer.

(XI) The State Government shall ensure vide publicity of these directions by its publication in the news papers, electronic media and display on notice boards at the offices of superior Police Officers.

(XII) A copy of this order shall be sent to Chief Secretary and Secretary (Home), Government of Uttar Pradesh for compliance of this order. They will submit their compliance report on affidavit within 3 months from the date of receipt of this order, to this Court.

(XIII) The Registrar General of this Court is directed to send a copy of this order to the Chairmen of all the District Legal Services Authority and the State Legal Services Authority for vide publicity of above directions.

मै चाहूँगा कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का आप स्वंय अध्ययन कर लें तथा इन निर्देशों का समुचित पालन आपके एवं आपके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया जाये। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई शिथिलता न बरती जाए। यदि इन निर्देशों का अनुपालन करने में कोई ढिलाई संज्ञान में आती है तो उसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में आप अपने अधीनस्थों को विशेष रूप से अवगत करा दें कि प्रत्येक दशा में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय

(जावीद अहमद)

डीजी परिपत्र संख्या -40/2016

जावीद अहमद,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः जुलाई 17,

विषय-विवेचकों द्वारा हत्या एवं बलात्कार जैसे गम्भीर अपराधों की विवेचना को अनावश्यक रूप से लम्बित रखे जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

इस मुख्यालय के संज्ञान में प्रायः यह तथ्य आता है कि जनपदों में हत्या एवं बलात्कार जैसे गम्भीर अपराधों की विवेचना भी तत्परतापूर्वक नहीं करायी जा रही है। विवेचकों द्वारा गम्भीर अपराधों की विवेचना अनावश्यक रूप से लम्बित रखी जाती हैं। पूर्व में भी इस सम्बन्ध में समय-समय पर पार्श्वांकित परिपत्रों द्वारा विवेचनाओं के तत्परता से निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश इस मुख्यालय द्वारा जारी किये गये हैं, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन दिशा-निर्देशों का पालन अक्षरशः नही किया जा रहा है। जोन के पुलिस महानिरीक्षकों के माध्यम से इस मुख्यालय में प्राप्त विवरण के अनुसार सम्पूर्ण प्रदेश में 31.05.16 तक 06 माह से अधिक किन्तु एक वर्ष से कम कुल 6875, 01 वर्ष से अधिक किन्तु 2 वर्षसे कम कुल 1204 एवं 2 वर्ष से अधिक कुल 273 मुकदमें विवेचनाधीन हैं। इसके अतिरिक्त काफी संख्या में पार्ट पेण्डिंग मुकदमें भी जनपदों में लम्बित होगें। यह स्थिति उचित नही है। इतने अधिक संख्या में लम्बे समय से विवेचनाओं के लम्बित रहने के फलस्वरूप पीड़ित पक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की शरण विवेचना के शीघ्र निस्तारण के निर्देश निर्गत करने हेतु ली जाती है। इससे पुलिस विभाग की छवि तो धूमिल होती ही है साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय में भी असहज स्थिति का सामना भी करना पड़ता है। विगत दिनों में भी उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या : 15456/2016 गणेश यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 02 अन्य की सुनवाई के उपरान्त दिनांक 06.07.2016 को निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं :-

डीजी परिपत्र संख्या : 28/2015
दिनांक 20.04.2015
डीजी परिपत्र संख्या : 31/2015
दिनांक 28.04.2015
डीजी परिपत्र संख्या : 44/2015
दिनांक 15.06.2015
डीजी परिपत्र संख्या : 51/2015
दिनांक 12.07.2015

"Learned A.G.A. is directed to send copy of this order to Director General of Police, Uttar Pradesh for issuing necessary direction in this regard to the Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police in Uttar Pradesh so that a litigant/aggrieved person may not rush to this Court in petty issues failing which this Court would be compelled to summon Director General of Police, Uttar Pradesh, showing callousness of Investigating Officers who are

conducting investigation in serious offences of rape, murder, etc. keeping the investigation pending for a longer period. List this case on 20.7.2016.

A copy of this order shall be supplied to learned A.G.A. within three days for ensuring its compliance.

Registrar General of this Court is directed to send a certified copy of this order to D.G.P. U.P. for its compliance."

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त आदेश पारित किया जाना स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि गम्भीर अपराधों की विवेचनाओं का निस्तारण विवेचकों द्वारा तत्परता से नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति उचित नहीं है। पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 101 में इंगित कतिपय अपराध की सूचना थाने पर पंजीकृत होने के उपरान्त उन्हें विशेष आख्या अपराध मानकर वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचना प्रेषित करते हुए कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है। किसी अपराध को विशेष आख्या अपराध (Special Report Case) की श्रेणी में रखने का उद्देश्य यह है कि इन अपराधों की विवेचना गहनता एवं समयबद्ध किये जाने के साथ-साथ विवेचकों का पर्यवेक्षण अधिक निकटता एवं गहराई से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाये, जिससे अभियोग का सही अनावरण हो सके और अपराधियों को दण्डित किया जा सके। विवेचनाओं में गतिशीलता, गुणवत्ता एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु आपको पुनः निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं-

1. थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक अपने स्तर से 45 दिवस से अधिक समय से लम्बित विशेष अपराध सहित सभी अन्य विवेचनाओं की समीक्षा करेंगे और उनके लम्बित रहने के कारण को दर्शाते हुये प्रत्येक सप्ताह आख्या सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित करेंगे।

2. क्षेत्राधिकारी अपने क्षेत्र के थानों का माह में कम से कम 02 आदेश कक्ष करेंगे एवं विवेचनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु गम्भीर प्रयास सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक माह 03 माह से अधिक समय से लम्बित सभी विवेचनाओं की सूची लम्बित रहने के कारणों को दर्शाते हुये अपर पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेंगे।

3. अपर पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्र के थानों का प्रत्येक माह आदेश कक्ष करेंगे। आदेश कक्ष के दौरान 03 माह से अधिक समय से लम्बित ऐसी समस्त विवेचनाओं की समीक्षा करेंगे कि किन कारणों से विवेचना लम्बित रही एवं उनके समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु गम्भीर प्रयास सुनिश्चित करेंगे।

4. अपर पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्र में 06 माह से अधिक समय से लम्बित सभी विवेचनाओं की सूची लम्बित रहने के कारण के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेंगे।

5. 06 माह से अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक माह में कम से कम 01 बार आदेश कक्ष कर विवेचना लम्बित रहने के कारणों की गहराई से समीक्षा करेंगे। अनावश्यक रूप से लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में दोषी विवेचकों के विरूद्ध कार्यवाही भी करेंगे एवं उनके समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु गम्भीर प्रयास सुनिश्चित करेंगे।

6. 06 माह से अधिक समये से लम्बित समस्त विवेचनाओं की सूची वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक को प्रेषित की जायेगी। परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रत्येक ऐसी विवेचना की गहराई से समीक्षा करेंगे एवं ऐसी समस्त विवेचनाओं की प्रगति साप्ताहिक आख्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करेंगे।

7. कतिपय विवेचना वैज्ञानिक साक्ष्यों उदाहरणार्थ- एफ0एस0एल0 की परीक्षण रिपोर्ट अथवा किसी अन्य विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण लम्बित रहती है। गम्भीर अपराध के प्रकरणों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक स्वयं एफ0एस0एल0 एवं अन्य सम्बन्धित विशेषज्ञ इकाई से समन्वय स्थापित कर परीक्षण रिपोर्ट इत्यादि तत्परता से प्राप्त करने के प्रयास करायें, ताकि विवेचक द्वारा विवेचना का शीघ्र निस्तारण किया जा सके।

8. क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक आदेश कक्ष के दौरान अकारण लम्बित पायी गयी विवेचनाओं के सम्बन्ध में लापरवाह विवेचकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी करेंगे।

9. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेंगे, कि निर्देशों का अनुपालन शत-प्रतिशत हो। अपने भ्रमण के दौरान इस परिपत्र के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करेंगे और यदि समीक्षोपरान्त यह संज्ञान में आता है कि किसी स्तर से परिपत्र के अनुपालन में लापरवाही, शिथिलता बरती जा रही है तो इस मुख्यालय को अवगत करायेंगे, जिससे दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

हस्ताक्षर

(जावीद अहमद)

डीजी परिपत्र संख्याः 20/2016

जावीद अहमद,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ ।
दिनांकःलखनऊः अप्रैल 13 2016

प्रिय महोदय,

विषय- महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों में पुलिस कार्यवाही की प्रक्रिया।

महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराध अत्यन्त निन्दनीय होते हैं। विशेष रूप से बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, छेड़खानी एवं अपहरण इत्यादि घटनाएं पुलिस की कार्यक्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगाती है एवं आम नागरिकों, न्यायालयों एवं मीडिया के समक्ष पुलिस प्रतिकूल छवि बनती है और हमें आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घटनाओं की प्रभावी रोकथाम आवश्यक है। इस सम्बन्ध में आप सभी को समय-समय पर इस मुख्याल द्वारा पार्श्वांकित परिपत्रों के द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि इन निर्देशों का अनुपालन कर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की प्रभावी रोकथाम करें।

डीजी परिपत्र संख्या-7/2012 दि0 29.01.2012
डीजी परिपत्र संख्या-24/2012 दि0 20.04.2012
डीजी परिपत्र संख्या-31/2012 दि0 05.07.2012
डीजी परिपत्र संख्या-35/2012 दि0 23.07.2012
डीजी परिपत्र संख्या-43/2012 दि0 24.09.2012
डीजी परिपत्र संख्या-53/2012 दि0 10.11.2012
एडीजी परिपत्र संख्या-01/2013 दि0 08.01.2013
परिपत्र संख्याःडीजी-सात-एस-3/23/2012 दि0 13.01.2013
डीजी परिपत्र संख्या-3/2013 दि0 16.01.2013
डीजी परिपत्र संख्या-6/2013 दि0 02.02.2013
परिपत्र संख्याःडीजी-सात-एस-3/15/2013 दि0 30.02.2013
डीजी परिपत्र संख्या-10/2013 दि0 20.03.2013
डीजी परिपत्र संख्या-11/2013 दि0 09.04.2013
डीजी परिपत्र संख्या-12/2013 दि0 12.04.2013
परिपत्र संख्याःडीजी-सात-एस-2ए/निर्देश/2013 दि0 12.04.2013

इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के पंजीयन से लेकर विवेचना समाप्ति तक पुलिस द्वारा पर्याप्त संवेदनशीलता दर्शायी जाय। ऐसे अपराध की सूचना के पश्चात पर्याप्त संवेदनशीलता बरतते हुए तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर दिये गये न्यायालय के आदेशों एवं विधि के प्रभावी नियमों का पालन करते हुए कार्यवाही किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी पीड़िता का अनावश्यक उत्पीड़न न हो एवं उनके सम्मान की

रक्षा हो सके। इस क्रम में महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में संवेदनशीलता बरतने हेतु निम्न निर्देश दिये जा रहे हैं। कृपया इनका अनुपालन सुनिश्चित करें-

- महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों में सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि बिना विलम्ब के प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की जाय। इस हेतु प्रत्येक थाने पर महिला पुलिस अधिकारी की उपलब्धता अनिवार्य की गयी है। महिला सम्बन्धी अपराध की सूचना मिलने पर थाने का दिवसाधिकारी थाने पर उपलब्ध महिला पुलिस अधिकारी का सूचित करेंगे।
- थाने पर नियुक्त महिला पुलिस अधिकारी का प्रथम दायित्व होगा कि वह पीड़ित महिला एवं उसके परिवार को सान्त्वना देकर उसे शान्त करे।
- अभियोग के पंजीकरण हेतु सूचना का अभिलेखीकरण संशोधित दं0प्र0सं0 के अनुसार महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा। धारा 161 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत छेड़खानी व बलात्कार के प्रकरणों में विवेचना के दौरान उसका बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लिया जाएगा।
- पीड़ित महिला यदि शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है तो सूचना का अभिलेखीकरण पीड़िता के घर पर या उसके चयनित स्थान पर अनुवादक या विशिष्ट शिक्षक की मौजूदगी में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा, सम्बन्धित अभिलेखीकरण की वीडियाग्राफी भी करायी जाएगी।
- यदि पीड़िता को कानूनी सहायता की आवश्यकता हो अथवा पीड़िता और उसके परिवार ने अपने किसी अधिवक्ता को नहीं बुलाया है, तो डियूटी आफिसर का यह दायित्व होगा कि वह कानूनी सहायता हेतु तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कानूनी सहायक स्वयंसेवी (Paralegal Volunteer) या अधिवक्ता को बुलायेगा। प्रत्येक थाने पर ऐसे स्वयंसेवी अधिवक्ताओं की एक सूची होनी चाहिए, जो महिला सम्बन्धी लैंगिक अपराधों में पीड़िता की मदद करते हैं।
- महिला सम्बन्धी अपराधों की सूचना तत्काल क्षेत्राधिकारी को दी जाएगी और क्षेत्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह पूरी विवेचना का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
- प्रारम्भिक विवेचना की कार्यवाही कर विवेचक उपलब्ध महिला पुलिस अधिकारी के साथ तुरन्त पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अस्पताल ले जाएगा।
- बलात्कार के प्रकरणों में पीड़िता का बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी तत्काल कराया जाएगा।

- बलात्कार के प्रकरणों में यदि पीड़िता को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने में 24 घण्टे से अधिक समय लगता है तो विवेचक अभियोग दैनिकी में इसका कारण और इसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- दं0प्र0सं0 की धारा 157(ए) के अनुसार बलात्कार की पीड़िता का बयान उसके आवास पर या उसके द्वारा इच्छित स्थान पर उसके माता पिता, अभिभावकों, नजदीकी रिश्तेदारों या सामाजिक कार्यकर्ता की मौजूदगी में लिया जाएगा।
- पीड़ित महिला का 161 दं0प्र0सं0 का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाएगा इस बयान को लेने के लिए पीड़ित महिला को किसी भी दशा में धारा 160 दं0प्र0सं0 का नोटिस देकर थाना एवं अन्यत्र स्थान पर नहीं बुलाया जाएगा यह बयान पीड़ित महिला के घर में एकान्त में (Private) में ही लिया जायेगा। पीड़ित महिला के परिवार के सदस्य बयान के समय पीड़िता को निश्चिन्त करने हेतु उपस्थित रह सकते हैं।
- विवेचक इस बात का ध्यान रखेगा कि बयान में अंकित तथ्यों को धारा 173 दं0प्र0सं0 के आरोप पत्र अथवा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित किये जाने तक किसी से समक्ष प्रकट न किया जाए। इस सम्बन्ध में प्रभावी गोपनीयता बनायी रखी जाए।
- पीड़िता के अन्तः वस्त्र आदि उसकी सहमति से ही यथा सुरक्षित कर नियमानुसार परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे जायें।
- विवेचक का दायित्व होगा कि इन अपराधों की विवेचना बिना देरी के निस्तारित करे ताकि अभियुक्त को धारा 167 दं0प्र0सं0 का लाभ मिलकर जमानत न हो सके।
- दं0प्र0सं0 की धारा 161(3) के अन्तर्गत गवाहों के बयान का आडियो/वीडियो बनाने का प्राविधान है। प्रत्येक बयान की आडियो/वीडियो रिकार्डिंग की जाय।
- यदि विवेचना का ट्रायल के दौरान पीड़ित महिला को किसी से भी धमकी प्राप्त होती है तो थानाध्यक्ष का दायित्व होगा कि तत्काल अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही करे।
- बलात्कार की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त 53(ए) दं0प्र0सं0 के प्राविधानों के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण कराया जाय।
- धारा 171(1ए) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बच्चियों के साथ हुए बलात्कार के अभियोगों की विवेचना 03 माह के अन्दर अवश्य पूरी कर ली जाए। यदि पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की है तो Protection Of Children From Sexual Offences Act 2012(POCSO) के अन्तर्गत भी उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जाय।
- किसी भी दशा में अभियुक्त को कार्यवाही शिनाख्त के अतिरिक्त पीड़ित के समक्ष नहीं लाया जाएगा।

- किसी भी दशा में पीड़िता को थाने पर नहीं रखा जाएगा। यदि चिकित्सा की आवश्यकता हो तो उसे चिकित्सालय में भर्ती कराया जाएगा अन्यथा स्वेच्छा पर घर जाने दिया जाएगा।
- महिलाओं के साथ घटित बलात्कार, हिंसा एवं दुर्व्यवहार आदि के प्रकरणों में मीडिया को ब्रीफिंग करते समय महिला के आचरण एवं रहन-सहन, कपड़े पहनने के तरीके एंव उसके व उसके साथी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी न की जाय। घटना के सम्बन्ध में तथ्यों की पूरी जानकारी कर सत्य एवं प्रमाणित विवरण प्रस्तुत किया जाये। किसी भी दशा में पीड़ित महिला पर उसके साथ हुए अपराध का दोष न मढ़ा जाय।
- पीड़ित महिला के साथ घटित अपराधों के सम्बन्ध में पीड़िता का नाम, पता, आदि का प्रचार किसी भी दशा में न किया जाए। यह महिला के निजी जीवन से सम्बन्धित है।
- धार 166 भादवि के पश्चात अन्तः स्थापित धारा 166ए भादवि (Vide crl. Law Amendment Act 2013) के अन्तर्गत यदि कोई पुलिस अधिकारी धारा 326/354 एवं धारा 376 व 509 भादवि के अुनसार दण्डनीय संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में असफल रहता है, तो उसके विरुद्ध 166क के अन्तर्गत दण्डित करने का प्राविधान किया गया है। यदि कोई पुलिस अधिकारी इस सम्बन्ध में दोषी पाया जाता है, तो इन प्राविधानों का उपयोग कर उसे दण्डित किया जाय।

2. आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस निर्देश की प्रति अपने अधीनस्थ अपर पुलिस अधीक्षकों/क्षेत्राधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को उपलब्ध करा दे तथा एक कार्यशाला के माध्यम से इन निर्देशों को भली-भांति अवगत करा दें कि वे महिलाओं के प्रति घटित होने वाले अपराधों संवेदनशील रहकर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगें।

भवदीय

हस्ताक्षर

(जावीद अहमद)

डीजी परिपत्र संख्याः-17 /2016

जावीद अहमद
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक
उत्तरप्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।
देनांकः लखनऊः मार्च 16 ,2016

प्रिय महोदय,

आप सभी अवगत है कि विगत वर्षो में प्रत्येक क्षेत्र में जिस तीव्रता के साथ कम्प्यूटर के प्रयोग में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात मे कम्प्यूटर सम्बन्धी अपराधों मे भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इन अपराधों में कम्प्यूटर द्वारा होने वाले अपराध एवं कम्प्यूटर को लक्ष्य बनाकर किये जाने वाले अपराध आदि शामिल हैं।

साइबर अपराधो की विवेचना जटिल होती है, इन अपराधो से सम्बन्धित साक्ष्य अमूर्त होते हैं। साक्ष्यो का सकंलन एंव मूल्यांकन करने मे विवेचक को परम्परागत विवेचनाओं से अलग चुनौती पूर्ण कार्य करना पड़ता है। कम्प्यूटर नेटवर्क के बढते चलन से इसकी जटिलता में और भी वृद्धि हुयी है। तकनीकी रूप से यह सम्भव है कि भारत में बैठा कोई व्यक्ति किसी भी देश के कम्प्यूटर का प्रयोग कर किसी अन्य देश में स्थित डाटा चोरी कर सकता है। इस तरह एक ही साइबर अपराध का अलग-अलग देशों से सम्बन्ध होने के कारण इन अपराधो का न केवल तकनीकी रूप सेअनावरण करना कठिन होता है, बल्कि इसमें वैधानिक कठिनाईयॉ भी आती हैं।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यदि किसी विवेचना में संदिग्ध कम्प्यूटर नेटवर्क अथवा कम्प्यूटर से सम्बन्धित इलेक्ट्रानिक सामग्री को सीज कियाजाना हो तोSearch and Seizureहेतु आवश्यक निम्नांकित हार्डवेयर, कम्प्यूटर फोरेंसिक साफ्टवेयर एवं अन्य सामग्री को साथ में ले जाना चाहिये-

1. स्टोरेज डिवाइस(**Storage device**):-यू0एस0बी (USB)हार्ड डिस्क (Hard Disk) , पेन ड्राइव (Pen Drive) इत्यादि):-इनका प्रयोग कम्प्यूटर से फाइलों की इमेज तैयार करने हेतु किया जा सकता है।

2. लेबलिंग मटेरियल(Labeling Material):-लेबल का प्रयोग केबल्स पर एवं कम्प्यूटर के सॉकिट पर लिखने के लिए किया जाता है ताकि यह जानकारी हो सके कि घटनास्थल पर कम्प्यूटर से सम्बन्धित पोर्ट किन-किन सॉकिट में लगे थे।

3. स्क्रूडाइवर(Screwdrivers) और अन्य आवश्यक औजारः-जिसकी मदद से कम्प्यूटर के पुर्जों को अलग करने में सहायता मिल सके।

4. <u>दस्ताने (Gloves):-</u>सर्च या सीज करते समय दस्ताने पहनकर ही कार्य किया जाना चाहिए।

5. <u>पैकिंग सामाग्री (Packing Materials):-</u>रबर बैण्ड(Rubber Bands), टेप(Tape), बक्से(Boxes), बबल रैप(Bubble wrap), एण्टी स्टैटिक बबल रैप(Anti-static Plastic Bubble wrap), फैराडे बैग (Faraday Bag) आदि। यदि एण्टी स्टैटिक बबल रैप उपलब्ध न हो तो कागज का लिफाफा प्रयोग किया जा सकता है।

6. <u>कैमरा(Camera):-</u> वीडियो रिकार्डिंग तथा घटना स्थल की फोटो खीचने हेतु।

7. माल हिरासत मे लेने हेतु चेन, रिपोर्ट-शीट तथा अन्य प्रपत्र जो सीजर हेतु आवश्यक हो।

8. <u>वॉलेटाइल डाटा(Volatile Data) कलेक्शन किट</u>:- यदि कम्प्यूटर ऑन अवस्था में प्राप्त हो तो सम्बन्धित साफ्टवेयर एवं तकनीकी मदद से वॉलेटाइल डाटा एकत्र किया जाना चाहिये। उक्त के अतिरिक्त पोर्टेबल कम्प्यूटर फारेंसिक किट यदि उपलब्ध हो तो अवश्य साथ में ले जानी चाहिये।

9. <u>अन्य सामग्री(Other Materials):-</u> स्केल, मेजरिंग टेप, नोट पैड, स्कैच पैड, पेन, पेन्सिल, परमानेन्ट मार्कर।

10. चेन आफ कस्टडी रिपोर्ट शीट(<u>Chain Of custody Report Sheets</u>) एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र।

11. Electronic Evidence Container.

कम्प्यूटर या कम्प्यूटर नेटवर्क द्वारा कारित किये गये अपराध के सम्बन्ध में घटनास्थल पर पहुंचने के उपरान्त विवेचक को निम्न महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहियेः-

1. यह अत्यन्त आवश्यक है कि घटना स्थल पर संदेही अथवा अभियुक्त को इस बात की अनुमति न दी जाए कि वह अपराध में प्रयुक्त कम्प्यूटर के किसी भाग को किसी भी प्रकार से प्रयोग करे, क्योंकि अभियुक्त द्वारा एक KEYदबाने या माउस के एकClickमात्र से ही पूरा का पूरा डाटा नष्ट हो सकता है याData Tamperहो सकता है, साथ ही कम्प्यूटर के डाटा को नेटवर्क के जरिये वायरलेस के माध्यम से नष्ट किया जाना अत्यन्त आसान है, अतः संदिग्ध को कम्प्यूटर से तुरन्त दूर कर देना चाहिये तथा अन्य किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा भी कम्प्यूटर को Operateनहीं किया जाना चाहिये।

2. यदि कोई कम्प्यूटर Systemकिसीphysical Network (LAN, Fiber Optic, Cables,Telephones, Wi-Fi अथवाWi-Max Wireless-Network यहॉ तक कि मोबाइल फोन जिसमें Wireless Communication Port हो)से जुड़ा हो तो ऐसी परिस्थितियों मे विवेचक को अत्यन्त सतर्क रहते हुए एक कम्प्यूटर विशेषज्ञ से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाना चाहिए यदि विशेषज्ञ मौके पर उपलब्ध नहीं हो तो उससे दूरभाष के जरिये सम्पर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

3. जब कम्प्यूटरOn/Sleep Modeमें हो तो ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ की यथा सम्भव मदद ली जाए। विशेषज्ञ मौके पर मौजूद न हो तब दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क स्थापित करते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाएं। कम्प्यूटर आन होने की स्थिति मेंVolatile Data Collectionहेतुcomputer Forensic Expertकी मदद अवश्य प्राप्त करे।

4. ध्यान रहे कि यदि घटना स्थल पर कम्प्यूटर Offहो तो उसेOnनहीं करना चाहिए क्योंकि हैकरअपने सिस्टम में ऐसा प्राविधान कर सकता है किOnकरते ही सम्बन्धित समस्त डाटा नष्ट हो जाए और ऐसा करने से कम्प्यूटर काLogभी बदल जायेगा तथा साक्ष्य की सत्यनिष्ठा प्रभावित होगी। इसलिये यदि कम्प्यूटरOffअवस्था में है तो उसे Onनहीं किया जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रानिक साक्ष्य को उसीOffअवस्था में ही सीज किया जाना चाहिए।

5. सीज करने से पहले डेक्सटॉप कम्प्यूटर केC.P.U.से Power

6. Cableको हटाना चाहिये एवं सभी केबल को सम्बन्धित सॉकेट के साथ Labelling/Markingकरते हुये फोटोग्राफी अवश्य करानी चाहिये।

7. **<u>लैपटॉप प्राप्त होने की दशा में:</u>**- यदि लैपटाप ऑन है तोShutdownन करते हुये उसकी बैटरी निकालकर उसेSwitch Offकरना चाहिये और यदिOffअवस्था में है तो उसे उपरोक्त के भांति बिनाOnकिये हुये सीज कर लेना चाहिये।

8. किसी भी प्रकार के स्टोरेज डिवाइस को सीज करने के लिये यथासम्भवAnti-static Packaging Bubble wrapका प्रयोग करना चाहिए।

9. **<u>मोबाईल को सीज किये जाने से पूर्वः-</u>** यदि मोबाईल की बैटरी को निकाला जाना सम्भव है तो मोबाईल की बैटरी को निकाल देना चाहिए। अन्यथा बैटरी न

निकल पाने की स्थिति में मोबाईल को सीज करने के लिये फैराडे बैग का प्रयोग करना चाहिए। फैराडे बैग (Faraday Bag)न होने की दशा में एल्यूमिनियम फॉइल(Aluminium foil)से मोबाईल को चार से पॉच बार चारो ओर से कवर कर लेना चाहिए, जिससे मोबाईल कीConnectvityसमाप्त हो जाए, या फिर मोबाईल फोन को फ्लाइट मोड में भी किया जा सकता है।

10. यदि अपराध कारित करने के लिये किसी बेवसाइट का प्रयोग किया गया है तो बेवसाइट केhosting server provider के बारे में विस्तृत जानकारी करें। बेवसाइट के Administrator को आवश्यकLogसुरक्षित रखने एवं उपलब्ध कराने हेतु धारा 91 द0प्र0सं0 कें अन्तर्गत लिखित आदेश(Written Order)जारी करे। यदि वेब सर्वर अन्य देश में स्थित हो तो MLAT(Mutual Legal Assistance Treaty) के प्रावधानों का प्रयोग कर धारा166ए द0प्र0सं0 के तहत सूचना मॉगने हेतु मा0 न्यायालय द्वारा साक्ष्य के लिए पत्र (Letter Rogatory) जारी कराकर अग्रिम कार्यवाही करें।

11. किसी भी घटना स्थल पर सर्च करने से पहले विवेचक द्वारा यह भी निर्णय लिया जाना चाहिए कि सम्बन्धित हार्डवेयर/डाटा को कहॉ रखना है जिससे सीज किये जाने के उपरान्त सुरक्षित तरीके से कम्प्यूटर फारेंसिक लैब में परीक्षण हेतु भेजा जा सके। डाटा को मौके पर ही सीज किया जाना **<u>श्रेयस्कर</u>** रहता है क्योंकि इससे अनावश्यक हार्डवेयर को साथ मे नहीं ले जाना पडता है। अतः इस सम्बन्ध में डाटा को डाउनलोड तथाAnalysisहेतु यथासम्भवComputer Forensic Expert की मदद ली जाए, जिसके द्वारा सम्बन्धित को मौके पर ही डाटा को मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु संरक्षित किया जाए। यदि मौके परComputer Forensic Expert न उपलब्ध हो तो विवेचक को सभी सम्बन्धित सामग्री को सीज कर लेना चाहिए।

12. घटना स्थल को सर्च करते समय प्रत्येकDigital Device जैसे-P.D.A, मोबाईल,MP3 Player,Camera,Flash Cards,Print Outs,Software/Data Disks,अन्यMissing Parts, स्टोरेज डिवाइसेस को भी आवश्यक साक्ष्य की दृष्टि से कब्जे में लिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त की-बोर्ड/माउस से फिंगर प्रिन्ट भी ले लेना चाहिए।

13. यदि कोई प्रिन्टर घटनास्थल पर मौजूद हो तो उसको भी चेक कर लेना चाहिये, यह सम्भव है कि उसमें कोई प्रिन्ट कमान्ड दी गयी हो और पेपर न होने के कारण प्रिन्ट न निकल पाया हो तथा प्रिन्टर की इन्डीकेटर लाइट जल रही हो,

ऐसी परिस्थिति में प्रिन्टर में पेपर लगाकर प्रिन्ट आउट ले लेना चाहिये (ध्यान रहे कि ऐसा करने के समय आपको कम्प्यूटर या लैपटॉप इत्यादि को ऑपरेट नही करना है)।

14. सीज करते समय सभी उपकरणों केItemका नाम,Make,Model,Serial Number,सीज करने का समय इत्यादि अवश्य लिपिबद्ध करना चाहिए।

15. यदिNetworkअथवाMainframeभी अपराध से सम्बन्धित है तो कम्प्यूटर कोdisconnectन करें, व ऐसेमामले में निश्चित रूप से कम्प्यूटर फोरेंसिक विशेषज्ञ की मदद से ही अग्रेतर कार्यवाही की जानी चाहिए।

16. घटनास्थल पर मुआयना करते समय उपकरण किस प्रकार एक-दूसरे से जुडे हैं, को भी लिपिबद्ध कराये। घटना स्थल से कम्प्यूटर सम्बन्धित सभी मैनुअल, उससे जुडे हुए सभी डिवाइस मुख्यतः साफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य सम्बन्धित सामग्रियों को भी सीज कर लिया जाना चाहिए।

17. घटनास्थल से अपराध से सम्बन्धित कम्प्यूटर के सभी पार्ट को अलग-थलग करने की समस्त कार्यवाही कर लेनी चाहिए तत्पश्चात उसे फॉरेंसिक लैब भेजे जाने हेतु अत्यन्त सावधानीपूर्वक एण्टी स्टैटिक प्लास्टिक बबल (Anti-static Plastic Bubble) का प्रयोग कर पैकिंग कर लेनी चाहिए ताकि परिवहन करते समय कम्प्यूटर के किसीPartको कोई नुकसान न पहुँचे।

18. कम्प्यूटर से सम्बन्धित समस्त व्तजे को उसी कम्प्यूटर के साथ रखना चाहिए ताकि उसे पुनः संरचना (Reconstruct) करने मे आसानी रहे।

19. घटना स्थल से सीज किये गये कम्प्यूटर उपकरणो को ऐसे बक्सों/वाहनो मे नहीं ले जाना चाहिए जिनमे झटके लगने की सम्भावना हो। इस प्रकार सीज किये गये कम्प्यूटर को सुरक्षित, ठण्डे, शुष्क स्थान पर रखना चाहिए तथा जेनरेटर से दूर रखना चाहिए क्योंकि जेनरेटर से निकलने वाले इलैक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स कम्प्यूटर के डाटा को नष्ट कर सकता है।

20. विवेचक को इस बात का भी ध्यान रहे कि घटना स्थल पर जब्तीकरण की कार्यवाही के दौरान दो स्वतन्त्र गवाह होना आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से न्यायालय में साक्ष्य देते समय किसी दुविधा की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

21. इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों को संकलित करते समय विवेचक को सम्बन्धितAdministrator से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ए एवं 65बी के प्राविधानों के तहत आवश्यक प्रोफार्मा सर्टिफिकेट प्राप्त कर

न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बिना उपरोक्त प्रोफार्मा सर्टिफिकेट के आपके द्वारा संकलित किये गये साक्ष्य मा0 न्यायालय में ग्राह्य नही होगें।

22. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (I.T Act) के अध्याय 11 की सुसंगत धाराओ में अपराधों को वर्णित किया गया है एवं अध्याय 13 की धारा 80 में प्रवेश करने, तलाशी लेने आदि की पुलिस अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों की शक्ति का उपबन्ध करती है, द0प्र0सं0 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी कोई पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा तथा वहॉ पाये गये किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकेगा जो युक्ति-युक्त रूप से संदिग्ध व्यक्ति है या जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है या कर रहा है या करने वाला है।

मैं अपेक्षा करता हूॅ कि आप उक्त निर्देशों का भली-भॉति अध्ययन कर कार्यशाला आयोजित कर अपने अधीनस्थों को अवगत करायें तथा यह सुनिश्चित करें कि साइबर अपराध घटित होने के उपरान्त सम्बन्धित विवेचक साइबर फोरेन्सिक पद्वतियों का प्रयोग करते हुए घटना का सफल अनावरण कराते हुए दोषियों को दण्ड दिलाने मे सार्थक प्रयास करें।

भवदीय,

हस्ताक्षर

16-03-2016

(जावीद अहमद)

जगमोहन यादव,
आईपीएस

डीजी परिपत्र संख्या– 66 / 2015

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकः लखनऊः सितम्बर 26, 2015

विषयः विवेचनाओं के गुणवत्तापरक, समयबद्ध एवं त्रुटिहीन निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय,

विवेचनाओं के गुणवत्तापरक, समयबद्ध एवं त्रुटिहीन निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय–समय पर दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। विवेचनाओं के निस्तारण के सम्बन्ध में तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून–व्यवस्था द्वारा अपने परिपत्र संख्या : एडीजी परिपत्र संख्या–02 / 2013 दिनांक 21–02–2013 द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश के बिन्दु 9(1) के प्रस्तर (बी) में यह उल्लेख है कि ''विवेचना के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अनुमोदित कार्य–योजना के अतिरिक्त कुछ और गवाहों के बयान या अभिलेखीय साक्ष्य लेना है, तो विवेचक निर्धारित अधिकारी से उसका अनुमोदन करायेगें। अनुमोदनोपरान्त ही अन्य गवाहों के बयान लिये जायेगें।''

2. विचारोपरान्त यह महसूस किया गया कि विवेचकों को गवाहों के बयान के सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों से बार–बार अनुमोदन लिये जाने में कठिनाई होती है। यदि विवेचना के दौरान यह पाया जाता है कि अनुमोदित कार्ययोजना के अतिरिक्त कुछ और गवाहों के बयान या अभिलेखीय साक्ष्य लेना है, तो विवेचक ऐसे गवाहों के बयान लेने हेतु प्रश्नावली तैयार करेगें और आवश्यकतानुसार ऐसे गवाहों के बयान 161 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत लिपिबद्ध करेंगें। इन गवाहों के बयान अंकन एवं साक्ष्यों के एकत्रीकरण में विवेचक को निर्धारित अधिकारियों से बार–बार अनुमोदन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

3. धारा 158 दं0प्र0सं0 1973 के प्राविधानों के अनुसार पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा केस डायरीज का अनुश्रवण किया जाता है। यदि पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा कोई भी बयान अथवा साक्ष्य अप्रांसगिक पाया जाता है अथवा किसी अतिरिक्त बयान अथवा साक्ष्य को विवेचना के हित में आवश्यक पाया जाता है तो तद्नुसार अपराध रजिस्टर में कारण सहित अपना Observation अंकित करते हुए विवेचक को स्पष्ट निर्देश भेज सकता है। पर्यवेक्षण अधिकारी के किसी भी वैध आदेश का विवेचना के दौरान विचार किया जाना विवेचक के लिए अनिवार्य होता है।

4. इसी प्रकार संदर्भित सर्कुलर के प्रस्तर–9 के उपप्रस्तर– 4 में अंकित है, विवेचना में किसी भी अभियुक्त का नाम घटानें, बढ़ाने या प्रकाश में लाने हेतु विवेचक लिखित रूप से इसका अनुमोदन निम्नलिखित अधिकारियों से लेगेंः–

अपराध	अनुमोदन अधिकारी
हत्या/बलात्कार	प्रभारी पुलिस अधीक्षक
डकैती/लूट/दहेज हत्या	अपर पुलिस अधीक्षक
अन्य अपराध	क्षेत्राधिकारी

उक्त निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी अभियुक्त का नाम घटाने, बढ़ाने अथवा प्रकाश में लाने हेतु विवेचक केस डायरी लिखता है और वह केस डायरीज पर्यवेक्षण अधिकारियों को अनुश्रवण हेतु अविलम्ब भेजी जाती हैं। यदि पर्यवेक्षण अधिकारी किसी अभियुक्त का नाम बढ़ाने, घटानें अथवा प्रकाश में लाने के लिए विवेचक के कार्य को गलत अथवा बिना पर्याप्त साक्ष्य के पाता है तो पर्यवेक्षण अधिकारी कारण सहित अपनी आपत्ति दर्ज करने तथा तद्नुसार विवेचक को स्पष्ट निर्देश देने के लिए अधिकृत है। यदि विवेचक द्वारा उन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है अथवा अनुपालन न करने का कोई समुचित कारण नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो पर्यवेक्षण अधिकारियों को विवेचक के विरूद्व कार्यवाही करने, उसकी सत्यनिष्ठा रोकने तथा विवेचना किसी अन्य विवेचक को सुपुर्द करने का पूर्ण अधिकार है।

5. विवेचकों की मनमानी रोकने के लिए और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उचित तथा प्रभावी हस्ताक्षेप कर पाने के लिए नियमों व आदेशों की कमी नहीं है। इसके लिए बहुत पहले से ही बहुत उपयोगी नियम व परम्परायें प्रचलित हैं, यथा पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा अपराध रजिस्टर अथवा एस0आर0 पत्रावली में केस डायरीज का सार (gyst) अपने हस्तलेख में अंकित करना, पर्यवेक्षण अधिकारी से भी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना आदि। समस्या यह है कि पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा इन नियमों एवं परम्पराओं का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। साथ ही अपराध रजिस्टर अथवा एस0आर0 पत्रावली पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा विवेचना की दिशा निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई (Specific) सार्थक तथा स्पष्ट निर्देश अंकित नहीं किये जा रहे हैं।

6. पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से लगातार विवेचना के सम्बन्ध में अत्यन्त सार्थक दिशा निर्देश जारी होते रहे हैं और पुलिस रेगुलेशन में भी विस्तार से सारी प्रक्रिया अंकित की गयी है। जब तक इन कानूनों, नियमों, निर्देशों तथा परम्पराओं की Spirit के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करायी जायेगी तब तक विवेचना की गुणवत्ता में सुधार नहीं आ पायेगा।

7. कतिपय मामलों में पर्यवेक्षण अधिकारी विवेचना में न्यायोचित हस्तक्षेप तो करता है परन्तु उसके लिए जिम्मेदारी लेने से बचता है इसलिए अपराध रजिस्टर/एस0आर0 पत्रावली पर केवल सामान्य तथा Vague किस्म के निर्देश रस्म–अदायगी के तौर पर अंकित कर देता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि पर्यवेक्षण अधिकारी केस डायरी को पढ़ें, समीक्षा करें और तद्नुसार Specific और सकारण निर्देश अंकित करें तो विवेचना की निष्पक्षता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने में पर्यवेक्षण अधिकारी के योगदान का भी मूल्यांकन किया जा सकता है।

8.   स्थिति यहाँ तक चिन्ताजनक हो गयी है कि विवेचना का पर्यवेक्षण केवल लम्बित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश देने तथा सीमित होकर रह गया है। उसकी गुणवत्ता तथा निष्पक्षता का मूल्यांकन करके निर्देश अंकित करना और उनका अनुश्रवण करना यह वरिष्ठ अधिकारियों की प्राथमिकताओं में या तो है ही नहीं अथवा बहुत सतही है। जबकि विवेचना का गुणवत्ता, निष्पक्षता तथा बिना अनावश्यक विलम्ब के निस्तारण करके मुकदमें को न्यायालय तक पहुँचाने का कार्य विवेचकों तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की प्राथमिकताओं (Prioritylist) में सबसे ऊपर होना चाहिए।

अपेक्षा की जाती है कि पर्यवेक्षण अधिकारी तथा वरिष्ठ अधिकारीगण अपने प्रशिक्षण, अनुभव तथा कानूनी जानकारी का उपयोग करते हुए विवेचनाओं की गुणवत्ता के स्तर में सुधार हेतु प्रभावी तथा सार्थक हस्तक्षेप करेंगें। निष्पक्ष व गुणवत्तापरक विवेचना सुनिश्चित कराना और विवेचनाओं का तत्परता से निस्तारण करके यथासमय मामलें को न्यायालय तक पहुँचाने का कार्य, पुलिस अधिकारी के रूप में, हम सभी का पावन कर्तव्य है।

भवदीय
ह0 26.09.2015

(जगमोहन यादव)

डीजी परिपत्र संख्याः 52/2015

जगमोहन यादव,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ ।
दिनांकःलखनऊःजुलाई 12 ,2015

प्रिय,

आप अवगत हैं कि दोषपूर्ण विवेचना होने से जहां अभियुक्तों को इसका लाभ मिलता है, वहीं पुलिस विभाग के प्रति प्रतिकूल धारणा बनती है। अतः आप सभी का यह दायित्व है कि यह सुनिश्चित करें कि आपराधिक मामलों विशेष रूप से संगीन अपराधों की विवेचना का स्तर उच्च कोटि का हो, जिससे अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाने में मदद मिल सकें।

2. अपराधों की विवेचनात्मक कार्यवाही में प्रायः विवेचकों द्वारा की जाने वाली विवेचना केवल मौखिक साक्ष्यों पर आधारित रहती है और विवेचना में भौतिक साक्ष्यों(Physical Evidence) पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। मौखिक साक्ष्य पर आधारित विवचेना से सम्बन्धित अभियोग का न्यायालय में विचारण होने पर अपराधी का दोष अकाट्य रूप से सिद्ध कर पाना कठिन होता है। विवेचना में अधिकाधिक वैज्ञानिक पद्धति से साक्ष्य संकलन के सम्बन्ध में इस मुख्यालय से समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विवेचकों द्वारा मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

3. प्रायः देखा जा रहा है कि घटनास्थल से मिल सकने वाले महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य जैसे अपराधी के शरीर के विभिन्न स्त्राव(Secretion), खून, पसीना, थूक, लार, मल-मूत्र आदि के धब्बे/अवशेष(DNA Sampling) हेतु तथा अंगुष्ठ/पद छाप घटनास्थल से ठीक प्रकार से एकत्र नहीं किये जा रहे हैं। इस हेतु ना तो विवेचक द्वारा समुचित ध्यान दिया जा रहा है और न ही विवेचना का पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों द्वारा। जबकि घटनास्थल से लिये गये अंगुष्ठ छाप अथवा DNA Sample के माध्यम से तैयार उपरोक्त प्रदर्श(Exhibits) के अपराधी के पकड़े जाने पर उससे तत्सम्बन्धी नमूना लेकर परीक्षण/मिलान कराकर घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति साबित की जा सकती है, जो अपराध में उसकी संलिप्तता का अकाट्य प्रमाण हो सकता है।

4. अतएव विवेचना के प्रारम्भिक चरण में घटनास्थल से कब्जे में लिये गये उपरोक्त स्त्राव (थूक, लार, पसीना आदि) एवं अंगुष्ठ छाप के नमूने लेकर अपराधी के मिलने पर उसके स्त्राव, अंगुष्ठ छाप से मिलान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला अविलम्ब भेजे जाए। जनपदों में सोशल मीडिया का प्रयोग अत्यधिक बढ़ गया है। समाज के व्यक्तियों द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से फेसबुक पर बनी पेज/प्रोफाइल/वाट्सप एवं मोबाइल फोन आदि के माध्यम से आपराधिक कृत्य किये जा रहे हैं। सभी विवेचकों को यह स्पष्ट किया जाये कि अधिक से अधिक अपराधों में विशेष रूप से संगीन एवं महत्वपूर्ण अपराधों में भौतिक साक्ष्य हेतु वैज्ञानिक पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। साथ ही जनपद में स्थापित सर्विलांस सेल को भी सक्रिय किया जाए। इससे

निश्चित रूप से अपराधी के विरुद्ध प्रमाणित साक्ष्य जुटाया जा सकता है और विवेचना की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। ऐसा होने पर न्यायालय में अभियोग के परीक्षण के दौरान अपराधी को सजा दिलाये जाने की सम्भावना बढ़ जायेगी तथा जनमानस में पुलिस की छवि में सुधार होगा।

5. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ नियुक्त क्षेत्राधिकारियों/ थानाध्यक्षों/विवेचकों तथा कर्मचारियों को मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी में भली-भांति अवगत करा दें कि इसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा इसकी प्रति जनपद के थानों एवं कार्यालयों में अपने स्तर से वितरित कराना सुनिश्चित करें। विवेचना में किसी भी स्तर पर उदासीनता/लापरवाही पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित जनपद प्रभारी के विरुद्ध प्रतिकूल धारणा बनायी जायेगी।

भवदीय

ह0 12-07-2015

(जगमोहन यादव)

डीजी परिपत्र संख्या -51/2015

जगमोहन यादव
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः 12जुलाई ,2015

विषयः-विवेचनाओं में गतिशीलता, गुणवत्ता व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के संबंध में ।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर पर विवेचनाओं के पर्यवेक्षण में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण विवेचको द्वारा विवेचना के निस्तारण एवं प्रगति में लापरवाही व शिथिलता की जा रही है । हाल में अनेक ऐसे प्रकरण क्रि0रि0पिटीशन न0-9420/2015 मोहर सिंह बनाम य0पी0 सरकार व अन्य के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष लाये गये जिनमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

विवेचना में गतिशीलता लाने एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर राजपत्रित अधिकारियों द्वारा नियमित आदेश कक्ष किये जाने की व्यवस्था है , किन्तु यह संज्ञान में आया है कि राजपत्रित अधिकारियों द्वारा नियत रूप से आदेश कक्ष नहीं किये जा रहे है, जिसके कारण विवेचक द्वारा विवचेनाओं में मनमानी, लापरवाही व शिथिलता की जा रही है ।

विवेचनाओं में गतिशीलता, गुणवत्ता व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न लिखित निर्देश निर्गत किये जाते है :-

1. थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक अपने स्तर से 45 दिवस से अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा करेगें और उनके लम्बित रहने के कारण को दर्शाते हुए प्रत्येक सप्ताह आख्या संबंधित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित करेगें तथा क्षेत्राधिकारी अपने आदेश कक्ष में ऐसी सभी विवेचनाओं की समीक्षा करेगें ।
2. क्षेत्राधिकारी अपने क्षेत्र के थानों का माह में कम से कम 02 आदेश कक्ष करेगें एवं उनके समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु गम्भीर प्रयास सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक माह 03 माह से अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं की सूची लम्बित रहने के कारणों को दर्शाते हुए अपर पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेगें ।
3. अपर पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्र में प्रत्येक माह आदेश कक्ष करेगें । आदेश कक्ष के दौरान 03 माह से अधिक समय से लम्बित ऐसी समस्त विवेचनाओं की समीक्षा करेगें कि किन कारणो से विवेचना लम्बित रही एवं उनके समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु गम्भीर प्रयास सुनिश्चित करेगें ।
4. अपर पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्र 06 माह से अधिक लम्बित ऐसी समस्त विवेचनाओं की सूची लम्बित रहने के कारण के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेगें ।

5. 06 माह से अधिक समय से लम्बित विवचनाओं के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक माह में कम से कम 01 बार आदेश कक्ष कर विवेचना लम्बित रहने के कारणों की गहराई से समीक्षा करेगे । अनावश्यक रूप से लम्बित विवचनाओं के संबंध में दोषी विवेचको के विरूद्ध कार्यवाही भी करेगें एवं उनके समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु गम्भीर प्रयास सुनिश्चित करेगें ।

6. 06 माह से अधिक समय से लम्बित समस्त विवेचनाओं की सूची वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक को प्रेषित की जायेगी । परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रत्येक ऐसी विवेचना की गहराई से समीक्षा करेगें एवं ऐसी समस्त विवचनाओं की प्रगति साप्ताहिक आख्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करेगें ।

7 क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, आदेश कक्ष के दौरान अकारण लम्बित पायी गयी विवेचनाओं के संबंध में लापरवाह विवेचको के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी करेगें ।

8. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक अपने स्तर से यह सुनिश्चित करायेगे कि निर्देशों का अनुपालन शतप्रतिशत हो । अपने भ्रमण के दौरान इस परिपत्र के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करेगें और यदि समीक्षोपरान्त यह संज्ञान में आता है कि किसी स्तर से परिपत्र के अनुपालन में लापरवाही, शिथिलता बरती जा रही है तो इस मुख्यालय को अवगत करायेगें जिससे दोषी अधिकारियो के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके ।

मै आपसे अपेक्षा करता हूँ कि परिपत्र का भली-भॉति अध्यन करकें गोष्ठी के माध्यम से समस्त अधीनस्थों को अवगत कराते हुए व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करेगें कि विवेचना में गतिशीलता, गुणवत्ता व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किये जाने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये ।

उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सनिश्चित किया जाय ।

भवदीय

हस्ताक्षर

(जगमोहन यादव)

फैक्स/सर्वोच्च प्राथमिकता
डीजी परिपत्र संख्याः 44/2015

अरविन्द कुमार जैन,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ ।

दिनांकःलखनऊः जून 15 ,2015

विषयः हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती व अन्य जघन्य अपराधों में विवेचनाओं के गुणवततापरक एवं समयबद्व निस्तारण हेतु विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से पर्यवेक्षण एवं निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

आप अवगत है कि वर्तमान समय में अपराधों की गुणवत्तापरक एवं समयबद्व तथा त्रुटिहीन एवं तथ्यपरक विवेचना किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। इसके साथ ही आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों में भी इसकी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जाती रही है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यालय स्तर से इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत निर्देशो का सही ढ़ग से अनुपालन नही किया जा रहा है। समयबद्व विवेचना न किये जाने के कारण पुलिस को न्यायपालिका, मीडिया एवं अन्य स्रोतों से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। विवेचनाओं के विधिक परीक्षण की परम्परा समाप्त होती जा रही है, जिससे सही विवेचना न होने से अपराधों पर अंकुश लगाने में भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, एवं अपराधों के पर्यवेक्षण का कार्य भी काफी शिथिल हो गया है।

आप सहमत होगे कि विवेचनाओं में अनावश्यक रूप से बरती जा रही लापरवाही से जहॉ विवेचना की गुणवत्ता में कमी आ रही है वही अपराधियों को न्यायालय में सजा दिलाने का प्रतिशत भी कम हो रहा है। अपराधियों के प्रति कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु समय-समय पर मुख्यालय स्तर से उपरोक्त के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अनुक्रम में सम्यक् विचारोपरान्त विवेचनाओं में अनावश्यक विलम्ब को रोकने, समयबद्व रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं निर्धारित समयावधि में गुण-दोष के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण किये जाने हेतु आपके मार्गदर्शन एवं अनुपालनार्थ बिन्दु निम्नवत हैः-

- जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करें कि विवेचनाअधिकारी द्वारा विवेचनाओं में अनावश्यक विलम्ब न किया जाये। विवेचना सम्बन्धी कार्य निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाये।

समय का निर्धारण सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण की गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत स्वयं किया जायेगा।

- महिलाओ के विरूद्व घटित अपराध अत्यन्त गम्भीर विषय है जिस पर पुलिस को आवश्यक कार्यवाही कर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है। बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों की विवचेना व अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है उनका अनुपालन अवश्यमेव किया जाये।
- प्रायः देखा गया है कि विवेचकों द्वारा विवेचना में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। बलात्कार, हत्या एवं अनय अपराधों मे वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग अधिकाधिक किया जाये।
- ऐसे अभियुक्त जिनके द्वारा महिलाओं के विरूद्व गम्भीर अपराध किये गये है उनके विरूद्व गिरोहबन्द अधिनियम,गुण्डा अधिनियम व आवश्यकतानुसार वर्णित अन्य अधिनियमों के अनुसार निरोधात्मक कार्यवाही विशेषकर ऐसे व्यक्तियो के विरूद्व अवश्य हो जो इस प्रकार के अपराध करने के अभ्यस्त हो।
- अत्यन्त खेदजनक है कि अभी भी दण्ड विधि(संशोधन) अधिनियम 2013 व बच्चों से सम्बन्धित एवं उत्पीड़न अधिनियम 2012(Posco) की धाराओं का प्रयोग अभियेाग पंजीकरण के समय नही किया जा रहा है।
- पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 101 में इंगित कतिपय अपराध की सूचना थाने पर पंजीकृत होने के उपरान्त उनहें विशेष आख्या अपराध मानकर वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचना प्रेषित करते हुये कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है।
- किसी अपराध को विशेष आख्या अपराध (Special Report Case)की श्रेणी में रखने का उद्देश्य यह है कि इसकी विवेचना गहनता एवं समयबद्व से किये जाने के साथ-साथ विवेचना का पर्यवेक्षण अधिक निकटता एवं गहराई से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा करते हुए विवेचक का सही मार्गदर्शन किया जाये जिससे अभियोग का सही अनावरण हो सके और अपराधियो को दण्डित कराया जा सके।
- समस्त क्रमागत आख्याओं का अनुमोदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद द्वारा किया जाये जैसा कि इस सम्बन्ध में पूर्व में भी निर्देश निर्गत

किये गये है परन्तु कतिपय जनपदों में अभी भी इसका अनुपालन नही किया जा रहा है। क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने हाथ से विशेष आख्या अपराध नही लिखे जा रहे है और न ही विवेचनाओं का प्रभावी पर्यवेक्षण ही किया जा रहा है।

- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा न ही विवेचक का यथोचित मार्गदर्शन किया जा रहा है और न ही स्तरहीन विवेचनाओं पर कोई आपत्ति प्रकट की जा रही है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विशेष अपराध की श्रेणी में आने वाले सभी प्रकार के अपराधो की पत्रावलियॉ पुलिस उपाधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक(उन अभियोगो में, जिनके विवेचक राजपत्रित अधिकारी है) द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेगी तथा विवेचक का सही मार्गदर्शन करने हेतु यथोचित निर्देश दिये जाये। समस्त क्रमागत आख्याओं का प्रतिमाह अनुमोदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद द्वारा ही किया जायेगा। इसी प्रकार परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षकों द्वारा भी अपने कार्यालय में विशेष आख्या अपराध की पत्रावलियॉ खोलकर नियमित रूप से प्रत्येक माह विशेष आख्या अपराधों का अनुश्रवण करते हुये अधीनस्थों को समुचित दिशा निर्देश निर्गत किया जायेगा। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले अधि0/कर्म0 को दण्डित किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण करने वाले उच्च अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पर प्रतिकूल टिप्पणी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

भवदीय

ह0 15-06-2015

(अरविन्द कुमार जैन)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग, लखनऊ

पत्र संख्याःडीजी-परिपत्र संख्या-31/2015 दिनांकःलखनऊःअप्रैल 28, 2015

सेवा में,

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 ।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक,उ0प्र0।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 ।

विषयः- विवेचनाओं में अनावश्यक विलम्ब तथा अन्य मामलों में समयबद्ध रूप से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

विवेचना में बरती जा रही लापरवाही में सुधार हेतु तथा त्रुटिहीन एवं तथ्यपरक विवेचना के सम्बन्ध में इस मुख्यालय से समय-समय पर निर्देश जारी किए गये है । प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः929/छः-पु0-9- 2015 दिनांक 23.04.15 द्वारा विवेचनाओं में अनावश्यक विलम्ब तथा अन्य मामलों में समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं निर्धारित समयावधि में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किए जाने हेतु शासन स्तर पर लिए गये निर्णय निम्नवत हैः-

(1) प्रत्येक जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचनाओं में अनावश्यक विलम्ब न किया जाय । विवेचना सम्बन्धी कार्य निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाय । विवेचना पूर्ण किए जाने हेतु समय का निर्धारण सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण की गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत स्वयं किया जायेगा । यदि विवेचना में अतिरिक्त रूप से समय की आवश्यकता प्रतीत होती है तो औचित्यपूर्ण कारण के होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक विवेचना की समयावधि का विस्तार कर सकेगें ।

(2) मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में अपर महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता के कार्यालय से निर्देश प्राप्त होने पर सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, विवेचक को तत्काल निर्देशित प्रकरण में प्रतिशपथ- पत्र दाखिल कराये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने और कृत कार्यवाही की सूचना सम्बन्धित प्राधिकारी एवं अभियोजन विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करें । इस निमित्त जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किऐ जाए जिन्हें समय से प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु उत्तरदायी बनाया जाय ।

(2) अपहृताओं की बरामदगी के पश्चात विवेचक द्वारा 164 सी0आर0पी0सी0 के तहत पीडिता के कलमबन्द बयान समक्ष न्यायालयों में अनिवार्य रूप से दर्ज कराये जाएं ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए । उपरोक्त सम्बन्ध में जोन/परिक्षेत्र/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर पर भी अनुश्रवण बैठकें आयोजित कर अनुपालन आख्या शासन एवं इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

ह0

(ए0के0जैन)
पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।

<u>द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण</u>

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

न0 1, तिलक मार्ग, लखनऊ

परिपत्र संख्या-28/2015 दिनांक अप्रैल 20, 2015

<u>टास्क आर्डर</u>

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक

<u>उत्तर प्रदेश।</u>

कल दिनांक 21.4.2015 से ही पूरे प्रदेश में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद को निर्देश निर्गत किय जाए कि वो सभी सर्किलों के सर्किल मुख्यालय पर जाकर वृहद् स्तर पर अर्दली रूम करें, जिसमें-

1. तफ्तीशों के निस्तारण की स्थिति
2. पार्ट पेंडिग तफ्तीशों का स्थिति
3. प्रार्थना पत्रों का निस्तारण
4. वारण्टियों की गिरफ्तारी
5. वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी
6. पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी

एवं अन्य अहकामात की समीक्षा करें तथा उन उपनिरीक्षकों को अथवा निरीक्षकों को दण्डित करें, जिनके यहॉ सबसे ज्यादा अभियोग लम्बित है।

सभी क्षेत्राधिकारियों से पुलिस अधीक्षक प्रभारी यह लिखित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें तथा पिछले 10 साल के अपराध रजिस्टरों को देखकर क्षेत्राधिकारी आख्या दें कि उनके यहॉ कितनी तफ्तीशें लम्बित हैं, कितनी तफ्तीश पार्ट पेडिंग है, कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी बची है व बची है तो क्यो? वारण्टियों की धर-पकड़ की क्या स्थिति है, किस विवेचक द्वारा कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं, कितने हाजिर आदालत हुए है, कितनों के खिलाफ कोई कार्यवाही ही नही हुई। कहॉ पर लापरवाही बरती जा रही है। इस अर्दली रूम में प्रत्येक विवेचक अपनी-अपनी केस डायरी व तफ्तीश रजिस्टर के साथ उपस्थित हो तथा सभी जनपद प्रभारी इसकी गहन समीक्षा करे। यह कार्यवाही प्रत्येक माह होगी तथा आपका व पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र का उत्तरदायित्व होगा कि इस आदेश का अनुपालन आख्या 02 तारीख तक प्रेषित की जाय। यह अर्दली रूम बाकायदा वर्दी में हों तथा तहसील मुख्यालय अथवा सर्किल मुख्यालय पर हों, इनको

सदर में बुलाकर न किये जाए। इसका व्यापक प्रभाव कानून व्यवस्था की स्थिति पर पड़ेगा। मेरे आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन अपने-अपने जोन में तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित कराए।

स्पष्ट आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय के हो चुके हैं तथा आरोप पत्र न्यायालय दाखिल होने है, उसकी भी अपने-अपने पूरे जोन में अभियान चलाकर समीक्षा कर लें कि उसकी क्या स्थिति है व कहॉ पर लापरवाही हो रही है। आपसे भी अपेक्षा करूँगा तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र भी अपने अपने भ्रमण के दौरान उपरोक्त बिन्दुओं पर समीक्षा कर लें व जहॉ लापरवाही हो रही हो उसकी एक रिपोर्ट मुझको भी प्रेषित कर दें।

ह0-20-04-2015

(अरविन्द कुमार जैन)

पुलिस महानिदेशक

उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

1-तिलक मार्ग, लखनऊ ।

पत्र संख्या-डीजी-परिपत्र संख्या-27/2015 **दिनांक-लखनऊःअप्रेल 19,2015**

सेवा में,

समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक,इकाई,उ0प्र0।
समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,उ0प्र0।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक,उ0प्र0।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,प्रभारी जनपद उ0प्र0।

विषयः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री रिशाद मुर्तज़ा,शासकीय अधिवक्ता,मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ,लखनऊ व्दारा अपने पत्र दिनांक 18-4-2015 व्दारा अवगत कराया गया है कि प्रायः यह देखा जा रहा है विवेचकों व्दारा पीड़िता के 164 सी0आर0पी0सी0 के तहत बयान इसलिए सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज नहीं कराये जाते है, क्योंकित मुकदमा 156(3)के प्रार्थना पत्र पर सम्बन्धित न्यायालय व्दारा पारित आदेश के तहत दर्ज किया जाता है , एवं कभी-कभी पीड़िता की बरामदगी के बाद भी 164 सी0आर0पी0सी0 के तहत कलमबन्द बयान दर्ज नहीं कराये जाते हैं, जिसके कारण मा0 उच्च न्यायालय व्दारा मुकदमों की सुनवाई के समय कड़ी आपत्ति/नाराजगी जाहिर की जाती है, एवं उच्चाधिकारियों को भी तलब कर लिया जाता हैं।

इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय व्दारा दण्ड विधि संशोधन अधिनियम2013 में यह प्राविधानित किया गया है कि ,

धारा 164 का संशोधन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा-(5)के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जायेगी,अर्थातः-

''(5क)(क)भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45)की धारा -354,धारा-354क, ,धारा-354ख, ,धारा-354ग ,धारा-354घ, ,धारा-376घ, ,धारा-376ड या धारा 509 के अधीन दण्डनीय मामलों में ,न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का, जिसके विरूद्ध उप धारा (5) में विहित रीति में ऐसा अपराध किया गया है, कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है, अभिलिखित करेगा।''

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्चतम न्यायालय व्दारा दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 में किये गये उपरोक्त प्राविधान का अपने अधीनस्थ समस्त पुलिस कर्मियों को अवगत कराते हुये इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

ह0/19-4-2015

ए0के0जैन
पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0

<u>डीजी परिपत्र संख्या -04/2015</u>

अरूण कुमार गुप्ता,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ ।
दिनांकःलखनऊः जनवरी 14

विषयः- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में त्वरित कार्यवाही हेतु विशेष अनुज्ञा याचिका(क्रिमिनल)संख्या-5073/2011 स्टेट आफ कर्नाटका बाई नोनाबिन्केरे पुलिस बनाम शिवान्ना उर्फ तरकारी विसन्ना ने दिनांक 25.04.2014 को पारित निर्णय में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में ।

प्रिय,

उपरोक्त संबंध में इस मुख्यालय से परिपत्र संख्या-02/2015 दिनांक 10.01.2015 के द्वारा पूर्व में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, के क्रम में बलात्कार एव सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों में त्वरित कार्यवाही एवं प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2014 को पारित आदेश की प्रति संलग्न है, में संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए परमादेश के रूप में सम्पूर्ण देश के सभी थानों के अनुपालनार्थ निम्नांकित पॉच बिन्दुओं पर निर्देश निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये है । उक्त निर्देशों के सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

i. बलात्कार की घटना के संबंध में सूचना प्राप्त होते ही विवेचक त्वरित कार्यवाही करेगा तथा पीड़िता को किसी महानगरीय/यथा सम्भव न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत लेखबद्ध करायेगा । अभिकथन की एक प्रति विवेचक को विशेष निर्देश के साथ तत्काल प्रदान की जायेगी कि विवेचक धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत लेखबद्ध कथन के किसी भी अंश को किसी भी व्यक्ति को आरोप पत्र/आख्या अन्तर्गत धारा 173द0प्र0सं0 दाखिल किये जाने तक प्रकट नहीं करेगा ।

ii. विवेचक यथा सम्भव पीड़िता को निकटतम महिला महानगरीय/महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

iii. विवेचक को जब बलात्कार के अपराध घटित होने के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है तो वह घटना का दिनांक तथा समय लेखबद्ध करेगा तथा यह भी अंकित करेगा कि उसने पीड़िता को महानगरीय यथा सम्भव महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किस दिनांक व समय पर प्रस्तुत किया।

iv. यदि पीड़िता को महानगरीय/न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने में 24 घण्टे से अधिक विवेचक द्वारा विलम्ब किया जाता है तो विवेचक द्वारा इस बात का कारण केस डायरी में लेखबद्ध किया जायेगा तथा इसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट को प्रदान की जायेगी ।

<u>पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण</u>

v. अधिनियम संख्या-25 द0प्र0सं0 संशोधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत धारा 164ए सम्मिलित की गयी है । यह धारा विवेचक पर बाध्यकारी है कि वह बलात्कार की शिकार पीड़िता का अविलम्ब चिकित्सीय परीक्षण कराये तथा चिकित्सीय परीक्षण की एक प्रति धारा 164द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभिकथन लेखबद्ध करने वाले मजिस्ट्रेट को अविलम्ब प्रदान करे ।

उपरोक्त संबंध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि इन आदेशों की एक प्रति प्रत्येक थानाध्यक्ष को प्रेषित करते हुए उन्हें निर्देशित करें कि बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के जघन्य मामलों में उपरोक्त प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जिसका अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगें कि जनपद के समस्त विवेचना अधिकारियों को परिपत्र एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति उपलब्ध करा दी गयी है ,जिसका प्रमाण पत्र पुलिस उपमहानिरीक्षक के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर इस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

मै अपेक्षा करता हूँ कि आप बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के प्रकरणों में संवेदनशील होकर उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे । मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश/निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाय । इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय ।

भवदीय

हस्ताक्षर
(अरूण कुमार गुप्ता)

डीजी परिपत्र संख्याः 38/2014

एओएल बनर्जी,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ ।
दिनांकःलखनऊः जून 07

विषय- बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों के घटित होने पर त्वरित कार्यवाही सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों की विवेचना व अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में इस मुख्यालय द्वारा पूर्व में पार्श्वांकित आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। इन अपराधों के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव पिटीशन(क्रिमिनल) अपील नम्बर 5073/2011 स्टेट आफ कर्नाटक द्वारा नोनावीनाकेरे पुलिस बनाम शिवाना उर्फ टरकारी शिवना में बलात्कार की घटना घटित होने के उपरान्त त्वरित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये गये हैं।

अ0शा0 परिपत्र संख्या-डीजी-03/2013 दि0 17.1.13
डीजी-सात-एस-2ए(निर्देश)/2013 दि0 12.4.2013
अ0शा0 परिपत्र संख्या-13/2013 दि0 17.4.13
अ0शा0 परिपत्र संख्या-डीजी-सात-एस(44)/2013 दि0 24.5.13
अ0शा0 परिपत्र संख्या-डीजी-41/2013 दि0 1.8.13
अ0शा0 परिपत्र संख्या-डीजी-58/2013 दि0 17.10.13

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में Mandamus के द्वारा अन्तरिम दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं:-

- बलात्कार का अपराध घटित होने की सूचना प्राप्त होने पर विवेचक पीड़िता को तुरन्त महानगरीय/न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान अंकित किये जाने हेतु कार्यवाही करेगा। बयान की एक प्रति विवेचक न्यायालय से प्राप्त करेगा। विवेचक इस बात पर ध्यान रखेगा कि बयान में अंकित तथ्यों को धारा 173 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र अथवा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित किये जाने तक किसी के समक्ष न प्रकट किया जाये। इस सम्बन्ध में प्रभावी गोपनीयता बनायी रखी जाये।

- विवेचक, जहां तक सम्भव हो, पीड़िता को निकटतम महिला महानगरीय/महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- विवेचक बलात्कार का अपराध होने की सूचना प्राप्त होने एवं पीड़िता को महिला महानगरीय/महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने की तिथि व समय अभियोग दैनिकी में अंकित करेगा।
- यदि पीड़िता को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने में 24 घण्टे से अधिक समय लगता है तो विवेचक अभियोग दैनिकी में इसका कारण अंकित करेगा और इसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण धारा 164(ए) दं0प्र0सं0 के अनुसार विवेचक द्वारा तुरन्त कराया जायेगा तथा इसकी एक प्रति तत्काल धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान अंकित करने वाले मजिस्ट्रेट को हस्तगत करा दी जाये।

2. अपेक्षा की जाती है कि इन आदेशों की एक प्रति प्रत्येक थाने पर भिजवाते हुए उन्हें निर्देशित करें कि उपरोक्त प्रक्रिया बलात्कार के उन प्रकरणों में अपनायी जायेगी जो इस आदेश प्राप्ति के दिन व उसके बाद पंजीकृत किये जाते हैं।

3. मैं अपेक्षा करता हूं कि आप बलात्कार के प्रकरण में संवेदनशील होकर उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवायेंगें।

भवदीय

हस्ताक्षर

(ए0एल0 बनर्जी)

ए0एल0बनर्जी,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांकःलखनऊःमई 10 ,2014

प्रिय महोदय,

संज्ञान में आया है कि कई जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक भी अपने स्तर से अपराधों की विवेचना एक थाने से किसी दूसरे थाने अथवा प्रकोष्ठ में स्थानान्तरित कर दे रहे हैं। कुछ जनपदों में एक अपराध की विवेचना कई-कई बार इधर से उधर स्थानान्तरित की जा रही है। किसी-किसी जनपद में अभियुक्त पक्ष के अनुरोध पर भी विवेचनाओं का स्थानान्तरण किया जा रहा है, जो सामान्यतया उचित नहीं है।

2. विवेचनाओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में इस मुख्यालय के पार्श्वांकित सन्दर्भ पत्रों से समय-समय पर निर्देश जारी किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं जो तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगेः-

परिपत्र संख्या-एडीजी-3/11 दिनांक 03.05.11
टा0आ0संख्या-डीजी-सात-एचसी(3)/11 दि0 18.05.11
डीजी परिपत्र संख्या-16/2013 दि0 29.04.13
अ0श0 परिपत्र संख्या-19/2013 दि0 06.05.13

(i) वर्तमान परिवेश में अब किसी भी अपराध की विवेचना का स्थानान्तरण क्षेत्राधिकारी अथवा अपर पुलिस अधीक्षक स्तर से नहीं किया जाएगा।

(ii) विवेचना का स्थानान्तरण जनपद में केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी द्वारा ही किया जाएगा।

(iii) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी किसी अपराध की विवेचना जनपद में एक थाने से दूसरे थाने अथवा क्राइम ब्रान्च में केवल एक बार स्थानान्तरित कर सकेंगे।

(iv) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सामान्यतया अभियुक्त पक्ष के अनुरोध पर विवेचना को किसी स्तर स्थानान्तरित न किया जाए।

(v) विवेचना के स्थानान्तरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी मुखरित आदेश पारित करेंगे, जिसकी प्रति परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक को भी निश्चित रूप से प्रेषित की जायेगी।

(vi) स्थानान्तरित विवेचनाओं के पर्यवेक्षण का कार्य स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी करेंगे। साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जघन्य अपराधों की विवेचना को दो माह में तथा साधारण अपराधों की विवेचना को एक माह में निष्पक्षता से पूर्ण करा लिया जाए। परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक अपने अधीन जनपदों में स्थानान्तरित विवेचना की सूची संकलित

करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वह विवेचनाए निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो जाए। यदि स्थानान्तरित विवेचना में इस समयावधि से अधिक समय लगता है तो परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक का स्पष्टीकरण लेकर अपनी टिप्पणी पुलिस महानिरीक्षक,जोन को भेजेगें, जो समीक्षोपरान्त पुलिस अधीक्षक को सचेत करेंगे।

(vii) आवश्कतानुसार अपरिहार्य स्थिति में जनपद से बाहर विवेचना का स्थानान्तरण परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा केवल एक बार किया जाएगा। परिक्षेत्र स्तर से निर्गत विवेचना स्थानान्तरण आदेश की प्रति पुलिस महानिरीक्षक जोन को दी जाएगी।

(viii) ऐसी विवेचनाएं जो परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा स्थानान्तरित की जायेंगी, उनके पर्यवेक्षण का कार्य स्वयं परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक का होगा, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि जघन्य अपराधों की विवेचनाओं को दो माह में तथा साधारण अपराधों की विवेचना एक माह में निष्पक्षता से पूर्ण हो जाए। उपरोक्तानुसार पुलिस महानिरीक्षक जोन भी परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा स्थानान्तरित विवेचनाओं की सूची संकलित करेंगे। पुलिस महानिरीक्षक जोन का दायित्व होगा कि यदि स्थानान्तरित विवेचनाएं इस समय अवधि से अधिक समय तक लम्बित रहती हैं तो परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक का स्पष्टीकरण प्राप्त कर इस मुख्यालय को भेजेंगे।

(ix) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 व पुलिस महानिरीक्षक जोन के स्तर से सामान्यतया विवेचना स्थानान्तरित करने के आदेश निर्गत नहीं किये जायेंगे। केवल ऐसे प्रकरण, जिसमें विवेचना की निष्पक्षता पर संदेह हो, विवेचना स्थानान्तरण के आदेश निर्गत किये जा सकते हैं। ऐसे प्रकरणों की विवेचना पुलिस महानिरीक्षक जोन के पर्यवेक्षण में उपरोक्त समयावधि के अन्दर निष्पक्ष रूप से करायी जायेगी। पुलिस महानिरीक्षक (अपराध), उ0प्र0 ऐसी सभी विवेचनाओं की सूची संकलित करेंगे।

(x) विवेचना के स्थानान्तरण के आदेश स्पीकिंग आर्डर के रूप में होंगे।

(xi) यदि विवेचना को पुनः स्थानान्तरित करने की परिस्थितियॉं बनती हैं तो उसके लिए पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा और इस सम्बन्ध में स्पष्ट कारण दर्शाते हुए एक प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को सम्बन्धित पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र व पुलिस महानिरीक्षक जोन के माध्यम से एवं उनकी अनुशंसा के साथ प्रेषित किया जायेगा।

(xii) यदि शासन स्तर से विवेचना स्थानान्तरण के आदेश किसी भी स्तर पर प्राप्त होते हैं तो ऐसे प्रकरणों की समीक्षा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद स्वयं करेंगे। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि विवेचना स्थानान्तरित होने से वादी के हितों की रक्षा होने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो प्रकरण

इस मुख्यालय को सन्दर्भित किया जायेगा, जिससे परीक्षणोंपरान्त प्रकरण को पुनः विचारण हेतु शासन से अनुरोध किया जा सके।

(xiii) संलग्न प्रारूप में प्रत्येक त्रैमास में पुलिस महानिरीक्षक जोन द्वारा सूचनाएं संकलित कर इस मुख्यालय को भेजी जायेंगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन हो रहा है।

भवदीय
हस्ताक्षर

(ए0एल0बनर्जी)

डीजी परिपत्र संख्या -75/2013

देवराज नागर,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः दिसम्बर 31,2013

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया पूर्व में निर्गत इस मुख्यालय के परिपत्र सं0ः-32/2013 दिनांक 01.07.2013 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद में गठित क्राइम ब्रांच के द्वारा चिन्हित अपराधों की विवेचनायें सम्पादित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

इस परिपत्र में दिये गये निर्देशों के क्रियान्वयन के अनुभव व अधिकारियों से विचार-विमर्श के उपरान्त उपरोक्त परिपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जा सकता हैः-

(i) निम्न अपराध के होने पर विवेचना तत्काल क्राइम ब्रांच द्वारा ग्रहण की जायेगीः-

- वे सभी हत्याऐं जिनमें मृतक की शिनाख्त न हुयी हो।
- सभी अज्ञात बलात्कार।
- फिरौती हेतु अपहरण।
- लूट/डकैती की वे सभी प्रकरण जिनमें माल से भरा ट्रक लूटा गया हो अथवा ट्रक से माल लूटा गया हो।
- 50 लाख से अधिक के आर्थिक धोखाधड़ी के अपराध।
- मनीलॉन्ड्रिंग के अपराध।
- FICN (जाली मुद्रा) के अपराध।
- आई0टी0 एक्ट के समस्त अपराध।

उपरोक्त श्रेणी के अपराध के होने पर सम्बन्धित थाने पर अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे तत्काल मौके पर पहुॅच कर घटनास्थल को सुरक्षित करेंगे तथा तत्काल क्राइम ब्रांच को सूचित करेंगे। क्राइम ब्रांच व फॉरेंसिक टीम शीघ्रातिशीघ्र मौके पर पहुॅच कर विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संग्रहण प्रारम्भ करेगी। जब तक फॉरेंसिक टीम व क्राइम ब्रांच के लोग मौके पर नहीं पहॅुचते, तब तक घटनास्थल व साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो तथा क्राइम सीन को सुरक्षित रखने का दायित्व थाना पुलिस का होगा।

(ii) उपरोक्त अभियोगों के अतिरिक्त जनपदीय पुलिस अधीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक के अनुमोदन के उपरान्त क्राइम ब्रांच को विवेचना स्थानान्तरित कर सकते हैं, परन्तु यह विवेचनायें केवल निम्नलिखित कारणों से ही क्राइम ब्रांच को दी जायेंगीः-

- अन्तर्जनपदीय अथवा अन्तर्राज्यीय अथवा संगठित अपराध।
- गम्भीर व सनसनीखेज हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती या चोरी।
- ऐसे प्रकरण जिसमें अभियुक्त नामजद हो, परन्तु उसकी संलिप्तता पर प्रश्नचिन्ह हो।
- ऐसी विवेचनायें जो थानाध्यक्ष के प्रयास के उपरान्त भी 30 दिवस के अन्दर वर्कआउट न हुयी हो । परन्तु प्रत्येक ऐसे प्रकरण में प्रारम्भिक जांच आदेशित की जायेगी और गुण-दोष के आधार पर थानाध्यक्ष के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(iii) जिन अभियोगों की विवेचनायें क्राइम ब्रांच से करायी जायें, उन विवेचनाओं में थानाध्यक्ष इसमें सहविवेचक के रूप में सम्मिलित किये जायें। इस प्रकार अज्ञात अभियोगों के अनावरण के लिये थानाध्यक्ष जिम्मेदार रहेंगे। अपराध के अनावरण न होने की दशा में उन पर कार्यवाही की जायेगी। थानाध्यक्ष द्वारा तहरीर गिरफ्तारी पर अभियुक्त की गिरफ्तारी, एन0बी0डब्ल्यू0 प्राप्त होने पर गिरफ्तारी, कुर्की की कार्यवाही, गिरफ्तारी हेतु दविश की कार्यवाही इत्यादि की जायेगी। थानाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त सभी कार्यवाही से सम्बन्धित केस डायरी किता की जायेगी, जो कि क्राइमब्रांच के विवेचक द्वारा किता की जायेगी केस डायरी का भाग बनेगी। यदि संदिग्ध व्यक्तियों की पूॅछतांछ की कार्यवाही भी थानाध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो उससे सम्बन्धित केस डायरी भी इन्हीं के द्वारा लिखी जायेगी।

(iv) वैज्ञानिक विवेचना हेतु यह अनिवार्य होगा कि 25 लाख से अधिक की चोरी और 10 लाख से अधिक की लूट/डकैती तथा ऐसी डकैती जिसमें हत्या भी हुई हो, उसमें क्राइम ब्रांच की फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन अविलम्ब करे।

(v) क्राइम ब्रांच की विवेचना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये यह अनिवार्य होगा कि जनपदीय पुलिस अधीक्षकों द्वारा माह में एक बार क्राइम ब्रांच की लम्बित विवेचनायें तथा परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षकों द्वारा तीन माह में एक बार अर्दलीरूम किया जायेगा ।

(vi) क्राइम ब्रांच के विवेचना शाखा में जी0डी0 रखी जायेगी ।

(vii) क्राइम ब्रांच के विवेचक को थानाध्यक्ष का दर्जा दिया जाता है ।

मैं अपेक्षा करता हूॅ कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा

भवदीय,
हस्ताक्षर
(देवराज नागर)

डीजी परिपत्र संख्या -67/2013

देवराज नागरआई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः दिसम्बर 09

प्रिय महोदय,

पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-101 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपदों में घटित जघन्य व सनसनीखेज अपराधों को विशेष अपराध की श्रेणी में रखकर विशेष अपराध आख्या पत्रावली खोलकर जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर विवेचनात्मक कार्यवाही का पर्यवेक्षण करने की व्यवस्था निर्धारित है । इस सम्बन्ध मे मुख्यालय से अ0शा0पत्र संख्याःडीजी-एस-9(निर्देश/टीएसः4)/2013 दिनांकित 04.03. 2013 द्वारा आदेश भी निर्गत किये गये है ।

वर्तमान में विशेष अपराध आख्या पत्रावली पर पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा विवेचना में कृत कार्यवाही का विवरण क्रमागत आख्या के रूप में लिखा जाता है तथा विवेचना में की गयी कार्यवाही का विवरण एक नजर में (At a glance) देखने के लिए “फार्म-ए” विशेष अपराध आख्या पत्रावली के वायें पृष्ठ पर चस्पा किया जाता है । मुख्यालय स्तर पर समीक्षा किये जाने से पाया गया कि “फार्म-ए” में एकरूपता नहीं है । “फार्म-ए” का प्रारूप जनपदों द्वारा भिन्न-भिन्न रूप में तैयार कर प्रयोग में लाया जा रहा है जिसमें मात्र अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही का उल्लेख कर पर्यवेक्षण किया जा रहा है । विवेचना के मध्य विवेचक द्वारा प्रयोग किये गये वैज्ञानिक तरीकों आदि को देखे जाने की व्यवस्था नही है ।

आ0शा0-परिपत्र सं0-4 दिनांक 09.01. 2012
आ0शा0-परिपत्र सं0-46 दिनांक 11.10. 2012
आ0शा0-परिपत्र सं0-3 दिनांक 17.01. 2013
आ0शा0-परिपत्र सं027 दिनांक 03.06. 2013
आ0शा0-परिपत्र सं0-46 दिनांक 17.08. 2013

विवेचनाओं में गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु पार्श्वांकित परिपत्र समय-समय पर मुख्यालय द्वारा निर्गत कर अन्वेषण कार्य में पुलिस को वैज्ञानिक प्रणालियों को अपनाये जाने के आदेश दिये गये है ।

विशेष अपराध आख्या पत्रावली के बायें पृष्ठ पर चस्पा किये जाने वाले “नवीन फार्म-ए” को मुख्यालय स्तर पर तैयार किया गया है जिसमें अभियुक्तों के विरूद्ध कृत कार्यवाही ,उनसे हुई बारामदगी, फोटोग्राफ आदि (नवीन फार्म-ए भाग-1) के साथ-साथ विवेचक द्वारा विवेचना में प्रयुक्त वैज्ञानिक विधियों को पर्यवेक्षण किये जाने हेतु “फॉरेसिंक विवरण”(नवीन फार्म-ए भाग-2) व “गवाहों का विवरण”(नवीन फार्म-ए भाग-3) उनके द्वारा दिये गये बयानों से प्रमाणित हुए आरोपों को “एक नजर में” देखे जाने की व्यवस्था है । नवीन फार्म-ए के भाग 1 व 2 को विशेष अपराध आख्या पत्रावली के कवर पेज के अन्दर बायें पृष्ठ (Front inner cover) पर तथा नवीन फार्म-ए के भाग-3 को पत्रावली के कवर पेज के अन्दर बाये पृष्ठ (Back, inner, Cover) पर चस्पा कराकर अद्यावधिक रखे जाने से पत्रावली पर की गयी कार्यवाही को एक नजर में देख कर सुगमता पूर्वक प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षित किया जा सकता है । पूर्व में विकसित H.C.M.S.साफ्टवेयर में कालम के अनुसार सूचनाओं को फीड किये जाने में भी सुगमता रहेगी और सभी स्तरों पर एकरूकता भी निर्धारित हो जायेगी ।

अपेक्षा की जाती है कि कृपया पूर्व से चस्पा किये जा रहे फार्म-ए के स्थान पर संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे “नवीन फार्म-ए” भाग-1,2 व 3 “संलग्नक-1” एवं तत्संबंधी व्यवस्था “संलग्नक-2” के अनुसार प्रचलित विशेष अपराध आख्या पत्रावलियों के बायें एव दायें पृष्ट पर चस्पा कराकर अद्यावधिक रखे

जाने हेतु कार्यवाही करायें । इस कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु पर्यवेक्षण अधिकारी की जबाबदेही निर्धारित कर दी जाय । कृत कार्यवाही विषयक अनुपालन आख्या जोनल पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से 30.12.2013 तक इस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ।

भवदीय
हस्ताक्षर
(देवराज नागर)

देवराज नागर,
आईपीएस

डीजी परिपत्र संख्या–44 / 2013

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांकः अगस्त 05, 2013

प्रिय महोदय,

आप सभी अवगत है कि विगत वर्षो में इण्टरनेट सेवाओं का बहुत विस्तार हुआ है। विशेषकर, जहॉ एक ओर स्पेशल नेटवर्किंग साइट्स ने समाज में सूचनाओं के आदान–प्रदान में क्रान्तिकारी गति प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर इनका प्रयोग धार्मिक उन्माद फैलाने, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने, संस्थाओं के प्रति दुष्प्रचार फैलाने आदि के लिए आपराधिक षडयन्त्र के रूप में किया जा रहा है। पिछले दिनों, सर्वाधिक शिकायतें फेसबुक पर बने पेज / प्रोफाइल से सम्बन्धित पायी गयी।

अग्रसक्रिय निगरानी (Proactive surveillance):–

इस परिप्रेक्ष्य में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने स्तर से फेसबुक तथा अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स / इण्टरनेट पेजों पर अग्रसक्रिय (प्रोएक्टिव) रहते हुए निगरानी रखें। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का दुष्प्रचार फैलाने के लिए फेसबुक पर पेज बनाए जाते हैं। ऐसे पेज पर प्रस्तुत की गई विषयवस्तु को पोस्ट कहते है। इस पेज को देखने वाले (user) अन्य यूजर्स के साथ साझा (share) करके इस आपत्तिजनक पेज का प्रचार करते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा पेज बनाने वाला बेतरतीब ढंग से (randomly) फेसबुक प्रोफाइल्स को आमंत्रण (invite) भेजता है।

अतः फेसबुक पर आपत्तिजनक पेज / प्रोफाइल की तलाश के लिए पुलिस को भी एक पेज / प्रोफाइल (खोज करने हेतु) बनानी पडेगी। इसके अतिरिक्त सर्च इंजन जैसे google आदि पर भी सम्भावित आपत्तिजनक सामग्री (content) नियमित खोजा जाना चाहिए।

आपके जनपदों में साइबर क्राइम अन्वेषण हेतु प्रशिक्षित कर्मियों को उपरोक्त समस्त जानकारी दी गई है। आप इनका उपयोग इस कार्य हेतु करें।

पेज / प्रोफाइल को अवरुद्ध (Block) करने की कार्यवाही–

यदि खोज के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री (Page/Profile/Comment) प्रकाश में आती है तो सर्वप्रथम उनका विवरण प्राप्त करते हुए उसे फेसबुक से विलोप (Delete) कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित चरणों में कार्यवाही करें।

1. आपत्तिजनक पेज / प्रोफाइल का यू0आर0एल0(एड्रेस बार में अंकित स्ट्रिंग) अंकित करते हुए उसके क्रिएशन(Creation) का आई0पी0 एड्रेस डेट, टाइम(टाइम फारमेट सहित) तथा अल्प अवधि का लॉग–इन डिटेल्स(Login Details) तथा आपत्तिजनक पेज / प्रोफाइल डिलीट करने

हेतु धारा–91 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत नोटिस राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर/सील सहित तैयार करें। इस नोटिस में अपना ई–मेल आई0डी0 अवश्य अंकित करें। इस नोटिस में आपत्तिजनक विषयवस्तु और फोटोग्राफ काLink अवश्य अंकित करें जिससे Facebook को विषयवस्तु को हटाने तथा आई0पी0 डिटेल उपलब्ध कराना आसान हो। यह अवश्य ध्यान में रखा जाये कि पेज/प्रोफाइल को तत्काल हटाने के लिए औचित्य स्पष्ट रहे। मात्र विषयवस्तु को हटाने का आग्रह पर्याप्त नहीं होगा।

2. उक्त तैयार नोटिस को स्कैन करकेrecords@fb.comतथा प्रतिलिपिjwu@fb.comको भेजें।

3. फेसबुक ने पुलिस/LEAs(Law Enforcement Agencies) के लिए ऑन लाईन कम्पलेन्ट पोर्टल(Online Complaint Portal) भी शुरू किया है, जिसका उपयोग करें। इस पोर्टल के माध्यम सेLEA's 91 CrPC की नोटिस के माध्यम से 90 दिनों के लिएdigital evidence संरक्षित करा सकते हैं। उक्त अवधि को बढ़ाने हेतु 90 दिवस के भीतर पुनः91 CrPCकी नोटिस भेजी जा सकती है।

4. इसके अतिरिक्त आपत्तिजनक सामग्री के सभी पेजों का स्क्रीनशाट(Screen Shot) लेकर सुरक्षित रखें, जिसका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर साक्ष्य के रूप में किया जा सके।

5. उल्लेखनीय है कि फेसबुक की सुदृढ़ प्रति दुष्प्रेरण(anti abuse) नीति है जिसका प्रयोग कर कोई भी उपयोगकर्ता किसी आपत्तिजनक प्रोफाइल को ब्लाक करा सकता है। इसके लिए प्रोफाइल पर सेटिंग्स(Setting) में जाकर 'ब्लाक' कराने के विकल्प (Option) को चुना जा सकता है। यदि आपके पास काफी शिकायतकर्ता आते हैं तो उन्हे यह जानकारी अधिकाधिक दें और उनसे अनुरोध करें कि वे भी अपनी तरफ सेFacebookको प्रोफाइलblockकरने के लिए उपरोक्तानुसार निवेदन भेंजे।

शिकायत प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाहीः–

यदि किसी व्यक्ति या संस्था से शिकायत प्राप्त होती है अथवा खोज के दौरान कोई ऐसी सामग्री मिलती है जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने अथवा किसी व्यक्ति/समूह को जीवन भय की आसन्न स्थिति पेदा हो गई हो तो तत्काल उचित धाराओं का अभियोग पंजीकृत करके निम्नलिखित प्रकिया अपनाई जाएः–

(अ) यदि ऐसा व्यक्ति प्रोफाइल में दिये गये विवरण से चिन्हित किया जा सकता है तो उसके द्वारा पोस्ट की गयी सामग्री की संवेदनशीलता बताते हुए ऐसी सामग्री तत्काल हटा लेने के लिए सहमत करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो सम्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिए।

(ब) पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित पेज/प्रोफाइल/पोस्ट का उल्लेख करते हुए पूर्व बिन्दु–1 के अनुसार विवरण उपलब्ध कराने एवं आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए आदेश (अग्रेजी में) सम्बन्धित न्यायालय से प्राप्त करें । यदि पेज/पोस्ट हिन्दी अथवा अन्य क्षेत्रीय भाषा में हो तो उसके साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न करना चाहिए जिससे फेसबुक टीम को विषय की गम्भीरता से परिचित कराया जा सके ।

(स) प्राप्त आदेश की प्रति स्कैन करें और कवरिंग पत्र के साथ records@fb.com, jwu@fb.com तथा प्रतिलिपि दूरसंचार मंत्रालय, भारत सरकार की मेल आईडी ddgds-dot@nic.in पर भेजें । ध्यान रहे कि सभी पत्राचार अंग्रेजी मे किये जायें क्योकि फेसबुक सर्वर अमेरिका में स्थित है ।

(द) फेसबुक से क्रिएशन तथा लॉग–इन विवरण प्राप्त होने पर IP एड्रेस के इण्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर(ISP) से कनेक्टिविटी(Connectvity) विवरण प्राप्त करें । मोबाइल/लीज्ड लाइन अथवा साइबर कैफे से कनेक्ट होने की स्थिति में उपभोक्ता विवरण तथा उसके काल डिटेल्स के आधार पर उसकी पहचान का प्रयास करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही करें । यह कार्य करने के लिए प्रत्येक जनपद में कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(इ) फेसबुक से किये जा रहे समस्त पत्राचार (ई–मेल द्वारा) की प्रति सर्ट–इन (computer emergency response team- India)ई–मेल आईडी इन (incident@sert-in.org.in) पद भी की जाएं ।

मै आशा करता हूॅ कि क्राइम ब्रान्च में गठित साइबर सेल में प्रशिक्षित अधिकारी/कर्मियों का उपयोग करके आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अग्रसक्रिय निगरानी रखेगें और आवश्यकतानुसार आपत्तिजनक प्रोफाइल/पेज को विलोप करने व ऐसे साइबर अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही करेगें।

भवदीय

ह0 05.08.2013

(देवराज नागर)

डीजी परिपत्र संख्याः 41/2013

देवराज नागर,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःअगस्त 01 ,2013

विषय- बलात्कार एवं बलात्कार सहित हत्या जैसे जघन्य अपराधों के पंजीकरण एवं विवेचना में सुधार हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

डीजी-सात-एस-2ए (निर्देश)/2013 दि0 12.4.13
अ0शा0 परिपत्र संख्या-13/2013 दि0 17.04.13
डीजी परिपत्र संख्या-16/2013 दि0 29.04.13
अ0श0 परिपत्र संख्या-19/2013 दि0 06.05.13

हत्या एवं बलात्कार जैसे अपराधों के पंजीकरण, विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने एवं इसमें वैज्ञानिक विधियों का समावेश किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर मुख्यालय द्वारा पार्श्वांकित परिपत्र पूर्व में निर्गत किये गये हैं एवं विभिन्न बैठकों में भी इसकी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जाती रही है। आप सहमत होगें कि अपराधों के सही पंजीकरण व विवेचना की गुणवत्ता में सुधार होने से अपराधियों को मा0 न्यायालय से दण्डित किये जाने का प्रतिशत बढ़ेगा साथ ही अपराधियों पर दबाव बढ़ने के साथ अपराधों पर नियंत्रण भी होगा।

2. मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल अपील (कैपिटल केस) नम्बर 2899/2011 नेम सिंह उर्फ मूला बनाम स्टेट आफ यू0पी0, क्रिमिनल रिफ्रेस नंम्बर 10/2011 व गर्वन्मेंट अपील 4681/2011 स्टेट आफ यू0पी0 बनाम अवधेश के प्रकरण में बलात्कार सहित हत्या की विवेचना में विवेचक द्वारा की गयी लापरवाही तथा विवेचना में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग न करके मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य के कारण विचारण के दौरान ठोस साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त के दोष मुक्त होने पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विवेचना में वैज्ञानिक पद्धति न अपनाने के कारण क्षोभ व्यक्त करते हुए अपने निर्णय में बलात्कार व बलात्कार सहित हत्या के अपराधों के पंजीकरण व विवेचना की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु आदेश दिये गये उक्त निर्णय के सुसंगत अंश निम्नलिखित हैः-

We therefore make the following suggestions:

1. Whenever there is the slightest suspicion (which is probable in the case of the apparently reasonless murder of a little girl child, corroborated by injuries on her body, especially to her private parts) the police should not hesitate in registering the crime also under section 376 IPC, and not show the crime only as a murder.
2. The medical examination by a Registered Medical Practitioner (RMP) of the arrested accused whose examination may provide ground for suggesting his

involvement in the rape crime, be got immediately conducted by the Investigating officer, not only in compliance of s. 53 Cr.P.C. (as mentioned above), but also u/s s. 53 A (1) as specifically provided by Act 25 of 2005 for rape related offences.

3. Under s. 53 A (2) Cr.P.C. the RMP shall immediately examine the accused noting the name and address of the accused and the person producing the accused. Age of the accused, marks of injury on the accused's person, material collected from the accused's person for DNA profiling, details of other material particulars, reasons for conclusions, exact time of commencement or examination. The report has to be forwarded to the I.O and through him to the Magistrate concerned u/s 173(5)(e) Cr.P.C. The "Examination" u/s 53(2), Explanation (vide Act 25 of 2005) includes examination of blood, blood stains, semen, swabs in case of sexual offences and finger nail clippings by the use of modern scientific techniques including DNA profiling and other tests considered necessary by the RMP. A similar procedure for examination of the living victim of rape, subject to her own or guardian's consent, within 24 hours has been provided by s. 164 A (vide Act 25 of 2005).

4. Under section 157(1) proviso, (inserted Criminal Procedure Amendment Act 5 of 2009) the statement of the victim of rape is to be recorded at her residence or a place of her choice, and preferably by a woman police officer in the presence of her parents, guardians, near relatives, or a local social worker.

5. The supervisory Circle or other senior officer should ensure that the I.O. registers cases where there are reasons to suspect that rape has also been committed also under section 376 IPC and to ensure that the above requirements are strictly observed. It may be pointed out that by newly introduced section 166 A IPC (vide Crl. Law Amendment Act 2013) the failure of a public servant to record the rape FIR or wrongly requiring attendance of the victim at the police station can invite a rigorous imprisonment from 6 months extending to two years. The supervising officer must also ensure that modern scientific and forensic techniques are fully utilized in investigations of rape cum murders.

6. By section 173(I A) introduced by Amendment Act 5 of 2009 the investigation with regard to a child rape is to be completed within 3 months of the report at the police station.

मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के क्रम में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैः-

- जहॉं महिलाओं एवं छोटी लड़कियों की हत्या हुई हो और उसके शरीर पर, विशेष रूप से जननांगों पर चोट के कारण बलात्कार का लेशमात्र भी संदेह विद्यमान हो तो हत्या के साथ बलात्कार की धारा के अन्तर्गत मुकदमा अवश्य पंजीकरण किया जायेगा तथा विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन में भी इसका ध्यान रखा जाय।
- विवेचक द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 53 व 53 ए(1) के प्राविधानों के अनुपालन में अभियुक्त का रजिस्ट्रर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा।

बलात्कार की घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात बलात्कार के साक्ष्य के लिए उसका मेडिकल परीक्षण सरकारी डाक्टर से अवश्य कराया जायेगा, जिससे उसके द्वारा बलात्कार करने की पुष्टि हो सके, तथा अपराध में संलिप्त होने का पर्याप्त आधार मिल सके। इस संबंध में अभियुक्त का Smegma Testभी कराया जायेगा ।

- चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक अभियुक्त तथा उसकों प्रस्तुत करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम, पता नोट करने के पश्चात तत्काल चिकित्सीय परीक्षण करेगा। मेडिकल परीक्षण के समय चिकित्सक बलात्कार सम्बन्धी परिणाम निकालने के कारक जैसे अभियुक्त की आयु, उसके शरीर पर पाये जाने वाले चोटों के निशान, उसके शरीर से डीएनए प्रोफाईलिंग हेतु एकत्रित किये गये पदार्थो तथा अन्य पाये जाने वाले पदार्थो का विवरण अंकित करेगा। चिकित्सीय परीक्षण में परिणाम निर्धारित करने के कारण और परीक्षण के प्रारम्भ होने का सही समय भी अंकित करेगा तथा परीक्षण रिर्पोट विवेचक को प्रेषित करेगा । उक्त परीक्षण रिर्पोट को विवेचक दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 173(5)(इ)के अनुपालन में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
- दं0प्र0सं0 की धारा 53 (2) (Act 25 of 2005) के अन्तर्गत बलात्कार के अपराधों में परीक्षण में रक्त, रक्त के धब्बे, वीर्य, प्रयुक्त रूई के फाहे (swab), पीड़िता के जननांग में पाये जाने वाले अभियुक्त का वीर्य तथा अभियुक्त के जननांग पर मौजूद पीड़िता के जननांग के रक्त व स्रवित द्रव, आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए अंगुलि के नाखूनों से पकड़ने के निशान, डीएनए प्रोफाईलिंग तथा अन्य आवश्यक परीक्षण सरकारी डाक्टर करेगा तथा उसे परीक्षण के लिए संरक्षित करेगा।
- दं0प्र0सं0 की धारा 164(ए) व (Act 25 of 2005) के अन्तर्गत बलात्कार की जीवित पीड़िता का उपरोक्त परीक्षण 24 घण्टे के अन्दर उसके स्वयं की सहमति या अभिभावक की सहमति से कराया जायेगा।
- दं0प्र0सं0 की धारा 157(1) के परन्तुक (2009 के Criminal procedure Amendment Act5 में सम्मिलित) के अनुसार बलात्कार की पीड़िता का बयान उसके आवास पर या उसके द्वारा इच्छित स्थान पर विशेषतः(Preferably) महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता-पिता, अभिभावकों, नजदीकी रिश्तेदारों या सामाजिक कार्यकर्त्ता की मौजूदगी में लिया जायेगा।
- किसी भी दशा में पडिता को थाने पर नही रखा जायेगा । यदि चिकित्सा की आवश्यकता हो तो उसे चिकित्सालय में भर्ती कराया जायेगा अन्यथा स्वेच्छा से घर जाने दिया जायेगा ।
- क्षेत्राधिकारी या अन्य उच्च पर्यवेक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगें कि जिन घटनाओं में बलात्कार का भी संदेह हो तो वहॉ विवेचक धारा 376 भादवि के अन्तर्गत भी अवश्य अभियोग पंजीकृत करें ओर उपरोक्त निर्देशों का पूर्णतया पालन सुनिश्चित करायेंगे ।
- इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हाल ही में लागू धारा 166(ए)भादंवि (Vide Crl. Law Amendment Act-2013) के अन्तर्गत यदि कोई लोक सेवक के धारा 376 भादंवि का अपराध पंजीकृत करने में असफल रहता है या पीड़िता को अवैधानिक रूप से थाने पर बुलाता है, तो उसे 06 माह से लेकर 02 वर्ष तक के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।
- बलात्कार सहित हत्या के अपराधों में पर्यवेक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि विवेचना के दौरान आधुनिक विज्ञान तथा विधि विज्ञान तकनीकों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाय।

- धारा 173(1ए) दं0प्र0सं0(Amendment Act 5 of2009) के अन्तर्गत बच्चे के साथ हुए बलात्कार के अभियोग की विवेचना 03 माह के अन्दर अवश्य पूरी कर ली जाय।

3. अतः आप सभी को निदेर्शित किया जाता है कि बलात्कार व बलात्कार सहित हत्या के प्रकरण में संवेदनशील होकर उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये।

भवदीय,
हस्ताक्षर
(देवराज नागर)

डीजी परिपत्र संख्याः 34/2013

देवराज नागर,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ ।
दिनांकःलखनऊःजुलाई 10 ,2013

प्रिय महोदय,

कृपया अधोहस्ताक्षरी के अ0शा0परिपत्र संख्या 32/2013 दिनांक 01.07.2013 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा समस्त जनपदीय पुलिस प्रभारीगण/परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षकगण एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षकगण को क्रिमिनल मिस(पी0एल0आई0) रिट याचिका संख्या 1797/2011 मो0 कासिम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में समस्त जनपदों में क्राइम ब्रान्च में उपनिरीक्षकों की नियुक्ति करने एवं उनके द्वारा निर्धारित अभियोगों की विवेचना किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उपरोक्त संबंध में आप अपने परिक्षेत्र के जनपदों में उपरोक्त परिपत्र में चिन्हित अपराधों की शीघ्र समीक्षा कर लें तथा अपराधों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में उपनिरीक्षकों को क्राइम ब्रांच में नियुक्त करे। उचित होगा कि एक उप निरीक्षक माह में दो या तीन से अधिक विवेचना न करें। मा0 उच्च न्यायालय ने यह भी अपेक्षा की है कि क्राइम ब्रांच में वे ही उपनिरीक्षक नियुक्त कियें जाये जो विवेचना में निपुण हों तथा पूर्व में सौंपे गये अभियोगों की विवेचना का सफल अनावरण कर चुके हों। अतः तदानुसार उपनिरीक्षकगण की नियुक्ति की जाय।

चूंकि उपरोक्त के संबंध में मा0उच्च न्यायालय में दिनांक 05.08.2013 के पूर्व अनुपालन आख्या का शपथपत्र दाखिल किया जाना है, अतः इस संबंध में आप परिक्षेत्र के जनपदों में उपरोक्तानुसार की गयी कार्यवाही की संकलित अनुपालन आख्या दिनांक 30.07.2013 तक प्रत्येक दशा में इस मुख्यालय को उपलब्ध करायें। क्राइम ब्रांच में नियुक्त उपनिरीक्षक, जिनके द्वारा पूर्व में अच्छे अपराधों का सफल अनावरण किया गया है, की सूची मय अपराध विवरण के उपलब्ध कराई जाए।

यह न्यायालय का प्रकरण है अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

भवदीय

हस्ताक्षर

(देवराज नागर)

डीजी परिपत्र संख्याः 32/2013

देवराज नागर,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ ।
दिनांकःलखनऊःजुलाई 01 ,2013

प्रिय महोदय,

कृपया क्रिमिनल मिस(पी0आई0एल0)रिट याचिका संख्याः1797/2011 मो0 कासिम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय ने 06 महानगरों क्रमशः मेरठ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ में प्रत्येक शहरी थाने पर कानून-व्यवस्था व विवेचना विंग का पृथकीकरण करने के निर्देश दिये थे। इस क्रम में इन 06 महानगरों में वर्ष 2012 के विभिन्न माह में प्रत्येक शहरी थाने में पृथकीकरण करने के निर्देश जारी किये गये।

2. लगभग 01 वर्ष तक इस प्रयोग के मूल्यॉकन से यह अनुभव हुआ कि उपनिरीक्षकों की भारी रिक्तियों के कारण पृथकीकरण बहुत सफल नही हो पा रहा है। कार्य की अधिकता के कारण विवेचना पुलिस व कानून व्यवस्था पुलिस में नियुक्त उपनिरीक्षकों को दोनो ही कार्य करने पड़ रहे है । अतः पृथकीकरण का वॉछित लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है।

3. उपरोक्त रिट में दिनॉक 23.05.2013 को मा0 उच्च न्यायालय में पुनः विचारण के दौरान मा0 उच्च न्यायालय को परिस्थितियों से अवगत कराते हुये अपर पुलिस महानिदेशक(अपराध एवं कानून व्यवस्था)उ0प्र0 के परिपत्र 03/2013 दिनॉक 14.03.2013 द्वारा प्रत्येक जनपद में क्राइम ब्रान्च के गठन के संबंध मे निर्गत निर्देश संज्ञान में लाये गये । मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया है कि उपनिरीक्षकों की भर्ती व प्रोन्नति से जैसे-जैसे रिक्तियॉ भरती जायेंगी वैसे-वैसे प्रतयेक थाने पर विवेचना पुलिस व कानून-व्यवस्था पुलिस का पृथकीकरण लागू किया जायेगा। परन्तु जब तक रिक्तियॉ विद्यमान है तब तक प्रत्येक जनपद में गठित क्राइम ब्रान्च के द्वारा सनसनीखेज अपराधों की विवेचना का कार्य किये जायेगा ताकि विवेचना के स्तर में गुणात्मक सुधार हो सकें। मा0 उच्च न्यायालय ने उपरोक्त स्थिति से सहमति प्रकट करते हुए अपेक्षा की है कि परिपत्र निर्गत कर स्पष्ट कर दिया जाए कि क्राइम ब्रान्च द्वारा किस-किस प्रकार की विवेचना ग्रहण की जायेगी।

4. इसी क्रम में इस परिपत्र के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है कि क्राइम ब्रान्च में 03 विवेचना टीमों के द्वारा निम्नलिखित अपराधों की विवेचना सम्पादित की जायेगीः-

(i) जघन्य अपराध इकाई (Serious Crime Unit)

(a) सभी अज्ञात हत्याएँ।
(b) 05 लाख रूपये से अधिक की डकैती एवं लूट।
(c) सभी अज्ञात बलात्कार।
(d) 10 लाख रूपये से अधिक कीमती सामानों की चोरी।

(e) सभी बैंक लूट।

(f) फिरौती हेतु अपहरण।

(g) रोड होल्ड अप।

(ii) आर्थिक अपराध इकाई (Financialfraud Unit)

(a) 10 लाख से अधिक आर्थिक धोखा-धड़ी के अपराध।

(b) सभी मनी लॉड्रिंग अपराध।

(iii) साइबर अपराध इकाई (Cyber Crime Unit)

(a) आई0टी0 एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत सभी अपराधों की विवेचना।

5. अभी तक जनपद में गठित क्राइम ब्रान्च की उपलब्धियों का अवलोकन करने से ऐसा ज्ञात हो रहा है कि कुछ जनपदों में क्राइम ब्रान्च का कार्य सनसनीखेज के अपराधों के अनावरण तक ही सीमित है। महत्वपूर्ण अपराधों की विवेचना में इनका कोई योगदान नहीं है। यह कदापि उचित नहीं है। आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि क्राइम ब्रान्च के अन्तर्गत गठित अभिसूचना तंत्र (Intelligence Wing) के द्वारा अपराध व अपराधी अभिसूचना संकलन व सर्विलान्स का काम किया जाता है और विवेचना इकाई के द्वारा इन अपराधों का अनावरण व विवेचना सम्पादित की जाती है। अतः अपेक्षा की जाती है कि क्राइम ब्रान्च में पर्याप्त मात्रा में उपनिरीक्षकों को विवेचना टीम में नियुक्त करें ताकि उपरोक्त इंगित गये सभी अपराधों की विवेचना क्राइम ब्रान्च के द्वारा सम्पादित की जा सके। इसमें कतई लापरवाही न की जाय।

6. वह सभी अपराध जिनकी विवेचना क्राइम ब्रान्च द्वारा की जायेगी उनका पर्यवेक्षण अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) व क्षेत्राधिकारी (अपराध) द्वारा किया जायेगा।

7. पुलिस अधीक्षक, क्राइम ब्रान्च की विवेचना का अर्दली रूम (OR) प्रत्येक माह और पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र अपने अधीनस्थ जनपदों में हर दो माह में एक बार अर्दली रूम (OR) अवश्य करेंगे।

8. जोनल पुलिस महानिरीक्षक व परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त व्यवस्था प्रत्येक जनपद में 30 जुलाई-2013 तक अवश्यक लागू करायें।

9. अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 इस आशय का प्रमाण-पत्र दिनांक 31.07.2013 तक अपर पुलिस महानिदेशक(अपराध एवं कानून-व्यवस्था), उ0प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

भवदीय

हस्ताक्षर

(देवराज नागर)

देवराज नागर,
आईपीएस

अ0शा0 परिपत्र संख्या–19/2013

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांकः मई 06, 2013

प्रिय महोदय,

महिलाओं के विरूद्व घटित अपराध अत्यन्त गंभीर विषय है जिस पर पुलिस को प्रभावी कार्यवाही कर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है। कुछ समय से इन अपराधों में वृद्धि प्रदर्शित हुई है, जिसके पीछे विभिन्न कारण हो सकते हैं। जहॉ एक ओर महिलाओं द्वारा अभियोग पंजीकृत कराने का साहस किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बढ़ते हुए उपभोक्तावाद, शहरीकरण, अश्लील साहित्य का अबाध उपलब्धता एवं मानसिक कुविकार इत्यादि भी इसका कारण है। कारण जो भी हो, परन्तु पुलिस के लिए यह एक चिंता का विषय है।

इस संबंध में मेरे द्वारा कई परिपत्र जारी किये गये हैं और दिनांक–27–04–2013 को हुई गोष्ठी में इस विषय पर चर्चा की गयी थी। विचार–विमर्श के दौरान यह पाया गया था कि पुलिस को अपने स्तर से निम्नलिखित कार्यवाही करनी चाहिएः–

(अ) कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से ग्राम व बस्तियों का अंगीकरण कर वहॉ के युवक, युवतियों को खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से पुलिस व समाज की मुख्य धारा से जोड़कर रखना।

(ब) कम्प्युनिटी पुलिसिंग व सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों एवं कर्मियों के माध्यम से सुरक्षा के संबंध में जागरूकता पैदा करना। ग्राम सुरक्षा समितियों के प्रदर्शन, आशा–बहुएं, एएनएम, शिक्षकों इत्यादि के माध्यम से इसका प्रचार कराना जाना।

(स) अति महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि Broken Window Concept के तहत पुलिस को महिलाओं के विरूद्व छोटे से छोटे अपराध, चाहे वे धारा 509 भादंवि के पंजीकृत हुए हो, में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाना। इसी प्रकार से संवेदनशील स्थानों व समय पर प्रभावी गश्त की व्यवस्था की जाय। छोटी से छोटी घटना को कदापि अनदेखा न किया जाना।

(द) उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कर वैज्ञानिक पद्वति का इस्तेमाल कर उत्तम व त्वरित विवेचना करना।

(य) महिलाओं के विरूद्व गंभीर प्रकरण जैसे बलात्कार व हत्या, गैंग रेप, सनसनीखेज बलात्कार के प्रकरणों को चिन्हित कर उनकी कोर्ट में प्रभावी पैरवी कराकर अभियुक्त को सजा दिलवाया जाना।

(र) ऐसे अभियुक्त जिनके द्वारा महिलाओं के विरूद्व दुर्दान्त अपराध किये गये हैं, उनके विरूद्व गिरोहबंद अधिनियम, गुण्डा अधिनियम व आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाना। यह कार्यवाही विशेषकर ऐसे व्यक्तियों के विरूद्व अवश्य हो जो इस प्रकार के अपराध करने के आदी हों।

जहॉ कुछ जनपदों में मैं पा रहा हूँ कि पुलिस अधीक्षक स्तर पर अपेक्षित प्रयास किया जा रहा है, वहीं यह अत्यन्त खेदजनक है कि अभी भी दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 व बच्चों से संबंधित यौन उत्पीड़न अधिनियम 2012 (POSCO) की धाराओं का प्रयोग मुकदमा पंजीकरण के समय नहीं किया जा रहा है। सबसे अधिक खेदजनक यह है कि पुलिस महानिदेशक कार्यालय से दूरभाष पर संबंधित अधिकारियों को बताकर उचित धाराओं का समावेश अभियोगों में कराया जा रहा है। जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा संभवतः अपने इस दायित्व को पूर्णतः निष्पादित नहीं किया जा रहा है। मेरे कार्यालय से जब यह कार्य किया जा सकता है तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारी स्वयं अग्र–सक्रिय (Pro-active) होकर यह कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित करेगें। पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि कार्यशाला आयोजित कर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को इन धाराओं के बारे में अवगत करावें। ऐसा न करने पर गंभीर रूख अपनाया जायेगा।

मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि इन संवेदनशील अपराधों को रोकने के लिए आपने अपने कार्यक्षेत्र (जोन/परिक्षेत्र/जनपद) पर क्या कार्ययोजना बनाई है। मुझे इस सम्बन्ध में एक सप्ताह में अवगत कराएं।

भवदीय

ह0 06.05.2013

(देवराज नागर)

डीजी परिपत्र संख्याः 16/2013

देवराज नागर,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ ।

दिनांकःलखनऊः अप्रैल 29 ,2013

प्रिय महोदय,

महिलाओं के साथ घटित होनी वाली बलात्कार, छेड़खानी की घटनायें अत्यन्त निन्दनीय हैं। इसमें विशेष रूप से नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार तथा छेड़खानी की घटित होनी वाली घटनायें अत्यन्त चिन्ता का विषय है। उक्त अपराध पर नियन्त्रण पाने के लिए निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता हैः-

<u>विवेचनाः</u>

1. महिला सम्बन्धी अपराधों में यह आवश्यक है कि पीड़िता की एफ.आई.आर. एवं बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लिया जाये।
2. घटना स्थल को टेप लगाकर संरक्षित किया जाये। घटना स्थल की फोटोग्राफी फील्ड यूनिट को बुलाकर करायी जाये।
3. द0प्र0सं0 की धारा 161(3) के अन्तर्गत पीड़िता के बयान की वीडियोग्राफी करायी जाये।
4. विवेचक का दायित्व होगा कि वह तत्काल किसी एन0जी0ओ0/परामर्शदाता (Counselor) से सम्पर्क कर पीड़ित महिला को आवश्यक सहायता पहुँचायेगा।
5. विवेचक का यह दायित्व होगा कि इन अपराधों की विवेचना बिना देरी के निस्तारित करें, ताकि अभियुक्त को धारा 167 द0प्र0सं0 का लाभ मिलकर जमानत न मिले।
6. सभी पुलिस कर्मियों का समय-समय पर महिला सम्बन्धी अपराधों में प्रशिक्षण कराया जाता रहे।
7. थानाध्यक्ष या विवेचक का यह दायित्व होगा कि वह पीड़ित महिला का वर्तमान व स्थायी पता अपने पास रखे व पीड़ित महिला को यह अवश्य सलाह दें कि वह अपना पता बदलने पर थाने को सूचित करें।
8. यदि विवेचना या ट्रायल के उपरान्त पीड़ित महिला को किसी से भी धमकी प्राप्त होती है तो थानाध्यक्ष का दायित्व होगा कि तत्काल अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

<u>निरोधात्मक कार्यवाहीः</u>

1. महिलाओं के प्रति अपराध रोकने के लिए आवश्यक है कि बालिकाओं के विद्यालयों, कामकाजी महिलाओं के स्थानों एवं भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैण्डों, रेलवे स्टेशनों, सिनेमाघरों व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सादे कपड़ों में महिला आरक्षियों की डियूटी लगायी जाय और गश्त/पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाय।

2. कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान चलाकर सभी को जागृत किया जाये। जनता से संवाद के दौरान लड़के-लड़कियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाये इस बारे में जागृति पैदा करें।

3. महिलाओं के प्रति घटित अपराधों में संलिप्त अभियुक्तगण की समीक्षा कर लें और आवश्यकतानुसार अभियुक्तगणों की हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी व निरोधात्मक कार्यवाही करायें।

<u>कम्युनिटी पुलिसिंगः</u>

1. सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष 15 दिन में गांव का भ्रमण कर लें। भ्रमण के दौरान ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, शिक्षा मित्र तथा आशा बहुओं की मीटिंग कर महिलाओं के अपराध के सम्बन्ध में संवदेनशील बनायें। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के टेलीफोन नम्बर ले लिये जायें तथा अपने टेलीफोन नम्बर उन्हे दे दिये जायें।

2. थानाध्यक्ष महिला थाना प्रत्येक सप्ताह में एक स्कूल में जाकर विभिन्न कानून के प्राविधानों व इस आशय से बचने के उपायों के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण देंगी।

3. क्षेत्राधिकारीगण द्वारा थानों पर जाकर उपरोक्त परिपत्रों के निर्देशों से उपनिरीक्षक/मुख्य आरक्षी एवं आरक्षीगण को भली-भांति अवगत करावें और उसमें दिये निर्देशों का अक्षरशः पालन करायें। महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित उपरोक्त परिपत्रों को थाने के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवा दें ताकि कर्मचारीगण उसको पढ़ते रहें।

<u>विविधः-</u>

1. महिला सम्बन्धी कानून की जानकारी समय-समय पर दी जाये। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल एसाल्ट एक्ट- 2012 व क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट- 2013 के सम्बन्ध में विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से पुलिस कर्मियों व जनता को अवगत कराया जाये।

2. महिलाओं के साथ घटित बलात्कार एवं हिंसा, दुर्व्यवहार आदि के प्रकरण में मीडिया को ब्रीफिंग करते समय महिला के आचरण रहन-सहन, कपड़े पहनने के तरीके एवं उसके व उसके साथी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी न की जाय। घटना के सम्बन्ध में तथ्यों की पूरी जानकारी कर सत्य एवं प्रमाणित विवरण प्रस्तुत किया जाय। किसी भी दशा में पीड़ित महिला पर साथ हुए अपराध का दोष न मढ़ा जाय।

3. जनपद में बने महिला सहायता प्रकोष्ठों को और प्रभावी बनाया जाये। इसमें अच्छे स्वयंसेवी संगठन अथवा जनता के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाये।

4. वूमेन पावर लाइन 1090 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

भवदीय

ह0 29-04-2013

(देवराज नागर)

फैक्स/अति महत्वपूर्ण

अ0शा0 डीजी परिपत्र संख्याःडीजी-13/2013

देवराज नागर,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक
उत्तरप्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः अप्रैल 17, 2013

विषयक- महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में पुलिस प्रक्रिया।

प्रिय महोदय,

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम-2013 इस माह से लागू किया गया है। इस अधिनियम के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश अशा0 पत्र संख्याःडीजी-सात-एस-2ए(निर्देश)/2013 दिनांक-12.04.2013 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

2. यह परिपत्र महिलाओं के विरूद्ध निम्नलिखित अपराधों में पुलिस द्वारा की जाने वाली पुलिस कार्यवाही के सम्बन्ध में है।

धारा	अपराध का संक्षिप्त विवरण
326क	• अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। (Acid Attack)
326ख	• स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेकनें का प्रयत्न करना।
354	• स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
354क	• अवांछनीय शारीरिक सम्पर्क और अग्र क्रियायें अथवा लैंगिक संबंधों की स्वीकृति बनाने की मांग या अनुरोध। (Sexual Harassment)
354ख	• निवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। (Assault to Disrobe)
354ग	• दृश्य रतिकता। (Voyeurism)
354घ	• पीछा करना। (Stalking)
376	• बलात्संग। (Rape)
376क	• बलात्संग का अपराध करने और ऐसी क्षति पहुँचाना, जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या उसकी लगातार विकृतशील दशा हो जाती है। (Vegetative State)
376ख	• पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक करण के दौरान मैथुन।
376ग	• प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन।
376घ	• सामूहिक बलात्संग।
376ड़	• पुरावृतिकर्ता अपराधी।
509	• शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिये आशयित हो। (Eve Teasing)

3. पुलिस द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रियाः-

I- प्रत्येक पुलिस थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी/कर्मी हर समय उपलब्ध रहेगी।

II-जैसे ही उपरोक्त किसी अपराध की सूचना मिलती है तो थाने के ड्यूटी ऑफीसर थाने पर उपलब्ध महिला पुलिस अधिकारी को बुलवायेगा। इस महिला अधिकारी का प्रथम दायित्व होगा कि वह पीड़ित महिला व उसके परिवार को सांत्वना व ढाढ़स देकर उन्हें आश्वस्त करें।

III-ड्यूटी आफीसर का यह दायित्व होगा कि वह कानूनी सहायता हेतु तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कानूनी सहायक स्वयंसेवी (Para-Legal Volunteer) या अधिवक्ता को बुलायेगा, अगर पीड़ित महिला व उसके परिवार ने अपने किसी अधिवक्ता को नही बुलाया है इस हेतु थाने पर ऐसे स्वयंसेवी अधिवक्ताओं की सूची होनी चाहिये, जो महिला उत्पीड़न सम्बन्धी अपराध में पीड़िता की मदद करना चाहते हैं।

IV-इस अधिवक्ता की भूमिका होगी कि वह पीड़िता को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही के बारे में अच्छी तरह अवगत करायें, मानसिक रूप से चिकित्सीय परीक्षण के लिये तैयार करें और थाने में बयान देने व वैधानिक प्रक्रिया के बारे में अवगत करायें। वह पीड़िता के साथ समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण होने तक रहेगें।

यदि अधिवक्ता उपलब्ध नही होता है या अधिवक्ता के आने में विलम्ब हो तो महिला पुलिस अधिकारी का दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गए बिन्दु के अनुसार कार्यवाही करें और लगातार पीड़िता को ढाढ़स दिलाती रहे एवं निश्चिन्त करती रहे।

V-अभियोग के पंजीकरण हेतु सूचना का अभिलेखीकरण दं0प्र0सं0 के संशोधन के अन्तर्गत, महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही किया जायेगा।

VI-यदि उपरोक्त अपराधों से पीड़ित महिला शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है तो सूचना का अभिलेखीकरण पीड़िता के घर पर या उसके चयनित स्थान पर अनुवादक या विशिष्ट शिक्षक की मौजूदगी में किया जाय।

VII-उपरोक्त अभिलेखीकरण की वीडियोग्राफी कराई जायेगी।

VIII-उपरोक्त बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी तत्काल कराया जायेगा।

IX-प्रारम्भिक विवेचना की कार्यवाही कर विवेचक उपलब्ध महिला पुलिस अधिकारी के साथ तुरन्त पीड़ित महिला को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अस्पताल ले जायेगें।

X-उपरोक्त सभी अपराधों की सूचना तत्काल क्षेत्राधिकारी को दी जायेगी और क्षेत्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह पूरी विवेचना की व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करेंगे।

XI-पीड़ित महिला का 161 दं0प्र0सं0 का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाए। इस बयान को लेने के लिये पीड़ित महिला को किसी भी दशा में धारा 160

दं0प्र0सं0 का नोटिस देकर थाने या अन्यत्र स्थान पर नही बुलाया जायेगा। यह बयान पीड़ित महिला के घर पर ही लिया जाए।

XII-यह बयान पीड़ित महिला से घर में एकान्त (Private) में लिया जायेगा। पीड़ित महिला के परिवार के सदस्य बयान के समय पीड़िता को निश्चिन्त करने हेतु उपस्थित रह सकते हैं।

XIII-यदि पीड़ित 18 वर्ष से कम की बालिका है तो विवेचक तत्काल बाल कल्याण समिति को अवगत करायेंगे।

XIV-किसी भी दशा में अभियुक्त को, कार्यवाही शिनाख्त के अतिरिक्त, पीड़िता के समक्ष नही लाया जायेगा।

XV-उन अपराधों को छोड़कर जिनमें सूचना रात्रि में प्राप्त होती है पीड़िता को किसी भी दशा में रात्रि समय से थाने में नही रखा जायेगा। यदि आवश्यकता पड़ती है तो पीड़ित महिला को उसके घर या महिला संरक्षण गृह में ही रूकवाया जायेगा।

XVI-विवेचक का दायित्व होगा कि व तत्काल किसी एन0जी0ओ0/परामर्शदाता (Counselor) से संपर्क कर पीड़ित महिला को आवश्यक सहायता पहुँचायेगा।

XVII-विवेचक का यह दायित्व होगा कि इस अपराधों की विवेचना बिना देरी के निस्तारित करें, ताकि अभियुक्त को धारा 167 दं0प्र0सं0 का लाभ मिलकर जमानत न मिले।

XVIII-सभी पुलिस कर्मियों का समय-समय पर महिला सम्बन्धी अपराधों में प्रशिक्षण कराया जाता रहे।

XIX-थानाध्यक्ष या विवेचक का यह दायित्व होगा कि वह पीड़ित महिला का वर्तमान व स्थायी पता अपने पास रखे व पीड़ित महिला को यह आवश्यक सलाह दें कि वह अपना पता बदलने पर थाने को सूचित करे।

XX-यदि विवेचना या ट्रायल के उपरान्त पीड़ित महिला को किसी से भी धमकी प्राप्त होती है तो थानाध्यक्ष का दायित्व होगा कि तत्काल अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही सुनिश्चित करे।

XXI-महिलाओं के प्रति घटित अपराधों में संलिप्त अभियुक्तगण की समीक्षा कर लें और आवश्यकतानुसार अभियुक्तगणों की हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी व निरोधात्मक कार्यवाही करायें।

XXII-महिलाओं के साथ घटित बलात्कार एवं हिंसा, दुर्व्यवहार आदि के प्रकरण में मीडिया को ब्रीफिंग करते समय महिला के आचरण, रहन-सहन, कपड़े पहनने के तरीके एवं उसके व उसके साथी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी न की जाए। घटना के सम्बन्ध में तथ्यों की पूरी जानकारी कर सत्य एवं प्रमाणित विवरण प्रस्तुत किया जाए। किसी भी दशा में पीड़ित महिला पर उसके साथ हुए अपराध का दोष न मढ़ा जाय।

XXIII- यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि दण्ड विधि(संशोधन) अधिनियम- 2013 की उचित धाराओं का प्रयोग अवश्य हो।

XXIV- यदि पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की है तो भादवि में हुए संशोधन Protection of Children From Sexual Offences Act- 2012 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें।

4. महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनके प्रति संवेदनशीलता के सम्बन्ध में आप लोगों के मार्गदर्शन हेतु इस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित परिपत्र निर्गत किये गये हैं:-

क्र0सं0	परिपत्र संख्या	दिनांक	विवरण
1	डीजी-परिपत्र-07/2012	29.01.12	महिलाओं के प्रति होने वाली घटनाओं के रोकथाम हेतु।
2	डीजी-परिपत्र-24/2012	20.04.12	बाल गृह में बच्चों की सुरक्षा हेतु।
3	डीजी-परिपत्र-31/2012	05.07.12	बच्चों की गुमशुदगी के सम्बन्ध में।
4	डीजी-परिपत्र-35/2012	23.07.12	नाबालिक एवं बालिग अविवाहित लड़कियों के अपहरण के सम्बन्ध में।
5	डीजी-परिपत्र-43/2012	24.09.12	अश्लील एसएमएस, एमएमएस एवं अवांछनीय फोन काल्स के रोकथाम हेतु।
6	डीजी-परिपत्र-53/2012	10.11.12	पुलिस विभाग में नियुक्त कार्यकारी महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सम्बन्धी घटनाओं के सम्बन्ध में।
7	डीजी-परिपत्र-1/2013	08.01.13	छेड़खानी के प्रकरणों में 110जी द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।
8	डीजी-सात-एस-3/23/12	13.01.13	Protection Of Children From Sexual Offences Act, 2012 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।
9	डीजी-परिपत्र-3/2013	16.01.13	हत्या एवं बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की विवेचना में सुधार हेतुं दिशा निर्देश।
10	डीजी-परिपत्र-6/2013	02.02.13	गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में विकसित वेबसाइट साफ्टवेयर में सूचनाएं अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में
11	डीजी-सात-एस-3/15/13	23.02.13	The Criminal Law Amendment Ordinance- 2013 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।
1	डीजी-परिपत्र-10/13	20.03.	मीडिया को महिलाओं से सम्बन्धित

2		13	घटनाओं की तथ्यात्मक सूचना देने के सम्बन्ध में।
13	डीजी-परिपत्र-11/13	09.04.13	बच्चों के अधिकार, देखरेख एवं संरक्षण के सम्बन्ध में बाल कल्याणकारी/विशेष किशोर पुलिस इकाई के कर्तव्यों के सम्बन्ध में।
14	डीजी-परिपत्र-12/13	11.04.13	गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में।
15	डीजी-सात-एस-2ए/निर्देश/13	12.04.13	दण्ड विधि अधिनियम संशोधन- 2013 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

5. अभी हाल ही में जनपद बुलन्दशहर में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ कथित बलात्कार के प्रकरण में हवालात में रखा गया था जो गैर कानूनी ही नहीं बल्कि घोर निन्दनीय कृत्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस महानिदेशक कार्यालय द्वारा निर्गत परिपत्रों के बारे में अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी अवगत नहीं हो रहे हैं।

6. इस प्रकार के कुकृत्यों की पुनरावृत्ति न होने पाये अतः कृपया उपरोक्त परिपत्रों का आप भलीभांति अध्ययन कर लें। जनपद स्तर पर कार्यशाला आयोजित करके अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी/निरीक्षक/थानाध्यक्ष को उपरोक्त के सम्बन्ध में भलीभांति अवगत करा दें तथा स्थानीय गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जेण्डर सेन्सटाइजेशन और बच्चों के प्रति संवेदनशील करने के लिए उनको भी शामिल कर लें ताकि वे भी थानों पर जाकर पुलिस कर्मियों को अवगत करा सकें तथा इसका शत-प्रतिशत अनुपालन हो सके।

7. क्षेत्राधिकारीगण द्वारा थानों पर जाकर उपरोक्त परिपत्रों के निर्देशों से उपनिरीक्षक/मुख्य आरक्षी एवं आरक्षीगण को भलीभांति अवगत करावें और उसमें दिये निर्देशों का अक्षरशः पालन करायें। महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित उपरोक्त परिपत्रों को थाने के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करवा दें ताकि कर्मचारीगण उसको पढ़ते रहें।

8. महिलाओं के प्रति अपराध रोकने के लिए आवश्यक है कि बालिकाओं के विद्यालयों, कामकाजी महिलाओं के स्थानों एवं भीड़भीड़ वाले सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैण्डों, रेलवे स्टेशनों, सिनेमाघरों व अन्य महत्वूपर्ण स्थानों पर सादे कपड़ों में महिला आरक्षियों की डियूटी लगायी जाय और गश्त/पेट्रलिंग की व्यवस्था की जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
ह0
17-04-2013
(देवराज नागर)

फैक्स
एसी0 शर्मा,
आईपीएस

अ0शा0 पत्र संख्या–डीजी–सात–एस–2ए(निर्देश)/2013

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांकः लखनऊ अप्रैल 12, 2013

प्रिय महोदय,

देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसम्बर 2012 को हुई सामूहिक बलात्कार की वीभत्स घटना में पीड़िता को पहुँचायी गयी शारीरिक क्षति व उसकी मौत ने सम्पूर्ण देश को झकझोर कर रख दिया। दिन-प्रतिदिन महिलाओं के साथ बढ़ती हुई यौन हिंसा की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 लागू किया गया है। यह अधिनियम 03 फरवरी 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। यह अधिनियम mha.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवश्यक है कि इस अधिनियम को वेबसाइट से Download कर इसका गहन अध्ययन कर लिया जाये, क्योकि इस संशोधन के उपरान्त महिला सम्बन्धी अपराध में जो परिवर्तन आये हैं, उसका क्रियान्वयन तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ होना है।

इस संशोधन में मुख्य उल्लेखनीय बातें निम्नलिखित हैं:-

- महिला पर Acid Attackव उसका प्रयास, पीछा करना(Stalking)] दृश्यरतिकता (Voyeurism), लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment), निःवस्त्र करने के लिए बल प्रयोग करना (Assault to disrobe), बलात्कार/सामूहिक बलात्संग (Rape/Gang rape) उसके कारण मृत्यु या विकृतशील अवस्था (Vegetative State) होना, दुर्व्यापार (Human Trafficking) को परिभाषित कर दिया गया है।
- महिला सम्बन्धी अपराध का पंजीकरण न करने पर पुलिस अधिकारी के विरूद्ध संज्ञेय अपराध पंजीकृत किया जायेगा, जिसकी विवेचना के उपरान्त अभियोजन स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।
- एसिड अटैक या उसका प्रयास होने पर आत्म सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया है।
- महिला सम्बन्धी विभिन्न अपराधों का पंजीकरण महिला पुलिस अधिकारी अथवा अन्य महिला अधिकारी के द्वारा ही किया जायेगा। इस प्रकार 161 दं0प्र0सं0 में पीड़ित महिला का बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी अथवा किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा दर्ज किया जायेगा।
- एसिड अटैक व बलात्कार के प्रकरणों में सभी सरकारी व निजी अस्पताल द्वारा पीड़िता का निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार करने का प्राविधान किया गया है।

यद्यपि दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम-2013 mha.gov.inवेबसाइट पर उपलब्ध है, फिर भी आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए भादंवि, भा0प्र0प्र0सं0 एवं भा0 साक्ष्य अधि0 में हुए मुख्य संशोधन निम्नलिखित दर्शाये जा रहे हैं:-

- एसिड अटैक के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति को धारा 100 भादंवि के अन्तर्गत अपने बचाव में आत्म सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया है।

(धारा-100 उपधारा-7)

- यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के शरीर पर एसिड फेंक कर गम्भीर चोट पहुँचाता है तो उसे कम से कम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ अर्थदण्ड देने का प्रावधान है, जो कि पीड़िता को दिया जायेगा।

(धारा-326 क)

- यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के ऊपर एसिड डालने का प्रयास करता है तो उसे 05 वर्ष से लेकर 07 वर्ष की सजा व अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है।

(धारा-326 ख)

- धारा 354 को और व्यापक कर दिया गया है जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैंः-

    - किसी स्त्री से अवांछनीय शारीरिक सम्पर्क बनाने का प्रस्ताव देना, या अनुरोध करना, उसकी इच्छा के विरूद्व कामोत्तेजक फोटो या फिल्म दिखाना या लैंगिक आभासी(Sexuallycoloured) टिप्पणी करना अब अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

    (धारा-354 क)

    - किसी स्त्री का सार्वजनिक स्थल पर निर्वस्त्र करना या निर्वस्त्र करने के आशय से हमला करना भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

    (धारा-354 ख)

    - किसी स्त्री के द्वारा शौच, लघुशंका, स्नान करते समय उसको एकटक देखना एवं उसकी फोटों खींचना भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

    - जहॉं पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र खींचने के लिए सम्मति देती है किन्तु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की अनुमति नहीं देती है तो उस चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है तो उसे भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

    (धारा-354 ग)

    - किसी स्त्री की इच्छा के विरूद्व उससे सम्पर्क बनाने के लिए उसका पीछा करना, स्त्री द्वारा प्रयोग करने वाले इन्टरनेट, ई-मेल या अन्य इलेक्ट्रानिक सूचना की मानीटरिंग करना भी अपराध की श्रेणी में आ गया है।
    - इसी प्रकार किसी स्त्री को ऐसे एकटक देखना या उसकी जासूसी करना जिससे उसके मन में गम्भीर संत्राश या भय व्याप्त हो जाता है और वह स्त्री मानसिक रूप अशान्त व परेशान हो जाय, यह भी अपराध की श्रेणी में आ गया है । इसके लिए 5 वर्ष की सजा एवं अर्थदण्ड का प्रावधान है ।

    (धारा-354 घ)

    - किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार(Human Trafficking) के सम्बन्ध में अपराध को और अधिक व्यापक करके उसमें और अधिक दण्ड का प्रावधान किया गया है ।

(धारा-370 उपधारा 1 से लेकर 7 तक)

- किशोर के दुर्व्यापार करने वाले तथा दुर्व्यापार करने के लिए किसी स्थान पर रखने के लिए दण्ड और अधिक बढा दिया गया है ।(धारा-370 क)
- नये संसोधन के द्वारा धारा 375 भादवि के अन्तर्गत बलात्कार को परिभाषित करते हुए और अधिक व्यापक कर दिया गया है । स्त्री की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग या मुह में लिंग के अलावा शरीर का कोई अंग या कोई वस्तु का प्रवेश भी बलात्कार की श्रेणी में आ गया है । इस प्रकार स्त्री की योनि, मुह, मूत्र मार्ग, गुदा पर मुह लगाना भी अपराध की श्रेणी में आ गया है ।

(धारा-375 क से 375 घ तक)

- बलात्कार करने के लिए न्यून्तम सजा 07 वर्ष कर दी गयी है जो आजीवन कारावास तक का हो सकती है। (धारा-376-1)
- लोक सेवक द्वारा अपने हिरासत में किसी स्त्री के साथ बलात्कार करने पर एवं साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान स्त्रियों से बलात्कार करने वाले तथा 16 से कम उम्र की स्त्री से बलात्कार करने वाले तथा बलात्कार के समय औरत को गम्भीर चोट पहुचॅाने , उसको कुरूप कर देने पर या उसके जीवन को संकट ग्रस्त कर देने की दशा में अब दण्ड का प्रावधान न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण जीवन जेल में ही व्यतीत करने का प्राविधान कर दिया गया है ।

(धारा-376-2)

- बलात्कार के समय किसी स्त्री के गम्भीर चोट के कारण मरने पर या लगातार मानसिक दशा खराब रहने पर दण्ड को बढाकर 20 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास, जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण जीवन जेल में व्यतीत करने का प्राविधान कर दिया गया है ।

(धारा-376-क)

- यदि लोक सेवक अपनी हिरासत में किसी स्त्री के साथ सम्भोग करता है परन्तु वह बलात्कार की श्रेणी में नही आता है , इसके लिए भी दण्ड का प्राविधान किया गया है ।

(धारा-376-ग)

- गैंग रेप के मामलों में सजा को बढ़ा दिया गया है और सभी व्यक्तियों की 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का प्राविधान किया गया है तथा अर्थदण्ड का प्राविधान है, जो कि पीड़िता को दिया जायेगा।

(धारा-376-घ)

- नये संशोधन के अन्तर्गत यदि किसी पुलिस अधिकारी धारा 354 एवं धारा 376 भादवि व उनके अन्तर्गत उपधाराओं की सूचना मिलने पर एफ0आई0आर0 करने में हीलाहवाली करता है तो उसके विरुद्ध धारा 166क के अन्तर्गत दण्डित करने का प्राविधान किया गया है।

(धारा-166 भादवि की उपधारा 166ए)

- एसिड अटैक के प्रकरण में सरकारी या निजी अस्पताल द्वारा पीड़िता का उपचार न करने पर सम्बन्धित चिकित्सक के विरुद्ध भी अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है।

(धारा-166 भादवि की उपधारा 166बी)

<u>दण्ड प्रक्रिया संहिता- 1973 में महत्वपूर्ण संशोधनः-</u>

- यदि किसी महिला के साथ एसिड अटैक, छेड़खानी, बलात्कार और 509 के अपराध की सूचना दी जाती है तो उसके बयान को एफ0आई0आर0 में अभिलिखित महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा उसकी वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी।

(धारा-154 द0प्र0सं0)

- इसी प्रकार छेड़खानी एवं बलात्कार के प्रकरणेां में विवेचना के दौरान उसका बयान महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(धारा-161 द0प्र0सं0)

यह स्पष्ट करना है कि यह कदापि नहीं निर्देशित किया गया है कि बलात्कार व छेड़खानी के प्रकरण की विवेचना महिला पुलिस अधिकारी करेगी। केवल अपराध पंजीकरण व पीड़िता का 161 द0प्र0सं0 का बयान महिला पुलिस अधिकारी या उसके उपलब्ध न होने पर किसी महिला अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

- एसिड अटैक और बलात्कार के मामले में पीड़िता को आरोपित अभियुक्त के अर्थदण्ड के अलावा राज्य सरकार अलग से प्रतिकर देगी।
- एसिड अटैक और बलात्कार के मामले में सरकारी एवं प्राइवेट अस्पताल पीड़िता को निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार करेंगे तथा घटना की सूचना पुलिस को देंगे।

<u>भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 1972:-</u>

- स्त्री के साथ छेड़खानी, बलात्कार के प्रकरणों में उसका पूर्व का चरित्र एवं शारीरिक सम्बन्ध साक्ष्य के अन्तर्गत मान्य नहीं होगा।

(धारा-25 उपधारा 53क)

- यदि किसी स्त्री के साथ मैथुन होने के प्रकरण में उक्त मैथुन उसकी सम्मति या बिना सम्मति से होना विवादित होने की दशा में यदि स्त्री कहती है कि मैथुन बिना उसकी सम्मति से हुआ है तो न्यायालय उसे बलात्कार की श्रेणी में मानेगा।

(धारा-25 उपधारा 144क)

आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम- 2013 का भली-भांति अध्ययन कर लें। जनपद स्तर पर कार्यशाला आयोजित करके निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं थाने के हे0मु0 व का0मु0 को एस0पी0ओ0 के माध्यम से उक्त संशोधित अधिनियम के प्राविधानों को अवगत करायें। पुलिस को महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में अत्यधिक संवेदनशील होकर कार्य करने एवं संशोधित अधिनियम की धाराओं का एफ0आई0आर0 में उल्लेख करना सुनिश्चित करायें।

उल्लेखनीय है कि इस मुख्यालय के पत्र संख्या- डीजी-सात-एस-3(23)/2012 दिनांकित 13.01.2013 द्वारा Protection Of Children From Sexual Offences Act, 2012के

हिंसा सम्बन्धी अपराध में Protection Of Children From Sexual Offences Act, 2012में मुकदमा पंजीकृत नहीं हो रहे हैं। कृपया उक्त कार्यशाला में अधिनियम के बारे में जानकारी दे दें। बच्चों के प्रति हुए यौन अपराध के प्रकरणों की समीक्षा करके उक्त अधिनियम के धाराओं की बढ़ोत्तरी करवाएं और भविष्य में ऐसे अभियोगों को उचित धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत करायें।

मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इन दोनों अधिनियम का भली-भांति अध्ययन करके, कार्यशाला के माध्यम से उसके बारे में समस्त अधीनस्थों को जानकारी देकर, व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करेंगे कि महिला व बच्चों से सम्बन्धित अपराध में उचित धाराओं का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा न करने पर जनपदीय पुलिस प्रभारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय
ह0
12-04-2013
(एस0सी0 शर्मा)

दण्ड विधि (संशोधन)विधयेक 2013, का अध्यादेश के द्वारा भारतीय दण्ड विधान, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराओं में मुख्य परिवर्तनः-

धारा	अपराध का संक्षिप्त विवरण	सजा	संज्ञेय/ असंज्ञेय	जमानत
1	2	3	4	5
166 क	लोक सेवक जो विधि के अधीन के निवेश की अवज्ञा करता है	कम से कम छह मास के लिए कारावास जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय
166ख	अस्पताल द्वारा पीड़ित का उपचार न किया जाना	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय
326क	अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	कम से कम दस वर्ष के लिए कारावास किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना, जिसका संदाय पीड़िता को किया जाएगा।	संज्ञेय	अजमानतीय
326ख	स्वेच्छया अम्ल फेकना या फेकने का प्रयत्न करना	पंच वर्ष के लिए कारावास कितु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
354	स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	एक वर्ष के लिए कारावास जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
354क	अवांछनीय शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाए अथवा लैंगिक संबंधों की स्वीकृति बनाने की मांग या अनुरोध	कारावास जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय
	लैगिक अभासी टिप्पणीया या अश्लील साहित्य दिखाना	कारावास जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय
354ख	निर्वस्त्र करने के आश्य से स्त्री पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग	कम से कम पांच वर्ष का कारावास किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
354ग	दृश्यरतिकता	प्रथम दोषसिद्व के लिए कम से कम एक वर्ष का कारावास किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
		द्वितीय और पश्चातवर्ती दोषसिद्धि के लिए कम	संज्ञेय	अजमान

		से कम तीन वर्ष का कारावास किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना		तीय
354घ	पीछा करना	कम से कम एक वर्ष का कारावास किन्तु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
370	व्यक्ति का दुर्व्यापार	कम से कम सात वर्ष का कारावास किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
	एक से अधिक व्यक्ति का दुर्व्यापार	कम से कम दस वर्ष का कारावास किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
	किसी अवयस्यक का दुर्व्यापार	कम से कम दस वर्ष का कारावास किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
	एक से अधिक अवस्यकों का दुर्व्यापार	कम से कम चौदह वर्ष का कारावास किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
	लोक सेवाक या किसी पुलिस अधिकारी का अवयस्यक के दुर्व्यापार के अपराध के लिए सिद्वदोष ठहराया जाना	आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
	व्यक्ति को एक से अधिक अवसरों पर अवस्यक के दुर्व्यापार के अपराध के लिए सिद्वदोष ठहराया जाना	आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
370क	ऐसे किसी बच्चे का शोषण जिसका दुवर्यापार किया गया है	कम से कम पांच वर्ष का कारावास किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
	ऐसे किसी वयस्यक का शेाषण जिसका दुर्व्यापार किया गया है	कम से कम तीन वर्ष का कारावास किन्तु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
धारा 376	बलात्संग	कम से कम सात वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
	किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी लोक सेवक या सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा या किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या चालकों की किसी संस्था के प्रबंध तंत्र या कर्मचारिवृंद में से किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में से किसी व्यक्ति द्वारा बलात्संग और उस व्यक्ति के प्रति जिससे बलात्संग किया गया है न्यास या प्राधिकारी की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति के जिससे बलात्संग किया गया है, किसी निकट नातेदार द्वारा किया गया बलात्संग	कम से कम दस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किन्तु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय

376क	बलात्संग का अपराध करने और ऐसी क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या उसकी लगातार विकृतशील दशा हो जाती है	कम से कम बीस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड	संज्ञेय	अजमानतीय
376ख	पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन	कम से कम दो वर्ष का कारावास, किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय (किन्तु) केवल पीड़िता द्वारा परिवाद करने पर)	जमानतीय
376ग	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन	कम से कम पांच वर्ष का कठोर कारावास किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
376घ	सामूहिक बलात्संग	कम से कम बीस वर्ष का कठोर कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना जिसका संदाय पीड़िता को किया जायेगा	संज्ञेय	अजमानतीय
376ड	पुरावृतिकर्ता अपराधी	आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्यु दंड	संज्ञेय	अजमानतीय

डीजी परिपत्र संख्या -03/2013

अरूण कुमार
आई0पी0एस0

अपर **पुलिस महानिदेशक,**
(अपराध एवं कानून-व्यवस्था)
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः 14 मार्च ,2013

विषयः-जनपदों में नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' के कार्यो एवं उत्तरदायित्वों के निर्धारण।

प्रिय महोदय,

कतिपय जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' के पद सृजित किए गए है। परन्तु यह देखा जा रहा है कि इन पदों पर नियुक्त अधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित न होने के कारण इनका समुचित सदुपयोग नही हो पा रहा है। इस कारण पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशानुसार आदेश संख्या डीजी-2ब-28(4)2011, दिनांक 23.01.2013 द्वारा एक समिति का गठन कर अपर पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपाधीक्षक'अपराध' पद के कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिए गए।

उक्त गोष्ठी में उपस्थित अधिकारियों द्वारा जनपदों में नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' द्वारा वर्तमान में सम्पादित किए जा रहे कार्यो, सौपे गए उत्तरदायित्वों, जनपद स्तर से उपलब्ध कराए गय संसाधनों एवं सहवर्ती स्टाफ का विवरण प्राप्त किया गया। विभिन्न जनपदों से प्राप्त सूचनाओं के संकलित विवरण का अवलोकन कर अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्धारण के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया तो यह पाया गया कि सभी जनपदों में पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी सुविधानुसार अलग-अलग प्रकार से अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' को कार्य एवं उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं, फलस्वरूप यह पाया गया कि जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' पद की वैधता (Legitimacy), उत्तरदायित्व (Responsibility) एवं जवाबदेही (Accountability) तय किये जाने की नितान्त आवश्यकता है एवं जिन उद्देश्यों के लिए यह पद सृजित किया गया है उनकी पूर्ति नही हो रही है।

अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' के पद की वैधता, जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु समिति द्वारा निम्नांकित 02 प्रकार की योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गयाः-

(1) वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में संगठनात्मक ढांचे को थोड़ा बदलते हुए अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' के कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए जायें।

(2) बड़े शहरों(Metropolitan Cities) में प्रचलित क्राइम ब्रान्च की भांति प्रदेश के सभी जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' के पद की जवाबदेही निर्धारित करते

हुये विधिक रूप से संस्थापित कराया जाये, ताकि आम जनता में इस पद की स्वीकार्यता तथा विश्वास बढ़ें।

समिति द्वारा मुम्बई पुलिस की क्राइम ब्रान्च के संगठनात्मक ढॉचे एवं कार्यो के अध्ययन किया गया।

जनपद लखनऊ में स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा क्राइम ब्रान्च का गठन किया गया है, जो अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' के नियन्त्रणाधीन कार्य करती है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में लखनऊ में मुथूट फाइनेन्स कम्पनी में हुई करोड़ो की लूट की घटना का अनावरण जनपद लखनऊ की क्राइम ब्रान्च द्वारा किया गया है। फलस्वरूप प्रदेश के अन्य जनपदों में भी क्राइम ब्रांच के गठन की आवश्यकता प्रतीत होती है एवं जिन जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' के पद स्वीकृत नही है, वहॉ भी जनपद के किसी क्षेत्राधिकारी को पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' नामित किए जाने के औचित्य पर विचार किया जा सकता है।

समिति के सुझाव-

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समिति के सुझावों के अनुमोदनोपरान्त क्राइम ब्रांच हेतु संसाधन, जनशक्ति एवं उत्तरदायित्व निम्न प्रकार निर्धारित किये जाते है:-

1.संगठनात्मक ढांचा

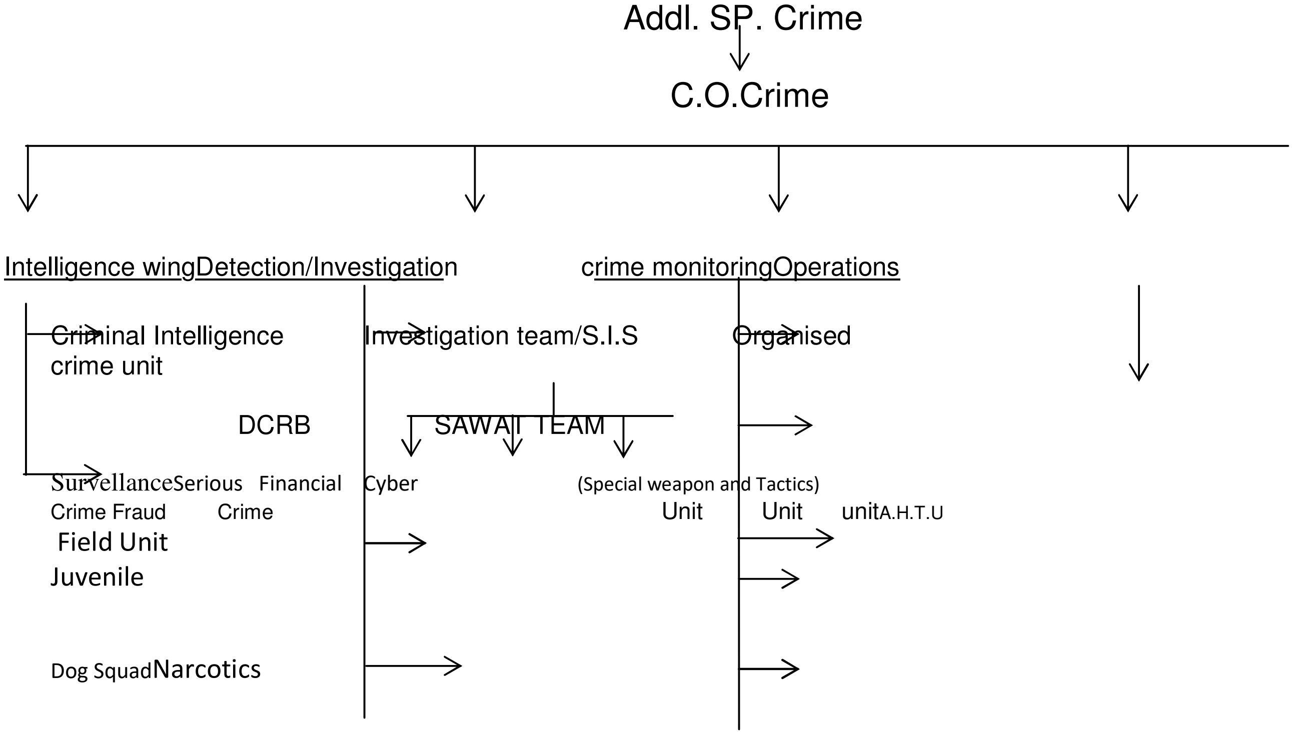

(1)उपरोक्तानुसार गठित क्राइम ब्रांच के प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध होगे।

(2) जिन जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध के पद स्वीकृत नही है वहॉ पर प्रभारी जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एक पुलिस उपाधीक्षक को क्षेत्राधिकारी 'अपराध' के पद पर नियुक्त किया जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक जनपद में प्रभारी राजपत्रित अधिकारी 'अपराध' के पद पर एक अधिकारी नियुक्त रहेगा।

(3) जनपदीय प्रभारी पुलिस अधीक्षक ऐसे सनसनीखेज अपराध अथवा अन्य अपराध जो पुलिस अधीक्षक की राय में थानें से वर्कआउट होना सम्भव नहीं है, उन्हें क्राइम ब्रान्च के संसाधनों का सदुपयोग करते हुए जनपदीय पुलिस का आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त करते हुये विवेचना सम्पादित करायेंगे।

(4) ऐसे सनसनीखेज अपराधों के अतिरिक्त कुछ ऐसे अपराध होते है जिनकी विवेचना हेतु विशेष योग्यता की आवश्यकता रहती है। जैसे आर्थिक धोखाधड़ी के अपराध, मनी लॉड्रिंग, साइबर क्राइम आदि जिनकी विवेचना थाना स्तर से कराने में कठिनाई होती है। अतः ऐसे मामलों के लिए क्राइम ब्रान्च में फाइनेन्सियल फ्राड यूनिट व साइबर क्राइम सेल गठित होगे तथा इनमें सुयोग्य विवेचकों को तैनात किया जायेगा जिससे अनुभव के आधार पर एक सुदृढ़ यूनिट संस्थापित हो सके।

(5) जनपद की क्राइम ब्रान्च पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद के अन्तर्गत ही होगी तथा प्रभारी पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार ही इसमें विवेचनायें हस्तान्तरित होगी। अतः क्राइम ब्रान्च का कार्यक्षेत्र पूरा जनपद होगा।

(6) अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' को उनके पद हेतु निर्धारित कार्य ही सौंपे जायं अन्य कोई अतिरिक्त कार्य न दिया जाये और न ही उनकी अन्यत्र विविध ड्यूटियां लगाई जायें।

(7) क्राइम ब्रांच के समस्त कर्मियों की रवानगी/वापसी हेतु जी0डी0 नियमित रूप से चलाई जायेगी।

(8) पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद द्वारा क्राइम ब्रांच हेतु उचित एवं पर्याप्त स्थान तथा वाहन आदि उपलब्ध करायें जायेगें।

(9) उपरोक्त ढॉचे में दर्शाये गये विशेष दस्ते जैसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल एवं डाग स्क्वायड यूनिट जिन जनपदों में स्वीकृत हैं वे क्राइम ब्रांच में समाहित होंगे एवं जिन जनपदों में यह यूनिट स्वीकृत नही है यथासमय जब स्वीकृत होंगे तब क्राइम ब्रांच का हिस्सा बनेंगें।

2. <u>क्राइम ब्रान्च के कार्य एवं उत्तरदायित्व</u>

(i) अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' अपने जनपद की क्राइम ब्रान्च के प्रभारी होंगे।

(ii) क्राइम ब्रान्च की 04 शाखायें क्रमशः Intelligence Wing, Detection/Investigation, Crime Monitoring एवं Operations होंगे। इन शाखाओं के अन्तर्गत इकाइयों में उनके प्रभारियों की नियुक्ति पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी ।

Intelligence Wing

इस शाखा द्वारा सामान्य अपराधिक अभिसूचना संकलन के साथ ही विशेषकर संगठित गिरोहों तथा आतंकवादी संगठनों के क्रियाकलाप के सम्बन्ध में अपराधिक अभिसूचना संकलन का कार्य किया जायेगा । साथ ही सर्विलांस सेल भी इस इकाई के अधीन कार्य करेगी । इन शाखाओं हेतु नियुक्त किये जाने वाले स्टाफ का मानक निम्नवत् होगाः-

(1) जनपद 'ए' श्रेणी उ0नि0- 04 एवं आरक्षी- 16
(2) जनपद 'बी' श्रेणी उ0नि0- 02 एवं आरक्षी- 08
(3) जनपद 'सी' श्रेणी उ0नि0- 01 एवं आरक्षी- 04

- क्राइम ब्रान्च द्वारा जनपद के थानों के साथ लाइजन बनाकर अपराधों की रोकथाम हेतु अपना उचित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

Detection/Investigation

- इस शाखा के अन्तर्गत विवेचना टीम (**Investigation Team/S.I.S.**), फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड कार्य करेंगे । **Investigation Team/S.I.S.** के अन्तर्गत 03 शाखाएं क्रमशः **Serious Crime Unit, Financial Fraud Unit** एवं **Cyber Crime Cell** होगी । क्राइम ब्रान्च को आवंटित विवेचनाओं का निस्तारण प्रभारी जनपद के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' के नियंत्रणाधीन इन टीमों के माध्यम से किया जायेगा ।
- इसके अतिरिक्त जनपदों में उपलब्ध डॉग स्क्वाड एवं फील्ड यूनिट द्वारा जनपद में घटित अपराधों के घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य संकलन एवं विवेचना में यथावांछित सहयोग किया जायेगा तथा अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' यह सुनिश्चित करेंगे इन यूनिटों द्वारा जनपदीय पुलिस को अपेक्षित सहयोग किया जा रहा है।
- प्रभारी जनपद द्वारा क्राइम ब्रान्च को सौंपी जाने वाली सनसनीखेज अपराधों की विवेचना तत्काल ग्रहण की जायेगी एवं ऐसे अपराधों के अनावरण का उत्तरदायित्व अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' का होगा एवं प्रभारी जनपद भी ऐसे प्रकरण की समय-समय पर समीक्षा करते रहेंगे ।

➢ **Investigation Team/S.I.S.** शाखा को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु एस.आई. एस. हेतु निर्धारित स्टाफ के अतिरिक्त स्टाफ का मानक निम्नवत होगाः-

(1) जनपद 'ए' श्रेणी उ0नि0-12 एवं आरक्षी- 12

(2) जनपद 'बी' श्रेणी उ0नि0-06 एवं आरक्षी- 06

(3) जनपद 'सी' श्रेणी उ0नि0-04 एवं आरक्षी- 04

➢ **Investigation** शाखा हेतु एक वाहन अलग से उपलब्ध कराया जायेगा ।

Crime monitoring

➢ इस शाखा के अन्तर्गत संगठित अपराध सेल, डी0सी0आर0बी0, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, गुमशुदा प्रकोष्ठ एवं नारकोटिक्स सेल होंगे ।

➢ संगठित गिरोहों के अभिलेखीकरण का कार्य अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' द्वारा किया जायेगा तथा अपराध नियंत्रण की दिशा में प्रभारी जनपद को फीड बैक दिया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में अपेक्षित सहयोग किया जायेगा ।

➢ इसकी शाखाओं हेतु पूर्व से निर्धारित स्टाफ यथावत नियुक्त किया जायेगा ।

Operations

➢ क्राइम ब्रान्च के आपरेशन्स विंग एक ऐसा कार्यकारी बल होगा जो अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' के निर्देशन में प्रचलित विवेचनाओं अथवा अन्य सूचनाओं पर दबिश/गिरफ्तारी आदि कार्यवाहियां सम्पन्न करेगा। यह कार्यकारी बल **SWAT Team** के नाम से जाना जायेगा ।

➢ तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक,अपराध एवं कानून व्यवस्था,उ0प्र0 के परिपत्र संख्या एडीजी-क्रा0 एंड एलओ-3/99 दिनांक 24-2-99 व्दारा जनपदों में एस0ओ0जी0 के गठन सम्बन्धी आदेश निरस्त करते हुये **Special Weapons And Tactics Team** (**SWAT Team**) का गठन किया जायेगा । एस0ओ0जी0 में नियुक्त रहे कर्मियों के कार्यो की समीक्षा के उपरान्त उपयुक्त पाये गये कर्मियों एवं आवश्यकतानुसार अन्य अच्छे कर्मियों को **SWAT Team** में नियुक्त किया जायेगा । **SWAT Team** के कर्मियों व्दारा भी नियमानुसार जी0डी0 में आमद-रवानगी की जायेगी ।

➢ **SWAT Team** टीम हेतु उ0नि0-01, मु0आ0-01, एवं आरक्षी-08 नियुक्त किये जायेंगे ।

➢ **S.O.G.** हेतु उपलब्ध वाहन **SWAT Team** के साथ रहेंगे ।

(iii) जिन थाना क्षेत्र से सम्बन्धित सनसनीखेज अपराधों की विवेचना अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' के नियंत्रणाधीन इकाई द्वारा संपादित की जायेगी, उन थाना प्रभारियों के वार्षिक गोपनीय मन्तव्य अंकित करने से पूर्व प्रभारी जनपद व्दारा उनके जनपद में नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' से भी आख्या (**Inputs**) प्राप्त की जायेगी ।

3. <u>अपर पुलिस अधीक्षक 'अपराध' हेतु आवश्यक स्टाफ एवं संसाधन-</u>

जनपदों में नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध को निम्नवत स्टाफ एवं संसाधन उपलब्ध कराने की संस्तुति समिति द्वारा की गयी-

<u>स्टाफसंसाधन</u>

1. आशुलिपिक-01	1. छोटा वाहन मय चालक-01
2. पेशकार(उ0नि0)-01	2. टेलीफोन- 02(01-कार्यालय एवं 01-आवास)
3. हेडपेशी(मु0आ0)- 01	3. सी0यू0जी नम्बर- 01
4. आरक्षी - 03	4. कम्प्यूटर मय सहवर्ती उपकरण- 02

वर्तमान में अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक 'अपराध' के साथ जो सहवर्ती स्टाफ एवं संसाधन उपलब्ध है उसी से कार्य लिया जाये। इसके बाद शासन से स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधीनस्थ सहवर्ती स्टाफ एवं संसाधन हेतु प्रस्ताव तैयार कराकर शासन को स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा।

यह परिपत्र पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय
हस्ताक्षर
(अरूण कुमार)

अ0शा0 परिपत्र संख्याःडीजी-03/2013

ए0सी0 शर्मा,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक
उत्तरप्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः जनवरी 17,2013

विषयक- हत्या एवं बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की विवेचना में सुधार हेतु दिशा-निर्देश ।

प्रिय महोदय,

अपराधों की विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने एवं इसमें वैज्ञानिक विधियों का समावेश किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर मुख्यालय व्दारा पार्श्वांकित परिपत्र पूर्व में निर्गत किये गये है एवं विभिन्न बैठकों में भी इसकी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जाती रही है। आप सहमत होगें कि विवेचना की गुणवत्ता में सुधार होने से अपराधियों को मा0 न्यायालय से दण्डित किये जाने का प्रतिशत बढ़ेगा तथा अपराधों पर नियंत्रण भी होगा। इसका समाज में अच्छा संदेश जायेगा ।

एडीजी-12/2001दि015.12.01
डीजी परिपत्र सं0:73/07दि031.8.2007
डीजी परिपत्र सं0:15/08 दि0 07.2.08
डीजी परिपत्र सं0: 05/11 दि0 13.2.11
डीजी-7-एस-एचसी-32(4)/10दि0 8.9.12
डीजी डीजी-50/2012दिनांक 26.10.2012

2- विवेचना की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये प्रारम्भ में मुख्य 03 बिन्दओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता हैः-

(1)अपराध के घटनास्थल(soc)को सुरक्षित करने,उसकी फोटोग्राफी कराने व फील्ड यूनिट से साक्ष्य एकत्रित कराने ।

(2)धारा 160 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत नोटिस देकर 161 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान के अभिलेखीकरण के साथ-साथ 161(3) दं0प्र0सं0 में दिये गये प्राविधान के अनुसार उसकी आडियो-वीडियो रिकार्डिंग करना ।

(3)विवेचना में पर्यवेक्षक अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता ।

3- उपरोक्त 03 बिन्दुओं का अनुपालन हॉलाकि समस्त विवेचनाओं में होना चाहिए परन्तु प्रारम्भ में हत्या और बलात्कार के जघन्य अपराधों की विवेचना में इनका क्रियान्वयन कराया जायेगा। इन तीन कार्य प्रणालियों का स्थायीकरण होने के उपरान्त इनका विस्तार अन्य जघन्य विवेचनाओं के लिये भी किया जायेगा ।

4- इस उद्‌देश्य से हत्या और बलात्कार की विवेचनाओं में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायः-

(I) घटना की जानकारी प्राप्त होते ही घटनास्थल पर पहले पहुँचने(First Responder)वाले पुलिस कर्मी घटना स्थल के इर्द-गिर्द येलो टेप लगाना सुनिश्चित करेगें एवं किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को घटना स्थल में प्रवेश करने से रोकेगें ।

(II) घटना स्थल पर Field Unit Team पहुँचकर घटना स्थल से आवश्यक साक्ष्य विवेचक की मौजूदगी में एकत्रित करेगें।

(III) घटनास्थल की फोटोग्राफी करायी जाये। फोटोग्राफों की एक प्रति केस डायरी के साथ और दूसरी एस0आर0फाइल के साथ रखी जाय ।

(IV) गवाहों का बयान अंकित करने हेतु दं0प्र0सं0 की धारा 160 (1)केअन्तर्गत संलग्न प्रारूप में नोटिस निर्गत करके गवाहों को तामील कराकर बयान अंकित करने के लिये थाने पर बुलाया जाये । किसी भी दशा में महिलाओं एवं बच्चों को बयान अंकित कराने हेतु थाने पर न बुलाया जाये ,बल्कि उनका बयान उनके निवास स्थान पर अंकित किया जाये ।

(V) दं0प्र0सं0 की धारा 161(3) के अन्तर्गत गवाहों के बयान का आडियो/वीडियो(इलेक्ट्रानिक साधनों से) बनाने का प्राविधान है । प्रत्येक गवाह के बयान की आडियों/वीडियो रिकार्डिंग की जाये । विवेचना में एकत्रित सभी बयानों की आडियो एवं वीडियो रिकार्डिंग की एक प्रति Compact Discपर अथवा DVDपर दो गवाहों की उपस्थिति में write करके केस डायरी के साथ तथा उसकी दूसरी CD/DVD एस0आर0 पत्रावली पर रखी जाय ।

(VI) महिलाओं के बलात्कार की घटनाओं में पीड़िता का तत्काल 164(A) द0प्रसं0 के प्राविधानों के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार चिकित्सीय उपचार भी कराया जाये । बलात्कार की घटनाओं में पीड़ित महिला का बयान महिला अधिकारी के समक्ष अंकित करें और संवेदनशीलतापूर्वक पीड़िता से प्रश्न करते समय उसकी मर्यादा एवं गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाय ।

(VII) बलात्कार की घटनाओं में यदि एफ0आई0आर0 पीड़िता व्दारा नहीं लिखायी गयी हो तो पीड़िता का बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथासम्भव अभिलिखित कराया जाये ।

(VIII) यदि पीड़िता अल्प व्यस्क महिला हो तो Protection Of Children from Sexual Offences Act,2012के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय ।

(IX) बलात्कार की घटनाओं में अभियुक्त की गिरफतारी के उपरान्त तत्काल 53(A) दं0प्र0सं0 के प्राविधानों के अनुसार उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जाय ।

5- हत्या एवं बलात्कार की विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचकगण अपनी स्पष्ट संस्तुति अंकित करते हुए Confidential रिपोर्ट बनाकर क्षेत्राधिकारी को, क्षेत्राधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक को तथा अपर पुलिस अधीक्षक, प्रभारी पुलिस अधीक्षक के पास भेजेगें । विवेचक,क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक की टिप्पणी व साक्ष्य के आधार पर प्रभारी पुलिस अधीक्षक किसी भी अभियुक्त का नाम विलोपित करने, नाम बढ़ाने, अपराध की धारा घटाने, बढ़ाने एवं आरोप पत्र या अन्तिम रिपोर्ट भेजने पर अपना स्पष्ट मत अंकित करेगें । उक्त रिपोर्ट इसी क्रम में वापस लौटेगी । क्षेत्राधिकारी सुनिश्चित करेगें कि पुलिस अधीक्षक व्दारा दिये गये मत को औपचारिक रूप से पत्र के व्दारा विवेचक को उपलब्ध कराया जाय । विवेचक उस मत के आधार पर आरोप-पत्र अथवा अंतिम रिपोर्ट प्रेषित करेगा ।

6- यदि घटनास्थल पर घटना से सम्बन्धित थाने के अतिरिक्त अन्य थानों व इकाईयों पर नियुक्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारी भी पहुँचते हैं और उन्हें घटना के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी प्राप्त

होती है तो वह जानकारी एक रिपोर्ट के माध्यम से घटना से सम्बन्धित थाने को प्रेषित करेगें ताकि इसका समायोजन विवेचना में किया जा सके ।

7- विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर injury report व PM reportमें विरोधाभास होने पर विवेचक क्षेत्राधिकारी के माध्यम से तथा यदि विवेचक क्षेत्राधिकारी पद का अधिकारी है तो अपर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से राय लेने के लिये राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला , लखनऊ में विशेषज्ञ के पास भेजना सुनिश्चित करेगें ।

8- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि इसका शत-प्रतिशत अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय । इस आदेश एवं समस्त संलग्नकों की एक प्रति प्रत्येक थाने पर अपने स्तर से वितरित करना सुनिश्चित करें ।

संलग्नकः यथोपरि ।

भवदीय,
हस्ताक्षर
16-01-20
13
(**ए0सी0शर्मा**)

डीजी परिपत्र संख्याः 50/2012

ए0सी0 शर्मा,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःअक्टूबर 26 ,2012

विषय- विवेचकों द्वारा विवेचना में बरती जा रही लापरवाही के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

विवेचना के सम्बन्ध में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पूर्व में पार्श्वकित परिपत्र निर्गत किये गये हैं। विवेचना त्रुटिपूर्ण होने के कारण मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में विवेचक द्वारा की गयी लापरवाही का दृष्टांत देते हुए यह निर्देश दिये गये हैं कि विवेचना जो विवेचकों द्वारा की जाए वह त्रुटिहीन एवं तथ्यपरक हो तथा उसमें वैज्ञानिक विधियों का भी समावेश किया जाए। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल में ही क्रिमिनल अपील नं0-529/2010 दयाल सिंह बनाम स्टेट आफ उत्तरांचल राज्य में उद्धरण देते हुए अंकित किया है कि एक वाहन से अफीम की बडी मात्रा में बरामदगी हुई तथा विवेचक द्वारा वाहन के स्वामी के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी उसके अपराध में लिप्त होने के सम्बन्ध में नहीं की गयी तथा वाहन के क्लीनर को मुख्य अभियुक्त बना दिया गया ।

एडीजी-12/2001 दिनांक 15.12.2001
डीजी परिपत्र संख्या 73/2007 दिनांक 31.8.2007
डीजी परिपत्र संख्या 15/2008 दिनांक 07.02.2008
डीजी परिपत्र संख्या 05/2011 दिनांक 13.02.2011
पत्र संख्या डीजी सात-एस-एचसी-32(4)/2010 दिनांक 08.9.2012

2. क्रिमिनल अपील नं0-529/2010 दयाल सिंह एवं अन्य में भी मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने यह तथ्य पाया है कि विवेचक द्वारा मृतक के तीन चोटे होना बताया है परन्तु शव-विच्छेदन में चिकित्सक द्वारा इन चोटों का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया तथा मृत्यु के कारण भी चिकित्सक द्वारा नहीं दर्शाया गया तथा विवेचना में विवेचक द्वारा विसरा एवं अन्य पदार्थो की भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कोई जॉच नहीं कराई गई, जबकि साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि शव परीक्षण के उपरान्त विसरा पुलिस के सुपुर्द किया गया था । इस प्रकार की घोर लापरवाही से अभियोजन साक्ष्य पर गम्भीर प्रभाव पडता है तथा साक्ष्य के अभाव में शातिर अपराधी मा0 न्यायालय से दोष मुक्त हो जाते है, जिससे समाज में कानून एव व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त खराब हो जाती है, साथ ही अपराधी तत्वों के हौसले भी बुलन्द हो जाते है और उन्हे कानून से कोई भय नहीं रहता ।

3. विवेचकों द्वारा सारवान साक्ष्य को भी एकत्रित किये बिना विवेचना की इतिश्री कर ली जाती है ।

4. साक्ष्य ही आपराधिक न्याय प्रक्रिया की ऑखे एव कान है। अतः विवेचक का यह मुख्य कर्तव्य है कि विवेचना को गम्भीरता पूर्वक एव वैज्ञानिक विधियों को प्रयोग मे ला कर पूर्ण करें ।

5. जिन प्रकरणों में विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता हो उनमें विशेषज्ञों की राय के बिना कोई भी आरोप पत्र मा0 न्यायालय भेजा जाना न तो विधिक ही है और न ही व्यवहारिक है ।

6. मै स्पष्ट करना चाहूँगा कि मा0 उच्चतम न्यायालय की अपेक्षानुसार आप अपने निकट पर्यवेक्षण में समस्त विवेचकों को निर्देशित करें कि किसी भी विवेचना में किसी भी स्तर से लापरवाही परिलक्षित न हो । इन निर्देशों एवं इसके पूर्व इस विषय पर निर्गत परिपत्रों द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में विवचकों एव

पर्यवेक्षणाधिकारी के साथ समय-समय पर कार्यशाला का आयोजन करते रहे, ताकि विवेचना में गुणात्मक सुधार परलक्षित हो ।

7. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में विवेचना करते समय यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि कोई सारवान साक्ष्य छूट तो नहीं गया है तथा समस्त वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग यदि आवश्यक हो तो वैज्ञानिक विधियों की सहायता तथा विशेषज्ञो की राय अवश्य ली जाए, जिससे विवेचना में कोई भी कमी न रहे तथा अपराधी को न्यायालय द्वारा दण्डित कराया जा सके ।

भवदीय
ह0
26-10-2012

(ए0सी0 शर्मा)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग, लखनऊ

परिपत्र संख्याःडीजी-15/2008 दिनांकःलखनऊःफरवरी 09, 2008

<u>टास्क आर्डर नं0-9/2008</u>

पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-101 में इंगित कतिपय अपराध की सूचना थाने पर पंजीकृत होने के उपरान्त उन्हे विशेष आख्या अपराध मानकर वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचना प्रेषित करते हुए कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है। किसी अपराध को विशेष आख्या अपराध(Special Report Case) की श्रेणी में रखने का उद्देश्य यह है कि इसकी विवेचना गहनता से किए जाने के साथ-साथ विवेचना का पर्यवेक्षण अधिक निकटता एव गहराई से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा करते हुए विवेचक का सही मार्ग दर्शन किया जाय, जिससे अभियोग का सही अनावरण हो सके और अपराधियों को दण्डित कराया जा सके ।

2. विशेष आख्या अपराधों की विवेचना एवं पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या-एडीजी- 12/2001 दिनांक 15.12.01 एवं डीजी-73/2007 दिनांक 31.8.07 द्वारा पूर्व में विस्तृत निर्देश दिये जा चुके है तथा यह भी स्पष्ट किया गया था कि समस्त क्रमागत आख्याओं का अनुमोदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद द्वारा ही किया जाय । परन्तु कतिपय जनपदों में अभी भी इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है । क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने हाथ से विशेष आख्या अपराध की पत्रावलियॉ नहीं लिखी जा रही रही और न ही विवेचनाओं का प्रभावी पर्यवेक्षण ही किया जा रहा है । अभी भी क्रमागत आख्याओं का अनुमोदन अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा बेहद सरसरी तौर पर किया जा रहा है । वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा न ही विवेचक का यथोचित मार्गदर्शन किया जा रहा है और न ही स्तरहीन विवेचनाओं पर कोई आपत्ति प्रकट की जा रही है । यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है ।

3. अतः आप सुनिश्चित करायें कि समस्त विशेष आख्या अपराध की पत्रावलियॉ पुलिस उपाधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक (उन अभियोगों में जिनके विवेचक राजपत्रित अधिकारी है) द्वारा स्वयं लिखी जाये तथा विवेचक का सही मार्गदर्शन करने हेतु यथोचित निर्देश दिये जाये । समस्त क्रमागत आख्याओं का प्रतिमाह अनुमोदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद द्वारा ही किया जाय । इसी प्रकार परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षकों द्वारा भी प्रत्येक माह नियमित रूप से विशेष आख्या अपराधों का अनुश्रवण करते हुए अधीनस्थों को समुचित दिशा-निर्देश जारी किए जाये ।

उपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

ह0 09-02-2008
(विक्रम सिंह)
पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।

डीजी परिपत्र संख्याः 73/2007

विक्रम सिंह,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ ।
दिनांकःलखनऊः अगस्त 31 ,2007

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 101 में कतिपय अपराध इंगित किये गये हैं, जिनकी सूचना थाने पर दर्ज होने के उपरान्त उन्हें विशेष आख्या अपराध मानकर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना प्रेषित करते हुए कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है। उक्त प्रस्तर में वर्णित अपराधों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के अपराध भी समय-समय पर विशेष आख्या अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किये गये हैं।

2. किसी अपराध को विशेष आख्या अपराध की श्रेणी में रखने का उद्‌देश्य यह है कि इनकी विवेचना गहनता से किये जाने के साथ-साथ विवेचना का पर्यवेक्षण अधिक निकटता एव गहराई से किया जाये एवं वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी इसका अनुश्रवण करते हुए विवेचक का सही मार्ग दर्शन किया जाये, जिससे अभियोग का सही अनावरण हो सके और अपराधियों को दण्डित कराया जा सके। ऐसा करने से ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगता है जिससे जन सामान्य में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है।

3. इस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर विशेष आख्या अपराधों की विवेचना एवं पर्यवेक्षण सम्बन्धी निर्देश दिये गये हैं एवं यह अपेक्षा की गयी है कि उक्त श्रेणी के अपराधों की विवेचना का अनुश्रवण विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा पूर्ण गम्भीरता से किया जायेगा, परन्तु प्रायः यह देखने में आ रहा है कि इन अभियोगों की विवेचनाओं को गम्भीरता से नहीं किया जा रहा है और ऐसे संगीन अपराधों के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रभावी प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी अनुश्रवण करते समय इस तरह की लचर विवेचना पर कोई आपत्ति भी नहीं प्रकट की जा रही है। कतिपय जनपदों में क्रमागत आख्याओं का अनुमोदन अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सरसरी तौर पर किया जा रहा है और पत्रावलियां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं जबकि विशेष अपराध शाखा व क्रमागत आख्या के प्रेषण की समयावधि निर्धारित है।

4. अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना ही पुलिस का ध्येय है एवं शासन की प्राथमिकताओं से भी आप भली-भांति भिज्ञ हैं। मैं चाहूंगा कि विशेष आख्या अपराध के अभियोगों में प्राप्त हो रही समस्त क्रमागत आख्याओं का अनुमोदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद द्वारा ही किया जाये एवं ऐसी विवेचनाओं को गम्भीरता से एवं समयबद्ध रूप से सम्पादित कराया जाये। विवेचना की गुणवत्ता के साथ-साथ ऐसे अपराधों के अभियुक्तों की

शत-प्रतिशत गिरफ्तारी सुनिश्चित करायी जाये। विवेचना में शिथिलता बरतने वाले विवेचक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाये एवं पर्यवेक्षण कार्य में रुचि न लेने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाये।

भवदीय,

ह0 31-08-2007

(विक्रम सिंह)

परिपत्र संख्याः एडीजी-एलओ-12/2001

ए0के0 मित्रा,
आई0पी0एस0

अपर पुलिस महानिदेशक,अपराध/कानून एवं व्यवस्था,
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकःलखनऊःदिसम्बर 15 ,2001

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 100 के अन्तर्गत कतिपय श्रेणी के अपराध इंगित किये गये है, जिनकी सूचना थाने पर दर्ज होने के उपरांत उन्हें विशेष आख्या अपराध मानकर कार्यवाही की जाने की अपेक्षा की गई है। इसके अलावा समय-समय पर कुछ अन्य प्रकार के अपराधों को भी विशेष आख्या श्रेणी के अपराधों में रखने हेतु विभिन्न स्तर से आदेश/परिपत्र निर्गत किये जाते रहे है।

2. किसी अपराध को विशेष आख्या अपराध की श्रेणी के अन्तर्गत रखने का उद्देश्य यह है कि इनकी विवेचना अधिक गम्भीरता एवं बारीकी से की जाय, इनका पर्यवेक्षण भी अधिक निकटता एवं गहराई के साथ किया जाये एवं इसका अनुश्रवण वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा भी किया जाय। वर्तमान समय में विशेष आख्या श्रेणी के अपराधों की श्रेणी एवं संख्या बहुत अधिक हो गई है और प्रायः प्रत्येक मामलों में इन अपराधों को विशेष आख्या एवं क्रमागत आख्या परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक के अलावा जोनल पुलिस महानिरीक्षकों आदि को प्रेषित की जा रही है। विभिन्न अपराधों की पुख्ता, गंभीरता, आयाम एवं विस्तार में भी समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है। यह महसूस किया जा रहा है कि अब वर्तमान परिवेश में किस-किस प्रकार के विशेष आख्या अपराधों की क्रमागत आख्याएं किस स्तर के पुलिस अधिकारियों तक प्रेषित की जाए, इस सम्बन्ध में समीक्षा करके नये सिरे से आदेश निर्गत किये जाने की आवश्यकता है।

3. अतः इस सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश निर्गत किये जा रहें हैं। किसी विशेष आख्या अपराध के घटित होने की स्थिति में विशेष आख्या (एस0आर0) तो प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार सभी सम्बन्धित अधिकारियों/प्रकोष्ठों को भेजी जाये परन्तु इनके अनुश्रवण हेतु क्रमागत आख्या (सी0आर0) निम्न अनुसार भेजी जाये।

4. पुलिस महानिरीक्षक जोन को निम्न मामलों में क्रमागत आख्याएं भेजी जायें:-

(अ) फिरौती हेतु अपहरण के समस्त अपराध।
(आ) रोड होल्ड अप के अपराध।
(इ) शस्त्र/गोला बारूद की दुकान की लूट/डकैती।
(ई) ऐसी हत्या की घटना जिसका साम्प्रदायिक रूप हो।

(उ) ऐसी हत्या की घटना जिसमें 3 अथवा 3 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई हो।

(ऊ) डकैती एवं लूट के ऐसे मामलों जिनमें 5 लाख अथवा उससे अधिक के मूल्य की सम्पत्ति लूटी गई हो अथवा तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई हो।

(ए) किसी लोक सेवक की कर्तव्यपालन के दौरान हुई हत्या की घटना।

(ऐ) पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के मामले।

(ओ) किसी ऐसे इनामी अपराधी द्वारा किया गया कोई भी विशेष आख्या अपराध जिसकी गिरफ्तारी हेतु पूर्व से शासन अथवा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा कोई पुरस्कार घोषित किया गया है।

(औ) अन्य कोई अपराध, जिसमें लोकहित में अथवा किसी शिकायत आदि के आधार पर अथवा जोन में/जोन के किसी परिक्षेत्र में/जनपद में अपराधिक परिस्थितियों के आधार पर जोनल पुलिस महानिरीक्षक स्वयं विशेष आख्या व क्रमागत आख्याएं प्राप्त करना उचित समझें।

5. निम्नप्रकार के अपराधों में क्रमागत आख्याएं परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक तक भेजी जाए-

(क) पुलिस महानिरीक्षक जोन्स को भेजे जाने वाले प्रस्तर 4 में दिए गये उपरोक्त समस्त प्रकार के अपराध।

(ख) डकैती अथवा लूट जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गयी हो।

(ग) एक लाख अथवा इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति की लूट अथवा डकैती।

(घ) डकैती अथवा लूट के वे अपराध जिनमें कोई अग्नेय शस्त्र लूटा गया हो।

(च) बैंक अथवा पोस्ट आफिस में लूट अथवा बैंक/पोस्ट आफिस का धन बैंक/पोस्ट आफिस से दूसरे बैंक/पोस्ट आफिस में पहुचाये जाते समय रास्ते में हुई लूट अथवा डकैती।

(छ) हत्या अथवा बलात्कार अथवा बलवा अथवा आगजनी के ऐसे अपराध जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति पीड़ित हों।

(ज) गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अपराध।

(झ) हत्या के समस्त अपराध।

(ट) दहेज मृत्यु के अपराध।

(ठ) पुलिस अभिरक्षा से किसी अभियुक्त के पलायन का अपराध।

(ड) किसी पुलिस जन के विरूद्ध दर्ज कोई भी विशेष आख्या अपराध।

(ढ) विधि विरूद्ध भीड़ पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग की ऐसी घटनायें जिनमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो या गम्भीर रूप से घायल हुआ हो अथवा राजकीय सम्पत्ति की क्षति हुई हो।

(ण) पुलिस मुठभेड़/जनता मुठभेड़ में किसी अपराधी की मृत्यु।

(त) विद्युत का ट्रान्सफार्मर/तार चोरी।

(थ) 3 लाख रूपये से अधिक मूल्य के सम्पत्ति की चोरी/नकबजनी।

(द) 10 लाख रूपये से अधिक मूल्य का गबन/धोखाधड़ी।

(ध) किसी ऐसे घोषित ईनामी अपराधी द्वारा घटित किया गया कोई विशेष आख्या अपराध जिसकी गिरफ्तारी पर पूर्व से पुलिस उपमहानिरीक्षक अथवा पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुरस्कार घोषित किया गया हो।

(न) अन्य कोई अपराध, जिसमें लोकहित में अथवा किसी शिकायत आदि के आधार पर अथवा परिक्षेत्र में अथवा परिक्षेत्र के किसी जनपद में स्थानीय अपराधिक परिस्थितयों के आधार पर परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक स्वयं विशेष आख्या/क्रमागत आख्याएं प्राप्त कर अनुश्रवण करना उचित समझें।

6. ऐसे अपराध जो पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 101 के अनुसार अथवा पूर्व में जारी किये गये किसी आदेश/परिपत्र के अनुसार विशेष आख्या श्रेणी के अन्तर्गत रखे गये हैं परन्तु इस परिपत्र के प्रस्तर 4 अथवा 5 में ऊपर नहीं दर्शाये गयें है, उन अपराधों में विशेष आख्याएँ प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार सभी सम्बन्धित को भेजी जाती रहेगी, परन्तु उनमें क्रमागत आख्या का अनुमोदन जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी द्वारा करने के उपरान्त पुलिस महानिरीक्षक जोन अथवा परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तथापि यदि किसी विशेष आख्या अपराध की क्रमागत आख्या किसी अन्य प्रकोष्ठ (जेसे दहेज हत्या के अपराध में महिला प्रकोष्ठ) को भेजने हेतु प्रक्रिया हैं तो तद्नुसार भी कार्यवाही की जाती रहेगी। इन अपराधों का अनुश्रवण करने की जिम्मेदारी मुख्यतः जनपद के पुलिस प्रमुख की होगी। परन्तु जोनल पुलिस महानिरीक्षक एवं परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक जनपदीय निरीक्षण/भ्रमण के समय ऐसे विशेष अथवा परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तथापि यदि किसी विशेष आख्या अपराध की क्रमागत आख्या किसी अन्य प्रकोष्ठ (जैसे दहेज हत्या के अपराध में महिला प्रकोष्ठ) को भेजने हेतु प्रक्रिया हैं तो तद्नुसार भी कार्यवाही की जाती रहेगी। इन अपराधों का अनुश्रवण करने की जिम्मेदारी मुख्यतः जनपद के पुलिस प्रमुख की होगी। परन्तु जोनल पुलिस महानिरीक्षक एवं परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक जनपदीय निरीक्षण/भ्रमण के समय ऐसे विशेष आख्या अपराध जिनका अनुश्रवण उनके द्वारा नहीं किया जा रहा हैं, में से कुछ अपराधों से सम्बन्धित पत्रावलियों की भी समीक्षा करेंगे।

7. कृपया इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुये अनुपालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0
(ए0के0 मित्रा)